त्रयोदश माला, खंड 21, अंक 17

NOT TO BE ISSUED

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2001
21 अग्रहायण, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

536. SH VIJAY KUMAR MALHOTRA, MP सत्र
6, DR. B.D. MARG,
NEW DELH, ... लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 17, बुधवार, 12 दिसम्बर, 2001/21 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	321 से 340	1-32
अतारांकित प्रश्न संख्या	3546 से 3755	32-259
सभा पटल पर रखे गए पत्र		259-266
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति		
बाईसवां प्रतिवेदन		266
प्राक्कलन समिति		
सातवां प्रतिवेदन		267
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति		
इक्यासीवां और बयासीवां प्रतिवेदन		267
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति		
साक्ष्य		267
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति		
चौवनवां प्रतिवेदन		268

लोक सभा

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2001/21 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 321, श्रीमती शीला गौतम।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ''प्रश्न काल'' के बाद में।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी मामले उठाना चाहें, ''शून्य काल'' में उठाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टी०वी० टेलीकास्ट को बंद किया जाए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पत्तनों पर संचालन सुविधाओं को सुचारू बनाना

*321. **श्रीमती शीला गौतम :***
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पत्तनों पर संचालन सुविधाओं को सुचारू और आधुनिक बनाने हेतु एक समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित समिति मुम्बई, हल्दिया और कोलकाता सहित देश के विभिन्न पत्तनों पर माल लादने/उतारने हेतु अद्यतन प्रौद्योगिकी सुविधा की स्थापना पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता देने के लिए समिति

*322. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए समर्थ बनाने हेतु सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार की खुली आयात नीति के मद्देनजर यह योजना किस तरीके से सहायक होगी?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (घ) जी, हां। लघु उद्योगों हेतु 30 अगस्त, 2000 को घोषित व्यापक नीति पैकेज के अंतर्गत सरकार ने लघु उद्योगों (एस०एस०आई०) के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु एक क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना प्रारम्भ की है, जो विशिष्ट उत्पादों/उपक्षेत्रों में अनुमोदित प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के आगमन हेतु पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उठाए गए ऋण के 12% के बराबर सब्सिडी पूंजी प्रदान करती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इस योजना के प्रचालन हेतु एक नोडल अभिकरण है। योजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के पहचान के लिए सचिव, लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में एक शासी एवं प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड गठित किया गया है। यह योजना लघु उद्योगों को उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए सुविधा प्रदान करेगी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन

*323. **श्री सुनील खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि के बीच कोई अन्तर देखने में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में किन उपचारात्मक उपायों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रकों के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है।

		लक्ष्य (संशोधित)	उपलब्धि (1997-2001)
1.	कृषि और संबद्ध	3.9	1.3
2.	खनन और उत्खनन	5.1	4.1
3.	विनिर्माण	7.1	4.1
4.	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	8.4	6.0
5.	निर्माण	6.8	7.5
6.	व्यापार	6.8	6.7
7.	रेल परिवहन	3.6	4.6
8.	अन्य परिवहन	6.8	5.5
9.	संचार	11.9	18.1
10.	वित्तीय सेवाएं	10.4	12.7
11.	लोक प्रशासन	8.5	11.1
12.	अन्य सेवाएं	7.7	8.3
	कुल	6.5	5.7

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है।

जनसंख्या नियंत्रण

***324. श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात सहित जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने में कुछ उत्तरी राज्यों में निराशाजनक प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में धीमी प्रगति के लिये कौन से कारक उत्तरदायी है;

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किये जा रहे हैं। किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में देश के बड़े राज्यों में सामाजिक-जनसांख्यिकीय विषमताओं के चौकाने वाले तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) सन् 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जिसमें राज्यवार लिंग अनुपात भी शामिल है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उत्तरी राज्यों में परिवार नियोजन विधियों (गर्भनिरोधक व्यापतता दर) की स्वीकार्यता स्तर के सम्बन्ध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1992-93 और 1998-99 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र की गई सूचना इस प्रकार है :

भारत/उत्तरी राज्य	रा०प०स्वा० सर्वेक्षण-I (1992-93) प्रतिशतता में	रा०प०स्वा० सर्वेक्षण-II (1998-99) प्रतिशतता में
भारत	40.6	48.2
दिल्ली	60.3	63.8
हरियाणा	49.7	62.4
हिमाचल प्रदेश	58.4	67.7
जम्मू और कश्मीर	49.4	49.1
पंजाब	58.7	66.7
राजस्थान	31.8	40.3
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	19.8	28.1
बिहार एवं झारखंड	23.1	24.5
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ	36.5	44.3

(ग) नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में मौजूदा जनसंख्या वृद्धि दर के लिए निम्नलिखित तीन कारक सूचीबद्ध किए गए हैं :–

(i) प्रजनक आयुवर्ग की जनसंख्या का बड़ा आकार (अनुमानित योगदान 60 प्रतिशत)

(ii) गर्भनिरोधन की अपूरित जरूरतों के कारण उच्च प्रजननता (अनुमानित योगदान 20 प्रतिशत)

(iii) मौजूदा उच्च शिशु मृत्यु के कारण सन्तान पैदा करने की अधिक इच्छा (अनुमानित योगदान लगभग 20 प्रतिशत)

अन्य बहुत से कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारण हैं – महिला सशक्तिकरण, परिवार में महिलाओं की स्थिति, विशेषरूप से महिलओं की शिक्षा, आधारभूत ढांचा और सम्प्रेषण सुविधाएं आदि।

(घ) जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करके उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :–

जनसंख्या को स्थिर करना

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

- स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई है जिसका उद्देश्य सेवाओं और आपूर्तियों के वृहत् पैकेज के साथ नागरिकों तक पहुंच कर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने में सहायता मिलेगी। नए ढांचें तैयार किए गए हैं और अपूर्व सहभागिता प्राप्त की जा रही है। इन दोनों के द्वारा विशेरूप से ऐसे राज्यों/संघ क्षेत्रों के अंदर पर्यवेक्षण में सुधार हो रहा है और कार्यान्वयन में तेजी आ रही है जो राष्ट्रीय सामाजिक जनांकिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़े हैं।

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रचालन में सलाह देने हेतु प्रधान मंत्री की सीधी अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया है जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री, जनांकिकीविद्, गैर सरकारी संगठन और उद्योग और प्राइवेट निगमित क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य व्यवसायियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

- इस राष्ट्रीय प्रयास में आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक संघों, सामुदायिक सगठनों और पंचायतीराज संस्थाओं के सहयोग से एकीकृत सेवा प्रदानगी की कवरेज और पहुंच में सुधार लाने पर अधिक ध्यान देने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक सशक्त कार्रवाई दल गठित किया गया है।

- प्रतिकूल लिंग अनुपात पर काबू पाने के लिए जन प्रचार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ तथा स्वैच्छिक सगठनों तथा धार्मिक नेताओं के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा के विरुद्ध तथा कानून अर्थात् प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 को कड़ाई से लागू करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। अधिनियम के उपबंधों को और कड़ाई से लागू करने के लिए राज्यों में नियुक्त सभी समुचित प्राधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई है।

- बिना चीर-फाड़ पुरुष नसबंदी (वेसेक्टॉमी) की कई गुणा बढ़ती लोकप्रियता एवं स्वीकार्यता से कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ी है। सिक्किम जैसे राज्यों में महिला नसबंदी पर जोर काफी कम हो गया है। इससे दूसरी महिलाओं पर दुगुना भार पड़ता है।

स्वास्थ्य संबंध बुनियादी ढांचे का उन्नयन

- प्रधान मंत्री के ग्रामोदय योजना के तहत ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के रख रखाव एवं उसको प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2000-01 और 2001-03 में 869 करोड़ रुपए का आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

- यू०एन०एफ०पी०ए० की सहायता प्राप्त एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एवं केरल राज्यों में, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त भारतीय जनसंख्या परियोजना-VIII में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में शहरों/नगरों की मलिन बस्तियों में, असम, राजस्थान एवं कर्नाटक में, भारतीय जनसंख्या परियोजना-IX के अंतर्गत यू०एस०एड० से सहायता प्राप्त परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नवीकरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में तथा डानिडा, डी०एफ०आई० डी० एवं विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं जनाकिकीय रूप से कमजोर क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परियर्चा सेवाएं सुदृढ़ करने हेतु क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

- जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए किराया, आकस्मिक व्यय, वृतिका आदि जैसी मदों के लिए राज्य सरकारों को भुगतान करने हेतु मानदण्डों में संशोधन किया गया है।

- स्वास्थ्य स्टाफ की उपलब्धता सुदृढ़ करने एवं बढ़ाने हेतु ए०एन०एम०, जन स्वास्थ्य नर्सों एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों की संविदात्मक नियुक्ति करके सरकारी एवं प्राईवेट क्षेत्रों में नर्स मिडवाइफों का संवर्ग बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। डाक्टरों एवं संवेदनाहरकों को प्रत्येक दौरे के लिए भुगतान के आधार पर लगाया जा रहा है।

एकीकृत सेवा प्रदानगी: प्रजनक स्वास्थ्य

- टीकाकरण बच्चों के स्वास्थ्य की कुंजी है। चूंकि यह विशेषकर 0-5 वर्ष एवं 15 वर्ष के नीचे की आयुवर्ग में शिशु रूग्णता एवं मृत्यु में कमी लाता है इसलिए टीकाकरण, प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर जांच, सूचना एवं परामर्श और गर्भनिरोधक सेवाओं जैसी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य विस्तार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान 50 जिलों को कवर करने वाली इस स्कीम का वर्ष 2001-02 के दौरान 101 अन्य जिलों में विस्तार किया गया है।

- विस्तार एवं पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य वाली मौजूदा उपायों को सम्पूरित करने के प्रयास में मथुरा, दिल्ली, लखनऊ, कारगिल, पटना, बादल (पंजाब), पेराम्बूर (तमिलनाडु), सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) एवं गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) सहितदेश भर में कई ''परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मेले'' आयोजित किए गए। नियमित प्रक्रिया की कड़ी के रूप में कई और मेले की योजना बनाई जा रही है।

- ग्रामीण लोगों, विशेषकर दूर दराज एवं अल्प सेवित क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों को एकीकृत सेवा प्रदान करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब नियमित रूप से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर, जो 2000-01 के दौरान 101 जिलों में शुरू किए गए थे, को वर्ष 2001-02 के दौरान 77 अन्य जिलों में विस्तार किया गया है।

- देश के 142 जिलों में, जहां से 30 प्रतिशत से कम सुरक्षित प्रसवों की सूचना प्राप्त हुई है, दाई प्रसव किटों के प्रावधान सहित पारंपरिक जन्म परिचरों (दाई) के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

- भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के कौशल एवं ज्ञान को भी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के सामान्य रोगों हेतु बेहतर रूप मे ज्ञात, जाँची एवं परखी प्रभावकारी एवं सुरक्षित आयुर्वेद और यूनानी दवाएँ वर्ष 2001-02 के दौरान विशेषकर 7 राज्यों के उप केन्द्रों/संस्थाओं में आपूर्ति की जा रही है।

- मदर गैर सरकारी संगठन के अभियान के जरिए प्राइवेट – सरकारी भागीदारी का नेटवर्क 412 जिलों में बनाया गया है।

पोलियो समाप्ति की ओर

- गहन पल्स पोलियो अभियान से वर्ष 1999 में पोलिया के पृष्ट 1126 रोगियों में कमी लाकर वर्ष 2000 में उनकी संख्या 265 रोगी और इस वर्ष 112 रोगी करने में सहायता मिली है। वाइरस का संचरण अब वास्तव में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ जिलों तक सीमित है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में कार्यक्रम के जोरदार ढंग से कार्यान्वयन एवं गहन प्रयासों से ''पोलियो की शून्य घटना'' वर्ष 2002 तक प्रत्याशित है।

नवजात शिशु परिचर्या के संबंध में नए कार्यक्रम

- देश में शिशु मृत्यु का 50 प्रतिशत भाग नवजात शिशु की मृत्यु है। नवजात शिशु के जीवन बचाने के लिए नेशनल नियोनेटोलॉजी फॉरम के सहयोग से देश के 60 जिलों में वर्ष 2000-01 के दौरान एक विशेष नवजात शिशु परिचर्या कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का वर्ष 2001-02 के दौरान अन्य पिछड़े जिलों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यत: गैर सरकारी सगठनों के जरिए सामुदायिक स्तर के नवजात शिशु परिचर्या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और उनको शक्ति सम्पन्न करना समुचित नवजात शिशु परिचर्या के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित की गई एक अन्य पहल है।

- सरकार द्वारा प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी का टीका शुरू करने की संभावना की जांच करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना (15 महानगरों की मलिन बस्तियों और 32 चुनिन्दा ग्रामीण जिलों में) शुरू की गई है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने जनगणना 2001 और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों/सूचना के आधार पर निर्धारित मानदण्डों पर आधारित जिलों को दर्जा देने और उनकी पारस्परिक पर तुलना की खातिर 12 सामाजिक आर्थिक और जनांकिकीय सूचकों के अनुसार देश के 569 जिलों के दर्जा निर्धारित करते हुए एक प्रकाशन निकाला है। यह जिलावार सूचना/आंकड़े प्रमुख राज्यों में सामाजिक जनांकिकी विसंगतियों को भी दर्शाते हैं।

राज्यों के बीच सामाजिक जनांकिकीय विसंगतियाँ कई कारणों से हैं जो एक राज्य में दूसरे राज्य से अलग हो सकते हैं। सभी राज्यों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के महत्व को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। अत: दसवीं योजना में वृद्धि दर और सामाजिक विकास के लक्ष्यों सहित मुख्य विकास लक्ष्यों के राज्यवार ब्रेकडाउन को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन राज्य विशिष्ट लक्ष्यों में राज्यों की क्षमता और प्रत्येक राज्य में पेश आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाएगा और इन कठिनाइयों के रहते कार्य निष्पादन में सुधार की गुंजाइशों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें विकास के क्षेत्रीय पैटर्न और इसके क्षेत्रीय फैलाव पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। यह ऐसे सुधारों के स्वरूप को भी स्पष्ट करेगा जिनको राज्यों के लिए अपनाए गए विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर लागू करने की आवश्यकता होगी।

विवरण

जनसंख्या की दसकीय वृद्धि दर, लिंग अनुपात राज्य/संघ क्षेत्र

भारत एवं राज्य/संघ क्षेत्र	दसकीय वृद्धि दर 1991-2001	लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं) 2001
1	2	3
भारत	21.34	933
जम्मू और कश्मीर	29.04	900
हिमाचल प्रदेश	17.53	970
पंजाब	19.76	874
चण्डीगढ*	40.33	773
उत्तरांचल	19.20	964
हरियाणा	28.06	861
दिल्ली*	46.31	821
राजस्थान	28.33	922
उत्तर प्रदेश	25.80	898
विहार	28.43	921
सिक्किम	32.98	875
अरुणाचल प्रदेश	26.21	901
नागालैंड	64.41	909
मणिपुर	30.02	978
मिजोरम	29.18	938
त्रिपुरा	15.74	950
मेघालय	29.94	975
असम	18.85	932
पश्चिम बंगाल	17.84	934
झारखंड	23.19	941
उड़ीसा	15.94	972
छत्तीसगढ	18.06	990
मध्य प्रदेश	24.34	920
गुजरात	22.48	921
दमण और दीव*	55.59	709
दादरा और नागर हवेली*	59.20	811
महाराष्ट्र	22.57	922
आंध्र प्रदेश	13.86	978
कर्नाटक	17.25	964
गोवा	14.89	960
लक्षद्वीप*	17.19	947
केरल	9.42	1,058
तमिलनाडु	11.19	986
पांडिचेरी*	20.56	1,001
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	26.94	846

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001 अनंतिम कुल जनसंख्या

क्षय रोग (टी०बी०) और कैंसर की औषधियों की कमी

*325. **डा० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री एच०जी० रामुलू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में टी०बी० और कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान टी०बी० और कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने टी०बी० और कैंसर के रोगियों को जरूरी सहायता और औषधियों उपलब्ध कराई हैं;

(घ) क्या देश में टी०बी० और कैंसर की औषधियों की भारी कमी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में टी०बी० और कैंसर के अनुसंधान केन्द्रों के विकास और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन रोगों के उन्मूलन के लिये क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) पिछले दशक के दौरान जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के आंकड़ों के सामायिक रूझान विश्लेषण से शहरी कैंसर

रजिस्ट्रियों में पुरूषों और महिलाओं, दोनों में ही कैंसर की समग्र घटनाओं में कम लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के आंकड़ों के आधार पर देश में किसी एक समय में कैंसर के 20 लाख रोगियों के होने का अनुमान है। तथापि, भारत में कैंसर रोगियों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है।

जहां तक क्षय रोग का संबंध है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित क्षय रोगियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कमोवेश स्थिर रही है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए पॉजीटिव स्पूटम वाले रोगियों और इलाज किए गए रोगियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकारी अस्पतालों में और केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मेडिकल कालेजों और सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में बहुत से निर्धन रोगियों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है अथवा कैंसरा के इलाज में होने वाले नैदानिक और चिकित्सीय प्रक्रियाओं के लिए मामूली प्रभार, लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय की राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि नामक एक स्कीम है जिसके अन्तर्गत कैंसर सहित गम्भीर रोगों से पीड़ित गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जहां तक क्षय रोग का संबंध है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोधी औषधों की शत-प्रतिशत जरूरत केन्द्र द्वारा पूरी की जाती है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्षेत्र में सभी औषधें और शेष देश में पॉजीटिव स्पूटम वाले रोगियों के लिए औषधें सामग्री सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं और नेगेटिव स्पूटम वाले रोगियों के लिए नगद सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) ऐसी कोई कमी की सूचना नहीं है।

(ङ) से (छ) यह मंत्रालय राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर काफी बल दे रहा है और जिसका अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भाग है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता का प्रसार करने, निदान उपचार, अनुसंधान आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने कैंसर का आरम्भिक अवस्था में पता लगाने, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने और उसके उपचार के लिए निम्नलिखित स्कीमों आरम्भ की हैं :–

I. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का उन्नयन।

II. चुने हुए मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में अर्बुद विज्ञान (ऑनकालॉजी) विंग का विकास।

III. देश के विभिन्न भागों में कोबाल थिरेपी सुविधाओं की स्थाना।

IV. जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में कैंसर की रोकथाम और उसका आरम्भिक अवस्था में पता लगाने, सम्बन्धित जिले के मौजूदा चिकित्सा और परिचिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा स्थाई रूप से बीमार रोगियों का प्रशामक उपचार करने के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

V. आरम्भिक अवस्था में रोग का पता लगाने और जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन क्षय रोग अनुसंधान, केन्द्र, चेन्नई पहले से ही अनुसंधान कार्यकलापों में लगा हुआ है। नए स्पूटम पॉजीटिव रोगियों के 85 प्रतिशत की स्वस्थता दर प्राप्त करने तथा ऐसे रोगियों के कम से कम 70 प्रतिशत का पता लगाने के लिए देश भर में चरणवार ढंग से संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें सीधी देख-रेख में इलाज (डॉट्स स्ट्रेटेजी) प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यनीति के तहत लगभग 440 मिलियन जनसंख्या को पहले ही कवर कर लिया गया है। जिसके अंतर्गत 10 में से 8 रोगियों का सफलतापूर्वक इजाल किया गया है जबकि इससे पहले के कार्यक्रम में 10 में से 4 रोगियों का इलाज हो पाता था। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 तक 500 मिलियन जनसंख्या और 2004 तक 800 मिलियन जनसंख्या को कवर करने की परिकल्पना है।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 के दौरान पता लगाए गए और उपचार किए गए नए स्पूटम पोजीटिव क्षयरोगियों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24799	24892	28562
2.	अरूणाचल प्रदेश	415	414	410
3.	असम	1966	209	2059
4.	बिहार	2334	6980	*–
5.	गोवा	316	515	485
6.	गुजरात	59814	34911	30981
7.	हरियाणा	5674	9226	7761
8.	हिमाचल प्रदेश	302	512	*–
9.	जम्मू व कश्मीर	1769	533	830

*सूचित नहीं किए गए हैं।

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	20511	20244	26133
11.	केरल	3084	23683	704
12.	मध्य प्रदेश	16782	64966	25037
13.	महाराष्ट्र	52220	1012	63797
14.	मणिपुर	1150	508	1385
15.	मेघालय	340	299	665
16.	मिजोरम	226	643	336
17.	नागालैंड	528	12106	314
18.	उड़ीसा	6526	9783	4480
19.	पंजाब	10817	22953	10670
20.	राजस्थान	14934	417	23584
21.	सिक्किम	336	25756	409
22.	तमिलनाडु	29971	981	24533
23.	त्रिपुरा	616	65596	5555
24.	उत्तर प्रदेश	57347	15595	62802
25.	पश्चिम बंगाल	6964	210	3721
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	251	23	265
27.	चंडीगढ़	130	187	14
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	153	182
29.	दमण व दीव	0	26911	170
30.	दिल्ली	0	0	10413
31.	लक्षद्वीप	0	1303	5
32.	पांडिचेरी	1798		1436
	कुल	321920	371521	337,698

अनधिकृत व्यय

*326. **डा० वी० सरोजा :**
श्री चन्द्र विजय सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उच्चायोग, लंदन और भारतीय दूतावास, बॉन ने मंत्रालय की स्वीकृत के बिना स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 5.14 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।,

(ग) और (घ) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती के मामले में ध्यान देने के संबंध में सभी मिशनों/केन्द्रों को भारत सरकार के निदेशों का अनुपालन करने की हिदायत दे दी गई है। तथापि, पहले किए गए व्यय को नियमित किया जा रहा है।

विदेश संचार निगम लि० का कार्य निष्पादन

*327. **श्री प्रभात सामन्तराय :**
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी०एस० एन०एल०) के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) क्या विदेश संचार निगम लि० घाटे में चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो कब से;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेश संचार निगम लि० को अनुमानत: कितने वार्षिक राजस्व का घाटा हुआ; और

(ङ) विदेश संचार निगम लि० के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महानगरों में डाक छंटाई और डाक वितरण प्रणाली

*328. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग महानगरों में डाक छंटाई और डाक वितरण प्रणाली की दक्षता की जांच के लिए पत्र पहुंचाने का राष्ट्रीय परीक्षण (नेशनल टेस्ट लेटर रन) करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि करीब पचास प्रतिशत डाक देर से पहुंचाई जाती है और चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुम्बई

डाकघरों में पत्रों की प्रारंभिक छंटाई सुचारू रूप से नहीं की जाती है;

(ग) क्या महानगरों में लगाए गए स्वचालित डाक छंटाई सिस्टम का क्षमता से बहुत ही कम उपयोग होता है जबकि हाथ से छंटाई पर अतिरिक्त धनराशि खर्च की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (घ) नेशनल टैस्ट लेटर रन (एनटीएलआर) जिसे त्वरित डाक सेवा के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए शुरू किया गया था, उक्त सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप समाप्त कर दिया गया है। तथापि, समूचे देश में डाक की वितरण दक्षता के स्तर की नियमित आधार पर मॉनीटरिंग करने के लिए विभाग ने शहरी और ग्रामीण डाक के लिए लाइव मेल सर्वे प्रणाली शुरू की है। इसके अलावा, विभाग प्रतिवर्ष सितम्बर माह में विशेष मेल सर्वे भी करता है।

सितम्बर, 2001 में किए गए मैट्रो मेल सर्वे के परिणामों के अनुसार चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुम्बई में डाक की वितरण दक्षता निम्नानुसार है :

चेन्नई	98.9 प्रतिशत
दिल्ली	98.5 प्रतिशत
हैदराबाद	96.1 प्रतिशत
मुम्बई	99.1 प्रतिशत

दिल्ली और हैदराबाद में डाक की प्रारंभिक छंटाई डाकघरों में की जाती है। चेन्नई तथा मुम्बई में प्रारंभिक छंटाई डाकघरों में करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि लेटर बॉक्सों से डाक निकाल कर आगे छंटाई के लिए सीधी ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स में ले जाई जाती है।

ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स (ए०एम०पी०सी०) केवल मुम्बई और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स की पूर्ण क्षमता का उपयोग मशीन के अनुकूल डाक की उपलब्धता पर निर्भर करता है जो आकार, लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, स्टैप्लर पिन का प्रयोग न होने आदि के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। ए०एम०पी०सी० का क्षमता से कम उपयोग जब कभी भी होता है, उसका मुख्य कारण मशीन के अनुकूल पर्याप्त डाक का उपलब्ध न होना है। डाक के निम्न स्तर, अपठनीय लिखावट, आकार और बनावट आदि के कारण मशीन द्वारा अस्वीकृत कुछ प्रतिशत डाक ही हाथों से निपटाई जाती है जो एक अपरिहार्य स्थिति है तथा ऐसा समूचे विश्व में होता है। विभाग मशीन के अनुकूल डाक की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने तथा जनता को अपनी डाक यथोचित रूप में तैयार करने के लिए शिक्षित करने के सभी संभव प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार के अवसर

*329. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों के सृजन हेतु नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी दी गई है;

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश में राज्यवार कितनी नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिये गये;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानत: कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रोत्साहनों से कितनी नई इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) के माध्यम से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रहा है। आर०ई० जी०पी० पूरे देश भर में क्रियान्वित की जाती है। 10 लाख रु० तक की परियोजना लागत पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में दिया जाता है। 10 लाख रु० से अधिक तथा 25 लाख रु० तक की परियोजना लागत पर मार्जिन मनी 10 लाख रु० का 25% की दर से जमा शेष परियोजना लागत पर 10% की दर से दी जाती है। कमजोर वर्गों के लिए, 10 लाख रु० तक की परियोजना लागत पर 30% की दर से मार्जिन मनी दी जाती है तथा शेष राशि पर (25 लाख रु० तक) यह 10% की दर से दी जाती है।

(ख) के०वी०आई०सी० द्वारा आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान स्वीकृत राज्यवार परियोजनाएं/इकाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिनांक 1.4.1995 में आरंभ से, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम देश में दिनांक 31.3.2001 तक 10.99 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने में सफल हुआ है।

(घ) आर०ई०जी०पी० के अन्तर्गत नई इकाइयों को स्थापित करने की संख्या के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, आर०ई०जी०पी० की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 के लिए 4 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का अनन्तिम लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

के०वी०आई०सी० द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान राज्य वार स्वीकृत परियोजनाएं

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	756	1807	5388
2.	अरूणाचल प्रदेश	98	7	202
3.	असम	35	46	120
4.	बिहार	148	114	155
5.	गोवा	182	354	837
6.	गुजरात	20	166	356
7.	हरियाणा	471	394	2078
8.	हिमाचल प्रदेश	124	39	250
9.	जम्मू व कश्मीर	—	2472	2471
10.	कर्नाटक	1124	4212	3083
11.	केरल	423	1900	1601
12.	मध्य प्रदेश	1807	5800	8038
13.	महाराष्ट्र	1856	3274	6354
14.	मणिपुर	193	50	359
15.	मेघालय	63	1875	623
16.	मिजोरम	243	176	302
17.	नागालैंड	40	309	4119
18.	उड़ीसा	352	226	199
19.	पंजाब	301	2605	3215
20.	राजस्थान	2551	10710	3735
21.	सिक्किम	06	01	03
22.	तमिलनाडु	164	1013	1629
23.	त्रिपुरा	—	01	20
24.	उत्तर प्रदेश	1306	620	7745
25.	पश्चिमी बंगाल	1513	6011	781
26.	अंडमान एवं निकोबार	29	29	25
27.	दिल्ली	84	39	37
28.	चंडीगढ़	01	19	—
29.	दादरा एवं नगर हवेली	01	—	06
30.	पांडिचेरी	824	10	59
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	दमण व दीव	—	—	—
33.	छत्तीसगढ़	—	—	79
34.	झारखंड	—	—	6
35.	उत्तरांचल	—	—	44
	योग	14707	44279	53919
			*1212	
			45491	

*पहले शामिल नहीं किया गया था।

दमन और दीव की परियोजनाएं गुजरात राज्य में शामिल की गई।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना

***330. श्री रामप्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिये देश में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां से आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) वर्तमान में आयुर्वेद में की जा रही अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) अस्पतालों की स्थापना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है क्योंकि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अस्पतालों की स्थापना करती है। यह उनकी प्राथमिकताओं और वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले एक राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल की नई दिल्ली में स्थापना करने के लिए एक योजना की परिकल्पना की

है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित अस्पताल के लिए भूमि की पेशकश की है। इस परियोजना की लागत प्रस्तावित परियोजना के प्रत्याशित भागीदारी से प्राप्त होने वाली अनुक्रियाओं पर निर्भर करेगी।

(ङ) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के नैदानिक, औषध से संबंधित और साहित्यिक पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है। उन्होंने मलेरिया, सन्धिशोथ, (अर्थराइटिस), पेप्टिक अल्सर, दमे, मधुमेह और कई अन्य रोगों के उपचार के लिए नैदानिक अनुसंधान चलाया है और मलेरिया के लिए आयुष-64, मिर्गी के लिए आयुष-56 और मधुमेह के लिए आयुप-82 को तैयार किया है। 15 प्रक्रियाएं और 3 उत्पाद पेटेंट भी प्राप्त किए गए हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी अनुसंधान अध्ययन चलाए हैं और कुछ भा०चि०प० एवं होम्योपैथी औषधों पर नैदानिक परीक्षण किए हैं। यह विभाग आयुर्वेद में बाह्य (एक्सट्रामुरल) अनुसंधान के लिए भी वित्त-पोषण कर रहा है।

[हिन्दी]

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

*331. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री अनन्त नायक :

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकार द्वारा कितने टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृत वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ विदेशों से क्या वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्राप्त की गई/प्राप्त की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) देश में इस समय 23 भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस०टी०पी०आई०) केन्द्र कार्य कर रहे हैं। एस०टी०पी०आई० केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस०टी०पी०आई०), जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, वर्ष 2001-2002 के दौरान 21 और एस०टी०पी०आई० केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

(ग) नए एस०टी०पी०आई० केन्द्रों की स्थापना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2001-2002 के योजनागत बजट में 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन से विदेश के किसी भी देश से कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता नहीं ली गई है।

विवरण

क्रम सं०	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
3.	बंगलौर	कर्नाटक
4.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
5.	चेन्नै	तमिलनाडु
6.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
7.	गांधीनगर	गुजरात
8.	गुवाहाटी	असम
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	इंदौर	मध्यप्रदेश
11.	जयपुर	राजस्थान
12.	मोहाली	पंजाब
13.	मैसूर	कर्नाटक
14.	मणिपाल	कर्नाटक
15.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
16.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
17.	पुणे	महाराष्ट्र
18.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
19.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
20.	तिरुवनन्तपुरम	केरल
21.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश
22.	हुबली	कर्नाटक
23.	मंगलूर	कर्नाटक

पुराने पोतों की खरीद

*332. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोत परिवहन निगम ने मैसर्स सिंधिया वास्प शिपिंग कंपनी लिमिटेड से पुराने पोत खरीदे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन पोतों की खरीद से पहले उनकी लागत और उनकी प्रचालन अवधि के संबंध में कोई अनुमान लगाया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पोतों की मरम्मत पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई तथा इसमें हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) 4.355 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत पर दो पुराने पोत एम०वी० जल गौरी (जिसका नाम बदल कर एम०वी० वीर सावरकर रखा गया) और एम०वी० जल गोविन्द (जिसका नाम बदलकर त्रिम्बकेश्वर रखा गया) खरीदे गए थे। भारतीय नौवहन निगम (एस०सी० आई०) ने इन जलयानों का अधिग्रहण बाजार संबंधी अपने ज्ञान के आधार पर और भारतीय नौवहन निगम की आठवीं पंचवर्षीय योजना में दर्शाई गई सामान्य कार्गो जलयानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय नौवहन निगम ने पोतों का अधिग्रहण करने से पहले पोतों की लागत और उनकी प्रचालनात्मक आयु के बारे में अनुमान लगा लिया था। एम०वी० जल गोविन्द (जिसका नाम बदलकर एम०वी० त्रिम्बकेश्वर रखा गया) की मरम्मत की वास्तविक लागत 5.85 करोड़ रु० थी और एम०वी० जल गौरी (जिसका नाम बदलकर एम०वी० वीर सावरकर रखा गया) की मरम्मत की वास्तविक लागत 5.30 करोड़ रु० थी। भारतीय नौवहन निगम को इन जलयानों के प्रचालन में हानि हुई जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(लाख रु०)

वर्ष	एम०वी० त्रिम्बकेश्वर	एम०वी० वीर सावरकर
1994-95	274	207
1995-96	34	209
1996-97	116	21
1997-98	1169	381
1998-99	316	255
जोड़	1909	1073

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) इस समय इस मामले की जांच कर रहा है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर लाइसेंस

*333. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए सेल्यूलर लाइसेंसों को प्रवेश शुल्क से मुक्त (जीरो इंट्री फी) करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कार्यरत सेल्यूलर कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बोली लगाने के वर्तमान चक्र में किसी भी कंपनी ने इन सर्किलों को बोली लगाने हेतु आकर्षक नहीं पाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सर्किलों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार दूरसंचार सर्किलों में वर्तमान प्रचालकों (लाइसेंसधारियों) के नाम निम्नानुसार हैं :–

क्र० सं०	दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र	कम्पनी का नाम
1.	पश्चिम बंगाल	रिलांयस टेलीकॉम (प्रा०) लि० भारत संचार निगम लि०
2.	उड़ीसा	रिलांयस टेलीकॉम (प्रा०) लि० भारत संचार निगम लि०
3.	बिहार	रिलांयस टेलीकॉम (प्रा०) लि० भारत संचार निगम लि०

(घ) और (ङ) यह सच है कि बोली लगाने के वर्तमान चक्र में अंडमान एवं निकोबार, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किलों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। इसलिए दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी०आर०ए०आई०) से सिफारिशें मांगने का निर्णय लिया। ट्राई की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मूत्र चिकित्सा (यूरिन थेरेपी)

*334. **श्री अमर रायप्रधान :**
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनता को मूत्र चिकित्सा (यूरिथेरेपी) के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो देश में यह कितनी लोकप्रिय है;

(ग) क्या एड्स, कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों का इलाज गोमूत्र पिलाकर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस चिकित्सा को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) यह ज्ञात है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मूत्र चिकित्सा की जा रही है। तथापि, मूत्र चिकित्सा की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं ने मूत्र चिकित्सा द्वारा रोगमुक्ति तथा लक्षणों में कमी होने का दावा किया है परन्तु ये परिणाम वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए हैं।

(ङ) इस चिकित्सा को बढ़ावा देने से पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है।

लंबी दूरी के कॉल क्षेत्र को खोलना

*335. **श्री एन०एन० कृष्णदास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंबी दूरी के कॉल क्षेत्र (लांग डिस्टैंस कॉल सेक्टर) को खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान सरकारी क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1 अप्रैल, 2002 से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं। ये सिफारिशें अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार मांगी गई थीं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय वॉयस ट्रैफिक में प्रतिस्पर्धा शुरू होने की आशा की जाती है कि सरकारी क्षेत्र, उपभोक्ताओं को अधिक वहनीय दरों पर तुलनात्मक रूप से अधिक दक्ष एवं बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें

- सेवा प्रदाताओं का अप्रतिबंधित प्रवेश।
- लाइसेंसधारी द्वारा सभी धारक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- 25 करोड़ रुपए का प्रवेश शुल्क।
- आवेदक कंपनी की निवल परिसम्पत्ति: 25 करोड़ रुपए।
- 25 करोड़ रुपए की कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी।
- वार्षिक लाइसेंस शुल्क-समायोजित सकल राजस्व (ए०जी०आर०) का 15%।
- 20 वर्ष की लाइसेंस अवधि।
- रॉल आऊट दायित्व:
  - लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के तीन वर्षों के भीतर देश के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् पूर्व, पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में एक-एक प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेन्स (पी०ओ०पी०) अर्थात् कम-से-कम चार पी०ओ०पी० स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
  - लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के तीन वर्षों के भीतर उत्तरी अमेरिका, खाड़ी क्षेत्र और यूरोप तक एक-एक तथा दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व और ओशनिया में किसी एक स्थान तक एक अर्थात् कम-से-कम चार सीधे मार्गों के माध्यम से विश्व में सभी देशों तक ट्रैफिक की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आई०एल०डी०) नेटवर्क का इंटरकनेक्शन: अभिगम्यता प्रदाता (एक्सेस प्रोवाइडर) को अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक (आई०एल०डी०ओ०) से ऐसी स्थितियों में सीधे इंटरकनेक्शन की अनमित दी जाए जहां आई०एल०डी० गेटवे स्विच और अभिगम्यता प्रदाता के गेटवे स्विच (जी०एम०एस०सी०/ट्रांजिट स्विच) एक ही केंद्र पर अवस्थित हैं।
- दो किस्म की गुणवत्ता वाली सेवाओं की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

घटिया किस्म का 'मिनरल वॉटर'

*336. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्तूबर, 2001 के 'दैनिक जागरण' में "सब-स्टैण्डर्ड मिनरल वाटर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर रेलवे स्टेशनों पर और राजधानी में, बेचा जा रहा 'मिनरल वॉटर' सामान्यतया घटिया किस्म का होता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा 'मिनरल वॉटर' के नाम पर सादा पानी बेचने के कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है/की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और रेल मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :–

क्रम सं०	वर्ष	जांचे गए खनिज जल के नमूनों की संख्या	मिलावटी पाए गए खनिज जल के नमूनों की संख्या
1. रेलवे	1999-2000	3069	292
	2000-2001	3065	245
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1999-2000	35	3
	2000-2001	18	1

मिलावटी पाए गए उत्पादों के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में अभियोजन चलाए जाते हैं।

खनिज जल के लिए मानकों को संशोधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अब इस उत्पाद का विनिर्माण, इसकी बिक्री अथवा बिक्री के लिए इसकी प्रदर्शनी केवल भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न (सर्टिफिकेशन मार्क) के अंतर्गत ही की जा सकती है जिसके लिए विनिर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। इससे इस उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा।

पैकेट बंद (पैकेजड्) पेय जल के विनिर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी तक 325 लाईसेंस जारी किए हैं। देश में प्राकृतिक खनिज जल के विनिर्माण और इसकी बिक्री के लिए लाईसेंस केवल तीन विनिर्माताओं ने ही लिया है। फ्रांस के एक विनिर्माता को भारत में बेचने के लिए प्राकृतिक खनिज जल के विनिर्माण हेतु लाईसेंस जारी किया गया है।

उपरोक्त स्कीम के साथ खनिज जल के विनिर्माताओं की संख्या में बहुत कमी आई है।

भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के अलावा इन उत्पादों की जांच खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है और यदि ऐसे नमूने मिलावटी पाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन अभियोजन शुरू किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय पोत परिवहन निगम का विस्तार

*337. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोत परिवहन निगम (एस०सी०आई०) का अपनी सेवाओं में विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पोत परिवहन निगम द्वारा दी जा रही वर्तमान सेवाओं को भी अप्रभावी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो एस०सी०आई० द्वारा अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) एस०सी०आई० को गत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ/घाटा हुआ; और

(च) अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों का भारतीय पोत परिवहन कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम तटीय फीडर प्रचालन में शामिल होने और भारत/यू०के० महाद्वीप क्षेत्र में प्रचालित की जा रही अपनी मौजूदा कंटेनर सेवा का स्तर बढ़ाने की भी योजना बना रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्ष के दौरान कर पश्चात् लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	(करोड़ रु०)
1998-99	201.39
1999-2000	161.61
2000-2001	382.56

(च) अमरीका में आतंकवादी हमले के परिणामस्वरूप भाड़े की दरों में कमी के रुख और जलयानों की बीमा किस्तों में वृद्धि के कारण भारतीय परिवहन नौवहन कंपनियों की लाभकारिता में कमी आ सकती है।

[हिन्दी]

मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या

*338. **श्री पी०आर० खुंटे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हैल्थ प्रोग्राम) के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि दी गई और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या इसमें हुए व्यय की निगरानी किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण मां और शिशु की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधियों और राज्यों द्वारा उसके अधीन सूचित किए गए व्यय का एक विवरण संलग्न है। इस कार्यक्रम के लिए किए गए व्यय की स्थिति की परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि मातृ मृत्यु अनुपात जो 1997 में प्रति 100000 जीवित जन्मों पर 408 था, मामूली कम हो कर 1998 में 407 रह गया। 1996, 1997 और 1998 के वर्षों में बाल मृत्यु दर के प्रति 1000 बच्चों (0-4 वर्ष) पर क्रमशः 23.9, 23.1 और 22.5 होने का अनुमान था।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन नवजात और मातृ मृत्यु दरों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। बाल मृत्यु दर में कमी करने के लिए संगत उपायों में छह वैक्सीन निवार्य रोगों से रोग प्रतिरक्षण, अतिसारीय और तीव्र श्वसनी संक्रमणों के रोगियों का उपयुक्त उपाचार प्रबन्ध, अनिवार्य नवजात परिचर्या की व्यवस्था, मात्र स्तन्यपान और उपयुक्त अनुपूरक आहार प्रचलनों का समर्थन करके बच्चों की पोषणिक स्थिति को बढ़ावा देना और विटामिन ए और आयरन की कमी से बचाव शामिल है।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, गर्भावस्था की जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं के लिए पंचायतों के जरिए रेफरल परिवहन व्यवस्था, प्रथम रेफरल यूनिटों पर औषधों और उपकरणों की व्यवस्था, अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्टाफ नर्सों, डाक्टरों और संज्ञाहरण विज्ञानियों जैसे संविदात्मक स्टाफ की व्यवस्था करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे की प्रसव सेवाएं जैसी स्कीमों के लिए निधियां भी प्रदान की जा रही हैं। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षित बुनियादी औषधें और उपकरण उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्रथम रेफरल यूनिटों को किटों के रूप में नियमित रूप से प्रदान किए जा रहे हैं।

विश्व बैंक की सहायता से प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। अल्पसेवित क्षेत्रों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आउटरीच स्कीम शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत 2000-01 में 50 जिलों को आउटरीच सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए गए। इस स्कीम का 2001-02 के दौरान 101 और जिलों को कवर करने हेतु विस्तार किया गया है।

30 प्रतिशत से कम की सुरक्षित प्रसव दर वाले 142 जिलों में दाइयों के प्रशिक्षण की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

2000-01 के दौरान कार्यक्रम के अधीन सेवाओं की प्रदानगी में सुधार करने के लिए अल्प उपयोग वाले स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने हेतु अपेक्षाकृत कमजोर स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे और सेवा प्रदानगी पद्धतियों वाले 102 जिलों की पहचान की गई है। इस स्कीम का 2001 02 के दौरान और 74 जिलों को कवर करने हेतु विस्तार किया गया है।

विवरण

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – विमुक्त की गई निधियों और सूचित किए गए व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-00		2000-01		कुल	
		विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	764.77	224.45	2,081.76	1,108.50	1,633.68	1,039.41	4,480.21	2,372.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	334.95	121.86	155.24	246.90	177.09	93.22	667.28	461.98
3.	असम	295.29	168.16	698.14	574.96	473.54	305.69	1,466.97	1,048.81
4.	बिहार	761.74	524.50	399.88	892.72	2,844.70	1,617.02	4,006.32	3,034.24
5.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00
6.	गोवा	36.40	1.83	41.15	44.54	26.82	16.12	104.37	62.49
7.	गुजरात	902.23	144.00	813.12	289.68	1,046.51	430.13	2,761.86	863.81
8.	हरियाणा	656.50	380.85	829.25	701.06	1,646.18	1,060.76	3,131.93	2,142.61
9.	हिमाचल प्रदेश	469.64	151.45	340.64	232.73	477.54	494.36	1,,287.82	878.52
10.	जम्मू व कश्मीर	152.79	46.53	386.79	213.77	569.48	220.06	1,109.06	480.36
11.	कर्नाटक	465.10	58.85	500.37	510.20	1,645.46	818.88	2,610.93	1,387.93
12.	केरल	820.57	178.85	695.31	606.11	1,241.15	733.49	2,757.03	1,518.45
13.	मध्य प्रदेश	1,365.50	646.51	2,014.08	2,178.61	3,440.11	1,139.94	6,819.69	3,965.06
14.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	314.10	0.00	314.10	0.00
15.	महाराष्ट्र	820.28	685.00	1,616.94	1,152.29	998.67	621.75	3,435.89	2,459.04
16.	मणिपुर	90.70	87.53	507.87	203.07	406.02	261.74	1,004.59	552.34
17.	मेघालय	106.81	49.05	104.48	103.19	114.28	44.88	325.57	197.12
18.	मिजोरम	473.44	374.14	579.39	499.63	734.78	640.51	1,787.61	1,514.28
19.	नागालैंड	80.52	9.50	145.78	183.33	226.81	84.83	453.14	277.65
20.	उड़ीसा	580.97	377.75	1,145.36	104.71	1,696.24	187.32	3,422.57	669.78
21.	पंजाब	201.86	147.22	492.38	368.03	787.10	276.23	1,481.34	791.48
22.	राजस्थान	745.01	219.41	1,247.87	705.74	2,309.15	803.43	4,302.03	1,728.58
23.	सिक्किम	96.21	90.52	45.73	60.72	62.20	26.71	204.14	177.96
24.	तमिलनाडु	759.55	588.79	1,041.57	1,160.72	2,541.67	535.29	4,342.79	2,284.80
25.	त्रिपुरा	267.97	114.35	285.19	153.58	161.14	158.50	714.30	426.43
26.	उत्तर प्रदेश	3473.78	633.71	3,949.86	3,404.02	4,582.78	3,266.32	12,006.42	7,304.05
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	297.76	0.00	297.76	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	707.17	300.91	1,361.07	1,171.25	2,145.63	1,329.70	4,213.87	2,801.86
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	46.92	14.33	33.13	48.29	23.89	8.55	103.94	71.17
30.	चंडीगढ़	31.53	22.33	123.98	24.18	39.46	15.69	194.97	62.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दादरा व नगर हवेली	34.68	11.84	23.99	10.77	11.71	13.68	70.38	36.30
32.	दमण व दीव	27.49	1.35	32.05	23.83	4.86	1.02	64.41	26.19
33.	दिल्ली	188.20	54.70	106.77	112.46	327.56	28.17	622.53	195.33
34.	लक्षद्वीप	36.68	5.03	24.95	13.99	21.43	15.86	83.06	34.88
35.	पांडिचेरी	48.17	15.66	50.78	53.60	27.81	27.26	126.76	96.52
	योग	15,843.43	6,450.97	21,874.87	17,157.18	33,094.33	16,316.43	70,812.63	39,924.58

[अनुवाद]

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

*339. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत से नारियल जटा और नारियल जटा से बने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी विशेष योजनायें और परियोजनायें आरम्भ की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने नारियल जटा उद्योग से सम्बद्ध व्यक्तियों को तकनीकी जानकारी और डिजाइनों का प्रशिक्षण देने के लिए कोई अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु में नारियल जटा विकास अनुसंधान केन्द्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कॉयर बोर्ड ने, भारत से कॉयर तथा कॉयर उत्पादों के निर्यात के संवर्धन हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ हैं : प्रदर्शनियों/कैटलॉग शोज़ में भागीदारी, विदेश में उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉयर मेलों का आयोजन, निर्यातकों को आई०एस०ओ०-9000 प्रमाणन प्राप्त करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना आदि कॉयर क्षेत्र में छोटे निर्यातकों को बढ़ावा देने हेतु एक नई योजना "बाहरी विपणन विकास सहायता योजना" भी 2000-2001 से आरंभ की गई है।

(ख) और (ग) कॉयर बोर्ड द्वारा कॉयर उद्योग को अनुसंधान तथा विकास (आर० एंड डी०) सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान, एल्लेप्पी तथा सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ कॉयर टैक्नोलॉजी, बंगलौर दो संस्थान स्थापित किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सामुदायिक सूचना केन्द्र

*340. **श्री साहिब सिंह :** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में "सामुदायिक सूचना केन्द्र" शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रणाली की लागत और उपयोगिता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में इस प्रणाली को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रधान मंत्री जी के निर्देशों के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सात पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के ब्लॉक मुख्यालयों में 487 सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी०आई०सी०) स्थापित करने की एक परियोजना 220 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरू की गई है।

उक्त आठ राज्यों में 15 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से तीस सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी०आई०सी०) स्थापित करने की एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ कर दी गई है। इससे प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर 15 अगस्त, 2002 तक शेष 457 ब्लॉकों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी०आई०सी०) स्थापित करने का लक्ष्य है।

चूंकि इस परियोजना का कार्यान्वयन मिश्रित रूप में किया जा रहा है, इसलिए निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

रेडक्रॉस सोसाइटी को सहायता

3546. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने और केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) भारतीय रेडक्रास सोसायटी को पिछली तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1998-1999	29,45,000/-रु०
1999-2000	36,34,000/-रु०
2000-2001	38,05,000/-रु०

(ख) और (ग) थेलासेमिया रोगियों को मुफ्त रक्त आपूर्ति हेतु भारतीय रेड्क्रास सोसायटी नई दिल्ली का 5.25 लाख रुपए प्रतिमाह के आवर्ती अनुदान के लिए अनुरोध का प्रस्ताव सरकार (नाको) को हाल ही में प्राप्त हुआ है।

नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम

3547. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्वदेशी नाभिकीय ईंधन स्रोतों के आधार पर देश को दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय यह किस चरण में है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत के परमाणु विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भ से ही स्वदेशी नाभिकीय ईंधन स्रोतों के आधार पर देश को दीर्घा-वधि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रि-चरणीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

(ख) इन तीन चरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

चरण-I बिजली पैदा करने के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन से चलने वाले ताप रिएक्टरों (मुख्यत: दाबित भारी पानी रिएक्टर — पी०एच०डब्ल्यू०आरज) की स्थापना।

चरण-II बिजली पैदा करने के लिए प्लूटोनियम ईंधन से चलने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (एफ०बी०आर०) की स्थापना, प्राकृतिक यूरेनियम ब्लैन्केटों में प्लूटोनियम का उत्पादन।

चरण-III थोरियम के विशाल स्रोतों का उपयोग करने के लिए यूरेनियम 233/थोरियम ईंधन से चलने वाले रिएक्टरों की स्थापना करना ताकि पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा सके।

(ग) हम कार्यक्रम के दूसरे चरण में हैं, जो परमाणु विद्युत के उत्पादन के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना से संबंधित है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

3548. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बोर्डों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बोर्डों को खत्म करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड व्यवसायिक संगठन नहीं है। अत: लाभ/हानि सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

1. आंध्र प्रदेश केवीआईबी
ग्राम परारश्रमाला भवनम,
सं० 10-4-2 हुमायुनगर
हैदराबाद-500028.

2. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह केवीआईबी
उद्योग परिसर,
मिडिल प्वांइट
पोर्ट ब्लेयर-744101.

3. अरूणाचल प्रदेश केवीआईबी
उद्योग सदन, भूमि तल,
ईटानगर-791111.

4. असम केवीआईबी
चांदमारी
गुवाहाटी-781003.

5. बिहार केवीआईबी
महेश भवन,
गांधी मैदान (पूर्व)
पटना-800004.

6. चंडीगढ़ केवीआईबी
39, औद्योगिक क्षेत्र, फेज़-II
चंडीगढ़-160002.

7. दिल्ली केवीआईबी
पुरानी आईटीआई बिल्डिंग
1, कैनिंग लेन,
कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001.

8. गोआ, दमन और दीव
केवीआईबी
जनता हाउस, दूसरा तल
पणजी, गोआ-403001

9. गुजरात केवीआईबी
ग्राम निर्माण भवन
जूना वडाज,
अहमदाबाद-380013

10. हिमाचल प्रदेश केवीआईबी
क्लीव लैंड, चौड़ा मैदान
शिमला-171004.

11. हरियाणा केवीआईबी
एससीओ सं० 841 कालका
रोड एनएसी, मनीमाजरा
चंडीगढ़-160101.

12. जम्मू और कश्मीर केवीआईबी
पुराना सचिवालय,
श्रीनगर-190001.

13. कर्नाटक केवीआईबी
10, जास्मा भवन रोड़
बैंगलौर-56052.

14. केरल केवीआईबी
वांचियूर, ग्रामसौभाग्य
तिरूवनन्तपुरम-695035.

15. लक्षद्वीप केवीआईबी
कावारत्ती-682555
(यू०टी०)

16. मध्य प्रदेश केवीआईबी
चित्तौड़ कांपलैक्स जोन-I
महाराणाप्रताप नगर
भोपाल-462011.

17. महाराष्ट्र केवीआईबी
9/12, मनोहरदास स्ट्रीट
भाटिया बालरक्षक विद्यालय,
फोर्ट, मुम्बई-400001.

18. मणिपुर केवीआईबी
जिला कलैक्टर के कार्यालय
के उत्तर में लाम्फेलपट,
इम्फाल-795004.

19. मेघालय केवीआईबी
निचला लाचूमियरे, मंदिरमार्ग
शिलांग-793001.

20. मिजोरम केवीआईबी
डी० जैरमा बिल्डिंग,
जरकॉवट आइजोल,
मिजोरम-796001.

21. नागालैंड केवीआईबी
नया सचिवालय कांपलैक्स
के निकट
कोहिमा-797001.

22. उड़ीसा केवीआईबी
खरवेला नगर, यूनिट-III
भुवनेश्वर-751001.

23. पांडिचेरी केवीआईबी
प्लॉट सं० 1-2, कामराज
सलाज नया सारम
पांडिचेरी-60501

24. पंजाब केवीआईबी
एससीओ न० 2429-30
सैक्टर-22-सी,
चंडीगढ़

25. राजस्थान केवीआईबी
जवाहरलाल नेहरू मार्ग
टेलीफोन एक्सचेंज के
निकट बजाज नगर सर्किल
जयपुर-302017.

26. सिक्किम केवीआईबी
देओराली गंगटोक
पूर्वी सिक्किम 737102.

27. तमिलनाडु केवीआईबी
कुरलागाम, 5वां तल
चेन्नई-600108.

28. त्रिपुरा केवीआईबी
कर्नल चौमूहानि
जिला त्रिपुरा (पश्चिम)

29. उत्तर प्रदेश केवीआईबी
ग्रामोद्योग भवन,
8 तिलक मार्ग,
लखनऊ-226001.

30. पश्चिम बंगाल केवीआईबी
12 बी०बी०डी० बाग,
कोलकाता-700001.

सरकारी कार्यालयों द्वारा मदों की खरीद

3549. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी विभाग ऐसे विनिर्माताओं/उनके डीलरों से सीधे सामान खरीदते हैं जिनकी डी०जी०एस० एंड डी० दर संविदा समाप्त हो गई है और उसका नवीरकण नहीं किया गया है जैसे भारत संचार निगम लि० द्वारा दिल्ली के बाहर चेन्नई से कम्प्यूटर खरीदे गए और फिलिप्स ट्यूबलाइट जिसके संबंध में 2001 के दौरान डी०जी०एस० एंड डी०आर०सी० मूल्य संविदा नहीं दी गई है और केन्द्रीय भण्डार दिल्ली द्वारा डी०जी०एस० एंड डी०आर०सी० मूल्य का अभी तक अनुमोदन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने डी०जी०एस० एंड डी० से पृछा है कि क्या वह सरकारी कार्यालयों द्वारा अपेक्षित संविदा मूल्य दरों पर मदें उपलब्ध करा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, सामान्यत: वर्तमान दर संविदाओं के समाप्त होने से पहले ही नई दर-संविदाएं कर लेता है। यदि किसी वस्तु की वर्तमान दर संविदा समाप्त हो जाए, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियोंवश, नई दर-संविदा नहीं की जा सकी हो तो सरकारी विभाग, वह वस्तु अपनी ही व्यवस्था

के अनुसार खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम होने के कारण भारत-संचार-निगम-लिमिटिड, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं है।

इसी प्रकार, एक सरकारी विभाग नहीं होने के कारण, केन्द्रीय भण्डार की अपनी ही क्रय-प्रणाली है। इसकी उन वस्तुओं की अपनी ही अनुमोदित दरें हैं, जिनकी ग्राहकों द्वारा प्राय: मांग की जाती है, चाहे वे वस्तुएं आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय की दर-संविदा में हों या नहीं हों।

(ग) और (घ) आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय के माध्यम से आपूर्ति किए जाने की संभावना की जांच की जा रही है।

मुक्त व्यापार समझौता

3550. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश ने कितने 'सार्क' देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफ०टी०ए०) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या हस्ताक्षर करने के पश्चात् आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने और निवेश बढ़ाने में कोई सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह के समझौते पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृत्रिम हृदय वाल्व

3551. **श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय वाल्व विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे परीक्षण के दौरान उपयुक्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो देश में उक्त कृत्रिम हृदय वाल्व की अनुमति लागत कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा हृदय रोगियों के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर उक्त वाल्व के विनिर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी०ठाकुर) : (क) से (घ) श्री चित्रा आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सहयोग से चित्रा वाल्व नामक एक स्वदेशी हृदय वाल्व विकसित किया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने इस प्रौद्योगिकी के वाणिज्यक दोहन हेतु इस प्रौद्योगिकी को मैसर्स टी०टी० के फार्मा को हस्तांतरित कर दिया है। सफल नैदानिक परीक्षणों के बाद लगभग 14,000-16,000 रु० लागत वाला चित्रा वाल्व को देश भर के 5000 से अधिक रोगियों में प्रत्यारोपित किया गया है।

[अनुवाद]

डिजीटल ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज

3552. **श्री टी० गोविन्दन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डिजीटल ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० से संबंधित ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में है।

विवरण-I

31.10.2001 की स्थिति के अनुसार चालू ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों की स्थिति

सर्किल	क्र० सं०	स्थान	टाइप	क्षमता (केसी में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1.	आदिलाबाद	टीएएक्स-एक्सएल	5.5
	2.	अनंतपुर	ईडब्ल्यूएसडी	8.5
	3.	कुडप्पा	टीएएक्स-एक्सएल	4.0
	4.	एलुरू	ईडब्ल्यूएसडी	8.0
	5.	गुन्टूर	ईडब्ल्यूएसडी	11.5
	6.	हैदराबाद	ईएलटी	9.0
	7.	हैदराबाद	ओसीबी-283	31.0
	8.	हैदराबाद	ईडब्ल्यूएसडी	20.0

1	2	3	4	5
	9.	करीमनगर	ईडब्ल्यूएसडी	6.5
	10.	कुरनूल	टीएएक्स-एक्सएल	7.0
	11.	खम्माम	ईडब्ल्यूएसडी	5.0
	12.	महबूबनगर	टीएएक्स-एक्सएल	3.5
	13.	नालगोंडा	टीएएक्स-एक्सएल	6.5
	14.	नेल्लोर	ओसीबी-283 एल/टी	7.0
	15.	निजामाबाद	टीएएक्स-एक्सएल	4.0
	16.	ओंगल	टीएएक्स-एक्सएल	4.0
	17.	राजमुन्दरी	ओसीबी-283	9.5
	18.	सांगारेड्डी	टीएएक्स-एक्सएल	4.5
	19.	श्रीकाकुलम	सीएलटी	4.0
	20.	तिरूपति	ईडब्ल्यूएसडी	8.0
	21.	विजयवाड़ा	ओसीबी-283	14.0
	22.	विशाखापट्टनम	ईडब्ल्यूएसडी	9.0
	23.	विजयनगरम	ईडब्ल्यूएसडी	6.0
	24.	वारंगल	ईडब्ल्यूएसडी एल/टी	5.5
			जोड़	201.5
असम	1.	बोंगाईगांव	सीएलटी	2.0
	2.	गुवाहाटी	ओसीबी-283	8.0
	3.	गुवाहाटी	ओसीबी-283	5.0
	4.	जोरहाट	ईएलटी	3.0
	5.	जोरहाट	ओसीबी-283	5.0
	6.	नवगांव	सीएलटी	2.0
	7.	सिलचर	ओसीबी-283	3.0
	8.	तेजपुर	ओसीबी-283 एल/टी	2.0
	9.	तिनसुकिया	ईएलटी	3.5
			जोड़	33.5
बिहार	1.	आरा	सीएलटी	3.5
	2.	भागलपुर	सीएलटी	3.0
	3.	भागलपुर	ओसीबी-283	5.0
	4.	छपरा	सीएलटी	3.0
	5.	दरभंगा	ईएलटी	5.0
	6.	दरभंगा	ईडब्ल्यूएसडी	5.0
	7.	गया	ईएलटी	4.0
	8.	हाजीपुर	ओसीबी-283 एल/टी	3.0
	9.	कटिहार	सीएलटी	3.0
	10.	खगड़िया	सीएलटी	2.0
	11.	मुंगेर	इएलटी	2.0
	12.	मोतीहारी	सीएलटी	[illegible]
	13.	मुजफ्फरपुर	इएलटी	3.0
	14.	मुजफ्फरपुर	टीएक्स-एक्सएल	6.0
	15.	पटना	ईएलटी	6.0
	16.	पटना	ओसीबी-283	15.0
	17.	पटना	ईडब्ल्यूएसडी	9.0
	18.	सासाराम	ओसीबी-283 एल/टी	2.0
	19.	सहरसा	सीएलटी	2.0
			जोड़	84.5
झारखंड	1.	डाल्टनगंज	सीएलटी	2.5
	2.	धनबाद	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	3.	दुमका	सीएलटी	3.5
	4.	हजारीबाग	सीएलटी	2.0
	5.	जमशेदपुर	ओसीबी-283 एल/टी	6.0
	6.	रांची	ईएलटी	3.0
	7.	रांची	ईडब्ल्यूएसडी	10.0
			जोड़	32.0
गुजरात	1.	अहमदाबाद	ईडब्ल्यूएसडी	34.0
	2.	अहमदाबाद	ओसीबी-283	8.0
	3.	अमरेली	सीएलटी	3.0
	4.	अमरेली	टीएक्स-एक्सएल	3.0
	5.	आनंद	ओसीबी-283	8.0
	6.	बड़ौदा	ओसीबी-283	14.0

1	2	3	4	5
	7.	भड़ूच	टीएक्स-एक्सएल	6.0
	8.	भावनगर	ओसीबी-283	6.0
	9.	भुज	ओसीबी-283	6.0
	10.	गोधरा	टीएक्स-एक्सएल	4.0
	11.	हिम्मतनगर	टीएक्स-एक्सएल	4.0
	12.	जामनगर	टीएक्स-एक्सएल	6.5
	13.	जूनागढ़	ओसीबी-283	7.0
	14.	मेहसाना	ओसीबी-283	10.0
	15.	पालनपुर	टीएक्स-एक्सएल	5.0
	16.	राजकोट	ओसीबी-283	16.0
	17.	सूरत	ईडब्ल्यूएसडी	21.0
	18.	सुरेन्द्रनगर	टीएक्स-एक्सएल	4.0
	19.	वलसाड	ओसीबी-283	9.0
			जोड़	174.5
हरियाणा	1.	अम्बाला	ओसीबी-283	15.0
	2.	फरीदाबाद	ईडब्ल्यूएसडी	10.0
	3.	गुड़गांव	ईडब्ल्यूएसडी	9.0
	4.	हिसार	ओसीबी-283	7.0
	5.	जीन्द	टीएक्स-एक्सएल/टी	2.5
	6.	करनाल	ईडब्ल्यूएसडी	8.0
	7.	रेवाड़ी	टीएक्स-एक्सएल एल/टी	2.0
	8.	रोहतक	ओसीबी-283	6.0
	9.	सोनीपत	टीएक्स-एक्सएल/टी	3.5
			जोड़	63.0
हिमाचल प्रदेश	1.	धर्मशाला	ओसीबी-283 एल/टी	3.0
	2.	हमीरपुर	सीएलटी	1.0
	3.	कुल्लू	सीएलटी	1.0
	4.	मन्डी	ओसीबी-283 एल/टी	3.0
	5.	शिमला	ईएलटी	3.5
	6.	शिमला	ओसीबी-283 एल/टी	6.0
	7.	सोलन	ओसीबी-283 एल/टी	3.0
			जोड़	20.5
जम्मू-कश्मीर	1.	जम्मू	ईएलटी	2.0
	2.	जम्मू	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	3.	लेह	सीएलटी	0.5
	4.	राजौरी	सीएलटी	1.0
	5.	श्रीनगर	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	6.	उधमपुर	सीएलटी	3.0
			जोड़	16.5
कर्नाटक	1.	बंगलोर	ओसीबी-283	30.0
	2.	बंगलोर	ओसीबी-283	18.5
	3.	बेलगाम	ओसीबी-283	8.0
	4.	बेलारी	टीएक्स-एक्सएल एल/टी	5.0
	5.	बिदार	सीएलटी	2.5
	6.	बीजापुर	ओसीबी-283	6.0
	7.	चिकमंगलूर	टीएक्स-एक्सएल एल/टी	4.0
	8.	देवनगर	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	9.	गुलबर्गा	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	10.	हसन	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	4.0
	11.	हुबली	ओसीबी-283	12.0
	12.	करवर	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	5.0
	13.	कोलार	टीएएक्स-एक्सएल	4.0
	14.	मंगलोर	ओसीबी-283	17.0
	15.	मेड़ीचेरी	टीएक्स-एक्सएल एल/टी	3.0
	16.	मैसूर	ओसीबी-283	9.0
	17.	मांडया	टीएक्स-एक्सएल एल/टी	3.5
	20.	रायचुर	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	5.5
	19.	शिमोगा	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	20.	तुमकुर	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	4.0
			जोड़	156.0

1	2	3	4	5
केरल	1.	ऐल्लप्पी	ओसीबी	11.5
	2.	कालीकट	ओसीबी-283	22.0
	3.	कन्नानूर	ओसीबी-283	20.0
	4.	एर्नाकुलम	ओसीबी-283	35.0
	5.	कोट्टायम	ओसीबी-283	19.0
	6.	पालघाट	ओसीबी-283	12.0
	7.	पट्टनमथिट्टा	ईएलटी	3.0
	8.	किलोन	ओसीबी-283	19.0
	9.	तिरूवल्ल	ओसीबी-283	12.0
	10.	त्रिचुर	ओसीबी-283	19.0
	11.	त्रिवेन्द्रम	ओसीबी-283	22.0
			जोड़	194.5
मध्य प्रदेश	1.	बालाघाट	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	3.5
	2.	बेतूल	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.5
	3.	भोपाल	ओसीबी-283	20.0
	4.	छत्रपुर	सीएलटी	2.5
	5.	छिंदवाड़ा	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	4.5
	6.	दमोह	सीएलटी	1.5
	7.	देवास	ओसीबी-283 एल/टी	3.0
	8.	धार	सीएलटी	3.0
	9.	गुना	सीएलटी	2.5
	10.	ग्वालियर	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	11.	ग्वालियर	ओसीबी-283	6.0
	12.	इन्दौर	ईडब्ल्यूएसडी	18.0
	13.	इटारसी	सीएलटी	3.5
	14.	जबलपुर	ओसीबी-283	8.0
	15.	झाबुआ	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.5
	16.	खांडवा	सीएलटी	3.0
	17.	खरगोन	सीएलटी	3.0
	18.	मांडला	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.0
	19.	मंदसौर	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	5.0
	20.	मुरैना	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.5
	21.	नरसिंहपुर	सीएलटी	2.5
	22.	पन्ना	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.5
	23.	राजगढ़ (बिओरा)	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.0
	24.	रायसेन	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	2.0
	25.	रतलाम	टीएएक्स-एक्सएल	3.0
	26.	रेवा	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	3.0
	27.	सागर	ईएलटी	2.5
	28.	सागर	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	3.5
	29.	सतना	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	3.0
	30.	सेवनी	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	2.5
	31.	शहडोल	सीएलटी	2.0
	32.	शाजापुर	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.5
	33.	शिवपुरी	सीएलटी	2.0
	34.	सीधी	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.0
	35.	उज्जैन	ईएलटी	3.0
	36.	उज्जैन	ओसीबी-283	4.0
	37.	विदिशा	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	2.5
			जोड़	138.0
छत्तीसगढ़	1.	अंबिकापुर (सिरगुजा)	सीएलटी	1.0
	2.	बिलासपुर	ईएलटी	4.0
	3.	बिलासपुर	टीएएक्स-एक्सएल	6.0
	4.	दुर्ग	ईएलटी	4.0
	5.	दुर्ग	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	6.	जगदलपुर (बस्तर)	सीएलटी	1.0
	7.	रायपुर	ईडब्ल्यूएसडी	14.0
	8.	रायपुर	ईएलटी	4.5
	9.	राजगढ़	सीएलटी	1.5
			जोड़	41.0

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	1.	अहमदनगर	ओसीबी-283	7.0
	2.	अकोला	ईएलटी	3.0
	3.	अकोला	टीएएक्स-एक्सएल	5.0
	4.	अमरावती	ईएलटी	4.0
	5.	औरंगाबाद	ईडब्ल्यूएसडी	6.0
	6.	बीड	सीएलटी	3.0
	7.	भंडारा	सीएलटी	3.0
	8.	भंडारा	टीएएक्स-एक्सएल	4.0
	9.	चन्द्रपुर	ईएलटी	5.0
	10.	धुलिया	ईएलटी	5.0
	11.	गड़चिरोली	सीएलटी	2.0
	12.	जलगांव	ओसीबी-283 एल/टी	6.0
	13.	जालना	सीएलटी	2.5
	14.	कल्याण	ओसीबी-283	17.0
	15.	खामगांव	सीएलटी	3.5
	16.	कोल्हापुर	ओसीबी-283	10.0
	17.	लातूर	सीएलटी	3.0
	18.	लातूर	टीएएक्स-एक्सएल	4.0
	19.	नागपुर	ओसीबी-283	18.0
	20.	नांदेड़	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	21.	नासिक	ओसीबी-283	11.0
	22.	उस्मानाबाद	सीएलटी	3.0
	23.	पंजिम	ओसीबी-283	12.0
	24.	परभनी	सीएलटी	4.0
	25.	पुणे	ओसीबी-283	24.0
	26.	पुणे	ईडब्ल्यूएसडी	18.0
	27.	पेन	टीएएक्स-एक्सएल	6.0
	28.	रत्नागिरि	टीएएक्स-एक्सएल	4.0
	29.	सामंतबाड़ी	सीएलटी	2.5
	30.	सांगली	टीएएक्स-एक्सएल	9.0
	31.	सतारा	ईएलटी	3.5
	32.	सतारा	ईडब्ल्यूएसडी	6.0
	33.	शोलापुर	ओसीबी-283 एल/टी	6.0
	34.	वर्धा	सीएलटी	2.5
	35.	यवतमाल	सीएलटी	4.5
			जोड़	232.0
एनई-I	1.	अगरतला	इएलटी	2.0
	2.	अगरतला	ओसीबी-283 एल/टी	4.0
	3.	ऐजवाल	ओसीबी-283 एल/टी	2.0
	4.	शिलांग	ओसीबी-283	5.0
			जोड़	13.0
एनई-II	1.	इम्फाल	इएलटी	2.5
	2.	इम्फाल	ओसीबी-283 एल/टी	3.0
	3.	ईटानगर	इएलटी	2.0
	4.	कोहिमा	सीएलटी	1.0
	5.	कोहिमा	ओसीबी-283 एल/टी	4.0
			जोड़	12.5
उड़ीसा	1.	बालासौर	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	4.0
	2.	बारीपाड़ा	सीएलटी	2.0
	3.	बेहरमपुर	ईएलटी	3.0
	4.	भवानीपटना	सीएलटी	2.5
	5.	भुवनेश्वर	इएलटी	4.5
	6.	भुवनेश्वर	इडब्ल्युएसडी	8.0
	7.	बोलनगिर	सीएलटी	2.5
	8.	कटक	इएलटी	6.0
	9.	कटक	ओसीबी-283	13.0
	10.	ढेंकानाल	इएलटी	1.5
	11.	ढेंकानाल	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.5
	12.	कोरापुट	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.5
	13.	फुलबानी	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	1.0
	14.	राउरकेला	ईएलटी	2.5
	15.	सम्भलपुर	ईएलटी	4.5
			जोड़	58.0

1	2	3	4	5
पंजाब	1.	अमृतसर	ईडब्ल्यूएसडी	13.5
	2.	भटिंडा	ओसीबी-283	8.0
	3.	चण्डीगढ़	ओसीबी-283	16.0
	4.	होशियारपुर	ई 10बी	3.5
	5.	होशियारपुर	ईडब्ल्यूएसडी	7.0
	6.	कोटकापुर	ईडब्ल्यूएसडी	11.0
	7.	कोटकापुर	ई 10बी	6.0
	8.	जालंधर	ओसीबी-283	19.0
	9.	लुधियाना	ओसीबी-283	20.0
	10.	पठानकोट	ईएलटी	4.0
	11.	पठानकोट	ईडब्ल्यूएसडी	6.0
	12.	पटियाला	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	13.	पटियाला	ओसीबी-283	10.0
	14.	रोपड़	ओसीबी-283 एल/टी	3.0
	15.	संगरूर	ओसीबी-283	9.0
			जोड़	141.0
राजस्थान	1.	अजमेर	इडब्ल्यूएसडी	6.0
	2.	अलवर	टीएएक्स-एक्सएल	5.0
	3.	बांसबाड़ा	सीएलटी	3.0
	4.	बाड़मेर	सीएलटी	1.5
	5.	भरतपुर	सीएलटी	3.5
	6.	भीलवाड़ा	ईडब्ल्यूएसडी एल/टी	4.0
	7.	बीकानेर	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	8.	बूंदी	सीएलटी	1.0
	9.	चित्तौड़गढ़	सीएलटी	2.0
	10.	चुरू	सीएलटी	3.0
	11.	जयपुर	ई-10बी	4.0
	12.	जयपुर	ओसीबी-283	26.0
	13.	जयपुर	ईडब्ल्यूएसडी	10.0
	14.	जैसलमेर	सीएलटी	1.0
	15.	झालावाड़	सीएलटी	1.0
	16.	झुनझुनू	टीएएक्स-एक्सएल	3.00
	17.	जोधपुर	ईडब्ल्यूएसडी	9.00
	18.	कोटा	ईडब्ल्यूएसडी एल/टी	6.0
	19.	नागौर	सीएलटी	3.0
	20.	पाली	टीएएक्स-एक्सएल एल/टी	5.0
	21.	सवाईमाधोपुर	टीएएक्स-एक्सएल	3.0
	22.	सीकर	टीएएक्स-एक्सएल	4.0
	23.	सिरोही	सीएलटी	3.0
	24.	एस०जी० नगर	टीएएक्स-एक्सएल	9.0
	25.	टोंक	सीएलटी	2.0
	26.	उदयपुर	ईडब्ल्यूएसडी एल/टी	5.0
			जोड़	130.0
तमिलनाडु	1.	कोयम्बटूर	ओसीबी-283	27.0
	2.	कुड्डालोर	टीएएक्स-एक्सएल	7.0
	3.	धरमपुरी	ओसीबी-283	6
	4.	इरोड	ईडब्ल्यूएसडी	12.0
	5.	कांचीपुरम	ओसीबी-283	9.5
	6.	करैकुडी	टीएएक्स-एक्सएल	6.0
	7.	मदुरै	ईडब्ल्यूएसडी	16.0
	8.	नागरकोयल	ओसीबी-283	6.0
	9.	ऊटी	सीएलटी	1.5
	10.	पॉण्डीचेरी	ओसीबी-283 एल/टी	4.5
	11.	सेलम	ईडब्ल्यूएसडी	17
	12.	थंजाउर	ओसीबी-283	13.0
	13.	तिररूनेलवेली	ओसीबी-283	11.0
	14.	त्रिची	ईडब्ल्यूएसडी	16.0
	15.	टुटिकोरिन	ईडब्ल्यूएसडी एल/टी	5.0
	16.	वेलोर	ओसीबी-283 एल/टी	8.0
	17.	विरूधनगर	ईडब्ल्यूएसडी	5.0
			जोड़	170.5
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1.	इलाहाबाद	ओसीबी-283 एल/टी	8.0
	2.	आजमगढ़	सीएलटी	3.5

1	2	3	4	5
	3.	बहराइच	सीएलटी	3.5
	4.	बलिया	सीएलटी	1.5
	5.	बांदा	सीएलटी	2.5
	6.	बाराबंकी	ओसीबी-283 एल/टी	2.5
	7.	बस्ती	ओसीबी-283 एल/टी	3.0
	8.	देवरिया	सीएलटी	2.0
	9.	इटावा	ओसीबी-283 एल/टी	4.0
	10.	फैजाबाद	ओसीबी-283 एल/टी	4.0
	11.	फरूखाबाद	सीएलटी	2.0
	12.	फरूखाबाद	ओसीबी-283 एल/टी	1.0
	13.	फतेहपुर	सीएलटी	1.5
	14.	गाजीपुर	सीएलटी	1.5
	15.	गोण्डा	सीएलटी	2.5
	16.	गोरखपुर	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	17.	हमीरपुर	सीएलटी	2.0
	18.	हरदोई	सीएलटी	1.5
	19.	जौनपुर	सीएलटी	3.0
	20.	झांसी	ईएलटी	3.0
	21.	झांसी	ओसीबी-283 एल/टी	5.5
	22.	कानपुर	ईएलटी	2.5
	23.	कानपुर	ईएलटी	8.0
	24.	कानपुर	ईडब्ल्यूएसडी	10.0
	25.	लखीमपुर	सीएलटी	3.0
	26.	लखनऊ	ओसीबी-283	6.5
	27.	लखनऊ	ओसीबी-283	22.0
	28.	मैनपुरी	ओसीबी-283 एल/टी	3.5
	29.	मऊ	सीएलटी	2.0
	30.	मिर्जापुरी	सीएलटी	2.5
	31.	ऊरई	सीएलटी	2.0
	32.	प्रतापगढ़	सीएलटी	2.0
	33.	रायबरेली	सीएलटी	2.0
	34.	शाहजहांपुर	सीएलटी	1.5
	35.	सीतापुर	सीएलटी	3.5
	36.	सुल्तानपुर	सीएलटी	2.0
	37.	उन्नाव	सीएलटी	2.0
	38.	वाराणसी	ओसीबी-283	12.00
			जोड़	150.0
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1.	आगरा	ओसीबी-283	16.5
	2.	अलीगढ़	ईएलटी	3.0
	3.	बदायूं	सीएलटी	2.0
	4.	बरेली	ईएलटी	1.5
	5.	बरेली	ईडब्ल्यूएसडी एल/टी	4.0
	6.	बिजनौर	सीएलटी	3.0
	7.	एटा	सीएलटी	1.0
	8.	गाजियाबाद	ओसीबी-283	18.0
	9.	मथुरा	ईएलटी	2.00
	10.	मेरठ	ईडब्ल्यूएसडी	10.00
	11.	मुरादाबाद	ओसीबी-283 एल/टी	5.0
	12.	मुजफ्फरनगर	ओसीबी-283	6.0
	13.	पीलीभीत	सीएलटी	1.0
	14.	रामपुर	सीएलटी	1.5
	15.	सहारनपुर	ईएलटी	2.0
	16.	सहारनपुर	ईडब्ल्यूएसडी	4.0
			जोड़	80.5
उत्तरांचल	1.	अल्मोड़ा	सीएलटी	2.5
	2.	देहरादून	ओसीबी-283	8.0
	3.	देहरादून	ओसीबी-283 एल/टी	6.0
	4.	हल्दवानी	ई-10बी	3.0
	5.	हरिद्वार	ईएलटी	2.0
	6.	हरिद्वार	ईडब्ल्यूएसडी	4.0
	7.	कोटद्वार	सीएलटी	1.5

1	2	3	4	5
	8.	नैनीताल	ओसीबी-283	6.0
	9.	श्रीनगर	सीएलटी	2.0
	10.	उत्तरकाशी (टिहरी)	सीएलटी	2.0
			जोड़	37.00
पश्चिम बंगाल	1.	आसनसोल	ओसीबी-283 एल/टी	9.0
	2.	बांकुड़ा	सीएलटी	3.5
	3.	बेरहमपुर	सीएलटी	3.5
	4.	कूचबिहार	सीएलटी	3.0
	5.	गंगटोक	सीएलटी	2.5
	6.	जलपाईगुड़ी	सीएलटी	2.5
	7.	खड़गपुर	ओसीबी-283 एल/टी	7.0
	8.	किशननगर	सीएलटी	2.0
	9.	माल्दा	ओसीबी-283	5.0
	10.	पुरूलिया	सीएलटी	2.5
	11.	रायगंज	सीएलटी	3.0
	12.	सिलीगुड़ी	ओसीबी-283 एल/टी	7.0
	13.	सूरी	सीएलटी	3.5
			जोड़	54.00
चेन्नई टेलीफोन जिला	1.	चेन्नई	ई-10बी	6.0
	2.	चेन्नई	ओसीबी-283	35.0
	3.	चेन्नई	ओसीबी-283	22.0
			जोड़	63.0
कोलकाता टेलीफोन जिला	1.	कोलकाता	ई-10बी	8.0
	2.	कोलकाता	ओसीबी-283	30.0
	3.	कोलकाता	ओसीबी-283	17.0
			जोड़	55.00

विवरण-II

सर्किल	क्र० सं०	स्थान	टाइप	क्षमता (केसी में)
एमटीएनएल मुम्बई	1.	गोरेगांव	ओसीबी-283	40.0
	2.	फाउन्टेन	ओसीबी-283	40.0
	3.	प्रभादेवी	ईडब्ल्यूएसडी	40.0
	4.	घाटकोपर	ओसीबी-283	20.0
			जोड़	140.0
एमटीएनएल दिल्ली	1.	जनपथ	ओसीबी-283	25.0
	2.	करोलबाग	ओसीबी-283	42.0
	3.	लोधी रोड	ओसीबी-283	40.0
	4.	लोधी रोड	ओसीबी-283	35.0
			जोड़	142.0

[हिन्दी]

पी०एम०आर०वाई० के अन्तर्गत आबंटित अनुदान

3553. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा० मदनप्रसाद जायसवाल :

क्या **कृषि और ग्रामीण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "प्रधानमंत्री रोज़गार योजना" के अन्तर्गत उड़ीसा और बिहार को आबंटित अनुदानों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों में इससे लाभान्वित युवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उड़ीसा और बिहार में निधियां बढ़ाकर इस योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना (पी०एमआर०वाई०) के तहत केन्द्रीय सरकार प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास इत्यादि के साथ-साथ आर्थिक सहायता हेतु फण्ड्स को रिलीज करती है। जबकि आर्थिक सहायता हेतु फण्ड्स के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है ताकि वह क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक हितग्राहियों को प्रदान किया जा सके, प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास इत्यादि हेतु फण्ड्स को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज किया जाता है। बदले में राज्य सरकारें इन फण्ड्स को अपने जिलों को आबंटित करती हैं। पी०एम०आर०वाई० के तहत (6.12.2001 तक) वर्ष 1993-94

से 2001-02 के बीच क्रमशः बिहार राज्य के लिए 509.55 लाख रु० तथा उड़ीसा राज्य के लिए 509.95 लाख रु० रिलीज़ किए जा चुके हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पी०एम० आर०वाई० के तहत (30.11.01 तक) वर्ष 1993-94 से 2001-2002 के बीच बिहार में 95516 युवाओं को तथा उड़ीसा में 55637 युवाओं को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) आज की तारीख में दोनों राज्यों ने पूर्व में रिलीज की गई राशि को खर्च नहीं किया है। तथापि, लक्ष्यों को बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकारों से यदि कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो आबंटित लक्ष्यों के साथ-साथ कार्य-निष्पादन को मद्देनज़र रखते हुए विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सी०जी०एच०एस० अस्पताल

3554. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी०जी०एच०एस० पात्र रोगियों को आवश्यक उपचार और औषधि उपलब्ध कराने के लिए भुवनेश्वर में सी०जी०एच०एस० अस्पताल खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दसवीं योजना में एन०ई०आर० हेतु विशेष अध्याय

3555. श्री एम०के० सुब्बा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के लिए क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु दसवीं योजना में पूर्वोत्तर के लिए विशेष अध्याय शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय पर सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृत्रिम जोड़

3556. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेहतर गुणवत्ता वाले कृत्रिम जोड़ों का विनिर्माण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी मात्रा में इन जोड़ों का अभी भी विदेशों से आयात किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इनके आयात पर व्यय को कम करने के लिए कृत्रिम जोड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (अलिम्को) देश में अन्य के साथ-साथ प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के अनुकूल उच्च गुणवत्ता के आर्थोटिक ज्वाइंटों (टखने के जोड़ों, घुटने के जोड़ों और नितम्ब के जोड़ों) का निर्माण करता है जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्य दूतावासों की स्थापना

3557. श्री पी० राजेन्द्रन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में विदेशी मिशनों के वाणिज्य दूतावासों की स्थापना करने हेतु कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) महोदय, स्थापित राजनयिक प्रथा के अनुसार भारत के किसी भी भाग में कौंसलावास की स्थापना करने के प्रस्ताव को सम्बद्ध विदेशी सरकारों द्वारा भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भंडार में अनियमितताएं

3558. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधान मंत्री** 18.04.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4765 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक पैसे वसूलने, घटिया गुणवत्ता का पेपर इत्यादि की आपूर्ति से संबंधित सरकारी विभागों से प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार का जुर्माना लगाया गया है; और

(ग) इसके पश्चात् केन्द्रीय भंडार द्वारा प्राप्त अन्य शिकायतों की संख्या और ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय भंडार ने अपने उन चार कर्मचारियों पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति लगाई है जो दोषी पाए गए। इसके अलावा, दो अन्य कर्मचारी अपनी तैनाती के मौजूदा स्थान से स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

(ग) 18.04.2001 से आज तक, केन्द्रीय भंडार को सरकारी विभागों से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

एस०सी०पी० और टी०एस०पी० के अंतर्गत निधियों का आबंटन

3559. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जिनमें से अधिकांश गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं का समग्र विकास हासिल करने के लिए 1978 से विशेष संघटक योजना और टी०एस०पी० के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती रही है;

(ख) यदि हां, तो एस०सी०पी०/टी०एस०पी० को शुरू करते समय अन्य मंत्रालयों/संगठनों के साथ-साथ उद्योग मंत्रालय को सम्बोधित प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 1980 के पत्र संख्या 280-पी०एम०ओ०/80 में निर्धारित एस०सी०पी० और टी०एस०पी० विशेष प्रकृति, क्षेत्र और इसके लक्ष्य ग्रुपों के अंतर्गत लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम तैयार/क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(ग) छठी, सांतवीं, आठवीं और नौंवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां मांगी गईं, प्राप्त की गईं और उपयोग में लाई गईं;

(घ) इस संबंध में कितनी मात्रात्मक लाभ और लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है; और

(ङ) हमारे आर्थिक जीवन को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही कोई अन्य योजना/कार्यक्रम क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क), (ख) और (ङ) लघु उद्योग मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम संवर्धनात्मक प्रकृति के हैं और इनका उद्देश्य देश में लघु उद्योगों की वृद्धि को तीव्र करना है। यह योजनाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों सहित सभी उद्यमियों के लिए समान रूप से अनुप्रयोज्य हैं। कुछ कार्यक्रम/योजनाएं जिनमें अनुसूचित जाति और अनु० जनजाति को विशेष आरक्षण/छूट/प्राथमिकता दी जाती हैं वे हैं :–

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई०डी०पी०) – युवाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए विचार किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दे कर युवाओं की सुषुप्त योग्यताओं को बढ़ाना।

2. प्रबंध विकास कार्यक्रम (एम०डी०पी०) लघु उद्यमियों को अधिक लाभ और घरेलू/विदेशी बाजारों में महत्वपूर्ण भाग प्राप्त करने में सहायता देने हेतु उभरती प्रबंध तकनीकों/प्रक्रियाओं में स्टेट ऑफ आर्ट शिक्षण देना।

3. उधार खरीद योजना – उधार खरीद आधार पर मशीनें प्रदान करना।

4. प्रशिक्षण – परम्परागत प्रौद्योगिकी कारोबार में प्रशिक्षण देना।

(ग) पूरी योजना/कार्यक्रम के लिए निधि की मांग की जाती है योजना के एस०सी०पी० और टी०एस०पी० घटक के लिए अलग से नहीं।

(घ) नवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राप्त किए गए लक्ष्य हैं :–

1. ई०डी०पी० – 10786 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

2. एम०डी०पी० – 2193 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

3. उधार खरीद योजना – 237 लाख रु० की कीमत की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

4. प्रशिक्षण – 4428 व्यक्तियों को प्रशिक्षण किया गया है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य मेला

3560. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक किन-किन राज्यों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए थे;

(ख) मेले-वार इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार किन-किन राज्यों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) "परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मेलों" का आयोजन मथुरा, दिल्ली, लखनऊ, कारगिल, पटना, पेरम्बूर (तमिलनाडु), बादल (पंजाब), सुल्तानपुर (उ०प्र०) और गाजीपुर (उ०प्र०) में किया गया है।

(ख) मेलेवार खर्च की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

(ग) नजफगढ़ (दिल्ली), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलदेव, मथुरा (उ०प्र०) गोण्डा (उ०प्र०) गंगटोक (सिक्किम), कटक, सम्बलपुर और कोरापुट (उड़ीसा) तथा श्रीनगर/गढ़वाल (उत्तरांचल) में "परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मेले" आयोजित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान परिवार कल्याण स्वास्थ्य मेलों के आयोजन के लिए खर्च की गई धन राशि

क्र०सं०	राज्य/स्थान का नाम	खर्च की गई धनराशि
1.	मथुरा (उत्तर प्रदेश) (4 दिन)	2,74,500/-रु०
2.	दिल्ली (10 दिन)	2,83,000
3.	कारगिल (जम्मू व कश्मीर) (3 दिन)	2,17,000
4.	पटना (बिहार) (3 दिन)	3,43,500
5.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश) (5 दिन)	11,500.00
6.	पेरम्बतूर (तमिलनाडु) (2 दिन)	75,000
	कुल	23,43,000

वर्ष 2001-2002 के दौरान परिवार कल्याण स्वास्थ्य मेलों के आयोजन पर खर्च की गई धनराशि

क्र०सं०	राज्य/स्थान का नाम	खर्च की गई धनराशि
1.	बादल (पंजाब) (3 दिन)	10,00,000
2.	सुल्तान पुर (उत्तर प्रदेश) (5 दिन)	15,00,000
3.	गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) (4 दिन)	12,00,000
	कुल	37,00,000

[अनुवाद]

एम०पी०सी०एम०

3561. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतीक्षा समय को कम करने और काउंटर सेवा को त्रुटिमुक्त बनाने के उद्देश्य से ग्राहकों को एकल खिड़की सेवा उपलब्ध कराने के लिए डाकघरों में बहुउद्देश्य काउंटर मशीन स्थापित करने के मूल उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार निर्मित की गई 6257 में से केवल 2789 एम०पी०सी०एम० कार्य कर रहे थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) पूर्णरूप से इन मशीनों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। डाक विभाग ने बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों (एम०पी०सी०एम०) की स्थापना के साथ ग्राहकों को एक ही खिड़की पर सेवा प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जी, नहीं, मार्च 2000 तक देश में कुल 2590 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित की गई हैं तथा जो मशीनें कार्य कर रही हैं उनमें से कुछ कभी-कभी मरम्मत के लिए ले जाई जाती हैं जो किसी भी मशीन के साथ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) मशीनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। मार्च 2000 के दौरान कार्यनिष्पादन का औसत प्रति मशीन प्रति माह 3000 लेन-देनों के लक्ष्य की तुलना में 3533 था। मशीनों की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक रख-रखाव ठेका सुलभ है।

नर्सिंग स्कूल

3562. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने नर्सिंग स्कूल हैं;

(ख) क्या नए नर्सिंग स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) राज्य-वार मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल की संख्या से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान त्रिपुरा सरकार को 2 नर्सिंग स्कूल स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

भारत में भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों की कुल संख्या

क्र०सं०	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा	7
2.	अण्डमान एंड निकोबार	1
3.	आंध्र प्रदेश	77
4.	अरूणाचल प्रदेश	1
5.	असम	3
6.	बिहार	6
7.	चण्डीगढ़	0
8.	दिल्ली	16
9.	गोवा	1
10.	गुजरात	18
11.	हरियाणा	8
12.	हिमाचल प्रदेश	3
13.	जम्मू और कश्मीर	1
14.	कर्नाटक	115
15.	केरल	61
16.	मिड इंडिया बोर्ड	7
17.	मध्य प्रदेश	8
18.	महाराष्ट्र	42
19.	मणिपुर	1
20.	मेघालय	1
21.	मिजोरम	3
22.	नागालैंड	1
23.	उड़ीसा	4
24.	पांडिचेरी	0
25.	पंजाब	21
26.	राजस्थान	24
27.	साऊथ इंडिया बोर्ड	15
28.	सिक्किम	0
29.	तमिलनाडु	39
30.	त्रिपुरा	0
31.	उत्तर प्रदेश	13
32.	पश्चिम बंगाल	23
	कुल	520

[हिन्दी]

जिला मुख्यालयों में अस्पताल

3563. श्री राजो सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोगों की सुविधा, के लिए राज्य के जिला मुख्यालयों में अस्पतालों की स्थापना की व्यापक योजनापर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए राज्यवार कितनी राशि का ऋण दिया गया या कितना अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत बेरोज़गार युवकों की संख्या

3564. श्री राजनारायण पासी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल में उन बेरोज़गार युवकों की वर्ष-वार और जिला-वार संख्या कितनी है जिनको पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत ऋण जारी किया गया;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत जिला-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश धनराशि ग्रामीण युवकों के दावों को नकारते हुए स्वीकृत की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के युवकों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु बैंकों/जिला अधिकारियों को निर्देश जारी करेगी ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में, उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल सहित प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी०एम०आर० वाई०) के अंतर्गत, वर्ष 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 हेतु क्रमशः 2.71 लाख, 2.58 लाख और 2.34 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत किए गए थे। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-01 हेतु उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा संस्वीकृत ऋणों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार राजसहायता हेतु और प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास आदि के लिए फंड जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक, कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से राजसहायता हेतु फंड वैयक्तिक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्राधिकृत है। प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास आदि हेतु फंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4936.76 लाख रु० और उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) को 1068.86 लाख रु० जारी किए गए हैं। बदले में, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, इन निधियों का अपने जिले के मध्य स्वयं आवंटन करते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कार्यक्रम वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए "इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (आई०ए०एम०आर०), नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, निरीक्षत राज्यों में 49.9% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) में व्यक्तियों की जिलावार संख्या जिन्हें ऋण संस्वीकृत किए गए

(राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार)

क्र० सं०	जिले का नाम	व्यक्ति जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत किए गए		
		1998-99 सं०	1999-2000 सं०	2000-2001 सं०
1	2	3	4	5
1.	आगरा	1092	1039	1063
2.	अलीगढ़	891	968	970
3.	ईटा	955	880	861
4.	फिरोजाबाद	812	845	778
5.	मथुरा	940	946	915
6.	मैनपुरी	507	492	507
7.	इथरस	547	502	507
8.	इलाहाबाद	1349	1312	1319
9.	फतेहपुर	676	646	612
10.	कौशम्बी	338	256	234
11.	प्रतापगढ़	731	718	716
12.	आजमगढ़	684	626	662
13.	बलिया	639	502	387
14.	मॉऊं	450	364	380
15.	बरेली	1512	1480	1475
16.	बदॉऊं	902	905	931
17.	पीलीभीत	761	708	771
18.	शॉहजहांपुर	709	738	747
19.	बस्ती	539	548	565
20	कबीरनगर	132	131	145
21.	सिद्धार्थनगर	155	221	242
22.	गोरखपुर	948	1049	1067
23.	देवरिया	653	686	652
24.	कुशीनगर	458	489	473
25.	महाराजगंज	301	293	307
26.	फैजाबाद	702	706	711
27.	अम्बेदकर नगर	501	542	563
28.	बाराबंकी	658	702	705
29.	सुल्तानपुर	902	916	910
30.	बहराइच	698	586	570
31.	सहरावस्ती	301	242	210
32.	गौंडा	663	617	546
33.	बलरामपुर	339	340	340
34.	झांसी	802	750	738
35.	जालौन	470	556	598

1	2	3	4	5
36.	ललितपुर	355	311	311
37.	चित्रकूट	114	131	150
38.	हमीरपुर	299	329	309
39.	माहोबा	280	282	270
40.	बांदा	228	230	210
41.	कानपुर (एन)	1358	1320	1384
42.	कानपुर (डी)	351	421	314
43.	ईटावा	348	334	312
44.	औरईया	188	142	180
45.	कन्नौज	330	258	232
46.	फारूखाबाद	666	580	542
47.	लखनऊ	904	1003	1020
48.	हरदोई	945	901	819
49.	लखीमपुर	970	938	775
50.	रायबरेली	877	806	825
51.	सीतापुर	757	702	624
52.	उन्नाव	771	769	784
53.	मेरठ	1120	1084	1171
54.	बागपत	302	306	310
55.	बुलन्दशहर	1005	916	943
56.	गौतमबुद्धनगर	433	430	449
57.	गाजियाबाद	1102	1106	1146
58.	सहारनपुर	1188	1180	1247
59.	मुजफ्फरनगर	1102	1211	1226
60.	मुरादाबाद	1104	1115	1136
61.	बिजनौर	881	959	978
62.	रामपुर	876	790	841
63.	जे०पी० नगर	401	354	360
64.	मिर्जापुर	445	352	361
65.	संत रविदास नगर	256	226	212
66.	सोनभद्रा	310	232	222
67.	वाराणसी	1063	1071	1113
68.	चंदौली	335	332	330
69.	गाजीपुर	560	511	518
70.	जौनपुर	866	742	689
71.	पौड़ी गढ़वाल	372	415	414
72.	टीहरी गढ़वाल	414	357	339
73.	चमौली	217	303	306
74.	देहरादून	705	710	715
75.	रूद्राप्रयाग	53	57	61
76.	उत्तरकाशी	252	214	217
77.	अलमोड़ा	434	510	460
78.	नैनीताल	655	610	615
79.	पिथोरागढ़	287	313	279
80.	बगेश्वर	110	121	112
81.	चम्पावत	102	101	102
82.	उद्यमसिंह नगर	679	662	683
83.	हरिद्वार	707	703	341

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

3565. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि डीओपीटी के 25 अप्रैल, 1989 कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/6/88-स्था० (एस०सी०टी०) जो कि 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी था और जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर रोक लगने के बावजूद बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित करके इन्हें अन्यों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके अंतर्गत आने वाले सभी उपक्रमों, स्वायत्त और सांविधिक संगठनों, और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले संबंद्ध कार्यालयों में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1 अप्रैल, 1989 से आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित कर अन्य लोगों से भरा गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्टोर डिपो के कर्मचारियों का कार्यकाल

3566. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी०जी०एच०एस० के चिकित्सा स्टोर डिपो के चिकित्सा और अर्द्धचिकित्सा कर्मचारियों के लिए सामान्य रूप से क्या कार्यकाल निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त कार्यकाल नीति को क्रियान्वित करने और एक ही पद पर अधिक दिनों तक कार्य करने की स्थिति से बचने के लिए थोड़े समय की नियुक्ति बाद ही प्रशासनिक प्राधिकारी कुछ चुनिंदा कर्मचारियों का स्थानान्तरण बारबार करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 30 नवम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार सी०जी०एच०एस० के प्रत्येक चिकित्सा स्टोर डिपो में बारम्बार तैनात किया गया; और

(ङ) इन तैनातियों के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) आम नीति के अनुसार चिकित्सा अधिकारी 3 से 4 वर्ष की सामान्य अवधि के बाद स्थानांतरित किए जाते हैं। सरकारी चिकित्सा सामाग्री भण्डार डिपो के विशेष पदों पर कार्यरत अधिकारी का स्थानांतरण करना अपेक्षित नहीं होता। शेष पराचिकित्सा कार्मिकों का स्थानांतरण 4 से 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद किया जाता है।

(ख) से (ङ) अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सरकारी चिकित्सा सामाग्री भण्डार डिपो में उनके पहले के तैनाती के स्थान पर स्थानांतरण करने का कोई आम प्रचलन नहीं है। तथापि, डा० मानसिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपेथी) को उनके अनुभव और जनहित में कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सरकारी चिकित्सा सामाग्री भण्डार डिपो में पुन: किया गया है।

[अनुवाद]

रेबीज रोधी टीका

3567. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कुन्नूर में स्थित पास्चर संस्थान ही एक मात्र ऐसा संगठन है जो रेबीज रोधी टीके का उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन किए जा रहे ऐसे टीकों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रेबीज रोधी टीके की कुल कितनी आवश्यकता है; और

(घ) सरकार द्वारा सस्ते दर पर रेबीज-रोधी टीके उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र में नौ उत्पादन केन्द्र है जो नर्वस टिस्सू एंटी रैबिज वैक्सीन उत्पादित कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के दो और निजी क्षेत्र के एक संस्थान भी टिस्सू कल्चर एंटी रैबिज वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2000 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 34 लाख मि०ली० नर्वस टिस्सू एंटी रैबिज वैक्सीन उत्पादित किया जाता है जो आवश्यकता पूरी करने के लिए लगभग पर्याप्त होता है। देश में टिस्सू कल्चर ओरिजन एंटी रैबिज वैक्सीन की 4.2 लाख खुराकें उत्पादित की जाती हैं जो आवश्यकतानुसार 5.5 लाख खुराकों की तुलना में कम है। टिस्सू कल्चर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ानें के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

इंटरनेट खाते का अनधिकृत इस्तेमाल

3568. **श्री अनन्त नायक :** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसी के इंटरनेट खाते के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल की समस्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनधिकृत इस्तेमाल की समस्या से निपटने और ई-मेल को सुरक्षित करने हेतु नई सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (घ) सर्वरों की सुरक्षा इंटरनेट फायरवाल का प्रयोग करके की जाती है जो इंटरनेट एकाउन्ट के अनाधिकृत उपयोग को रोकता हैं। किसी व्यक्ति के इंटरनेट एकाउन्ट का प्रयोग पासवर्ड के अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकता है। प्रयोगकर्ताओं को, उनके एकाउन्ट के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए समुचित चयन, सुरक्षित अनुरक्षण और पासवर्ड को समय-समय पर बदलने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। ई-मेल देखते समय पासवर्ड अधिप्रमाणन के जरिए ई-मेल पर अवरोध लगाया जाता है।

विभिन्न किस्म के दूध में अन्तर

3569. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि संकर प्रजाति एवं देशी गायों और भैंसों के दूध की गुणवत्ता में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले लाभकारी/हानिकारक प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी०एफ०ए०) के अंतर्गत विभिन्न जानवरों से प्राप्त दूध को मिलाने की अनुमति नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) जहां तक स्वास्थ्य सुरक्षा की बात का संबंध है, संकर प्रजाति, देशी गायों और भैंसों के दूध की गुणवत्ता में कोई अन्तर नहीं है। तथापि, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध वसा, दूध से बने वसा रहित ठोस पदार्थ आदि में प्रजाति, भोजन और अन्य कारणों के आधार पर कुछ अन्तर हो सकता है।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत विभिन्न पशुओं के दूध को मिलाने पर कोई मनाही नहीं है। तथापि, दूध को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

अस्थमा की जड़ी-बूटी द्वारा ईलाज

3570. **श्री वाई०वी० राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रासायनिक जीविज्ञान संस्थान ने अस्थमा और ब्रोंकाइटीस के उपचार हेतु जड़ी-बूटी से ईलाज की नई विधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस दवा को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक घटक एकक भरतीय रासायनिक जीव-विज्ञान संस्थान ने श्वसनीय दमे के उपचार के लिए एक बहु जड़ी-बूटी औषध-योग तैयार किया है।

(ख) से (घ) आधुनिक चिकित्सा पैरामीटरों के अनुसार नैदानिक परीक्षण नहीं चलाए गए हैं। भारतीय रासायनिक जीव-विज्ञान संस्थान के लाइसेंसधारी द्वारा आयुर्वेदिक क्रियाविधियों के अनुसार किए गए सीमित अध्ययन से पता चला है कि यह औषध योग श्वसनीय दमे के रोगियों को राहत प्रदान करता है। भारतीय रासायनिक जीव-विज्ञान संस्थान ने सितम्बर, 2000 में इस औषध योग का वाणिज्यिक उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया है और आस्मोन के व्यापारिक नाम के अन्तर्गत इसका विपणन किया जा रहा है। यह निजी कम्पनी का उत्पाद है, अत: इस उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई विशेष अधिमान देना अपेक्षित नहीं है।

पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री की यात्रा

3571. **श्री अजय सिंह चौटाला : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अपनी यात्रा के दौरान वह प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री आदि से मिलीं; और

(ग) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई ओर इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो भारतीय उद्योग परिसंघ (सी०आई०आई०) के आमन्त्रण पर 25-29 नवम्बर, 2001 तक की भारत की निजी यात्रा पर आई थीं। 26 नवम्बर को उन्होंने सी०आई०आई० की एक बैठक को संबोधित किया था।

सरकार ने किसी भूतपूर्व शासनाध्यक्ष के साथ की जाने वाली सभी सामान्य औपचारिकताओं को पूरा किया था।

नकली औषधियां

3572. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राजधानी में बड़ी मात्रा में नकली औषधियां जब्त की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नकली औषधियों से होने वाले खतरे के सभी पक्षों की जांच करने एवं उपचारात्मक सुझाव देने हेतु डी०जी०एच०एस० की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) औषध नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने 4 जुलाई, 2001 को दिल्ली के भगीरथ प्लेस में और इसके आसपास स्थित 3 विभिन्न गोदामों से कथित नकली औषधों का भारी भंडार जब्त किया था। मामले से संबंधित दोषी व्यक्तियों की पूछताछ करने से मुरथल, जिला-सोनीपत, हरियाणा में बिना वैध लाइसेंस के काम कर रहे विनिर्माण एकक का पता चला। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और विभिन्न अधिनियमों के भिन्न-भिन्न प्रावधानों के तहत दिल्ली के महानगर मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन शुरू किया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार ने नकली औषधों के संकट के सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करने हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति की एक बैठक 25, अक्तूबर, 2001 को आयोजित की गई थी और देश में नकली औषधों के उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया। अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने हेतु समिति की अगली बैठक की जानी है।

सी०जी०एच०एस० औषधालय

3573. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी स्थित सी०जी०एच०एस० औषद्यालय संख्या 42 के प्रसूति गृह को पिछले कई वर्षों से बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रसूति गृह को कब तक खोले जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) 1992 से प्रसव केन्द्र, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, कालकाजी में प्रसव के मामलों की संख्या में कमी हो रही है। अत: प्रसव केन्द्र में सुविधाओं को प्रसव-पूर्व जांच तक सीमित कर दिया गया है। तथापि, सरकार ने इस प्रसव केन्द्र में पूर्ण रूप से सज्जित सेवाओं के पुन: स्थापना का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

फिलीस्तीन का मुद्दा

3574. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि फिलीस्तीन के मद्दे पर भारत सरकार के मूल दृष्टिकोण को हमारी वर्तमान सरकार द्वारा अधिकांशत: बदल कर इसे कमजोर कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे समय पर इजराइल सरकार के साथ सैन्य समझौते को प्रोत्साहित करने के पीछे क्या कारण हैं जबकि इजराइल द्वारा फिलीस्तीन के मुद्दे को अभी तक सुलझाया नहीं गया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं। फिलीस्तीनी आंदोलन के प्रति भारत का समर्थन ऐतिहासिक, स्थाई और अटल है। सरकार ने राष्ट्रपति अराफात के कार्यालय और अन्य फिलीस्तीनी संस्थानों पर हाल में किये गये इजरायली हमले की कड़ी निन्दा की है।

(ख) अपनी रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत इजरायल सहित अनेक देशों से हथियारों की अधिप्राप्ति करता है परन्तु इससे अरब विश्व के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध और फिलीस्तीनी आंदोलन के प्रति भारत के अटल समर्थन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर रिपोर्ट

3575. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोंटेक सिंह अहलुवालिया समिति ने परिवहन क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने उक्त रिपोर्ट के क्रियान्वयन का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में "रोजगार अवसर संबंधी कार्यदल" का गठन किया गया था। इस कार्यदल ने दिनांक 2 जुलाई, 2001 को अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष, योजना आयोग को दे दी है। "परिवहन क्षेत्रक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश" इस कार्यदल के विचारार्थ विषयों में नहीं था।

उदारीकरण की नीति

3576. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण की नीति शुरू करने के बाद कार्यभार घटने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कम करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नीति के अंतर्गत अब तक कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां बंद की गई या निजी क्षेत्र को बेची गई;

(ग) संबंधित विभागों/मंत्रालयों में पद-वार कितने पद समाप्त किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा इससे वर्ष में कितनी राशि की बचत किए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्ष 1992 में सरकार ने विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया था जिसके परिणामस्वरूप सभी वर्गों (अर्थात् 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' वर्ग) से संबंधित लगभग 1.83 लाख पद समाप्त कर दिए गये हैं। सचिवों के ग्रुप द्वारा वर्ष 1992 में की गई सिफारिशों के आधार पर संयुक्त सचिव और समकक्ष स्तर के 135 पद समाप्त कर दिये गये हैं। अभी पिछले कुछ समय में कुछ विभागों को समाप्त कर दिया/मिला दिया गया है और कुछ अन्य किफायती उपाय किये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप, सचिव स्तर के आठ पदों को समाप्त कर दिया गया है। व्यय विभाग द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार के कृत्यों, कार्यकलापों और प्रशासनिक ढांचे में कमी लाने हेतु मार्गदिशा सुझाने के लिये गठित किये गये व्यय सुधार आयोग ने कुल मिलाकर 36 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के संबंध में 10 रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशें मंत्रालयों/विभागों/आदि के आकार को सही करने/पुनर्गठित करने के बारे में हैं। व्यय विभाग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को बन्द करने/उनका निजीकरण किये जाने से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है :–

(i) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी०जी०एम०एल०), टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टी० ए०एफ०सी०ओ०), मान्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (एम०एन०पी०एम०), भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बी०पी०एम०ई०एल०), वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यू०आई०एल०), रिहेबीलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (आर०आई०सी०), ओर नेशनल बाइसिकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन०बी० सी०आई०एल०) संस्थापनों को बन्द कर दिया गया है।

(ii) माईनिंग एंड एलाइड् मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड (एम०ए०एम०सी०) को बन्द करने की अनुमति प्राप्त हो गई है।

(iii) एम०एम०टी० की चार यूनिटों और घाटे में चलने वाली सात रिफ्रेकटरी यूनिटों (बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी०एस०सी०एल०) की एल०आर०यू०/फैब्रिकेशन यार्ड) को बन्द कर दिया गया है।

(iv) साइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी०सी० आई०एल०), इंडियन रोड् कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (आई० आर०सी०सी०) एवं ई०टी० एण्ड टी० को बन्द करने के संबंध में भी सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(v) टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (टी०टी०सी०आई०) ने परिसमापन के लिये एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

(vi) दो सहायक कंपनियों सहित सात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अभी तक विनिवेश/निजीकरण किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों में बन्द किये जाने/निजीकरण किये जाने के कारण समाप्त किये गये/समाप्त करने हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या के बारे में सूचना एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

रेडक्रास सोसाइटी का कार्यालय

3577. श्री ए० नरेन्द्र :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेडक्रास सोसाइटी के प्रबंधन और कार्यकरण के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है;

(ख) सोसाइटी के प्रबंधन में और कार्यकरण निष्पादन में जनता की क्या भूमिका है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सोसाईटी की प्राप्ति और भुगतान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सोसाइटी की कितनी नई शाखाएं खोली गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को भारतीय रेडक्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 की संख्या 22 (1956 के अधिनियम संख्या 22 और विधि अनुकूलन आदेश 1957 (सं० 4) तथा 1992 के अधिनियम सं० 14 के द्वारा यथासंशोधित) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के प्रबंधन और कार्यकरण में केन्द्रीय सरकार की भूमिका अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों के अंतर्गत परिभाषित की गई है।

(ख) आमतौर से जनता को सोसाइटी के सदस्य अथवा स्वयंसेवक के रूप में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय प्रबंधन निकाय में 18 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं जिनमें 12 का निर्वाचन शाखाओं द्वारा और 6 का नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा सोसाइटी के अध्यक्ष की हैसियत से किया जाता है।

(ग) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सोसाइटी की प्राप्तियां और भुगतान इस प्रकार हैं :–

(लाख रुपए)

वर्ष	प्राप्तियां	भुगतान
1998-1999	1,021.29	1,043.06/-
1999-00	1,704.83	1,208.72/-
2000-01	2,354.46	2,299.49/-

(घ) एक संघ राज्य क्षेत्र शाखा अंडमान निकोबार में और एक राज्य शाखा नए बनाए गए राज्य छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई थी।

भारत-अमरीकी मिसाइल रक्षा कार्यक्रम

3578. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका मिसाइल रक्षा कार्यक्रम पर एक साथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीकी मिसाइल रक्षा कार्यक्रम से भारतीय रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने में किस हद तक मदद मिलेगी ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉयर मेला

3579. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम** : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही जगह समान व्यवसायिक अवसरों की तलाश हेतु 11 अक्तूबर, 2001 से 13 अक्तूबर, 2001 तक कोच्ची में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कॉयर मेला आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मेले में किन देशों ने भाग लिया; और

(ग) कितने व्यापारिक और प्रौद्योगिकी समझौतों, गठजोड़ों पर हस्ताक्षर हुए ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) 18 देशों नामश: आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, जर्मनी, हालैंड, भारत, इटली, जापान, कोरिया, नीदरलैंड, रूस, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, तनजानिया, यूनाइटिड अरब अमीरात, इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने मेले तथा संगोष्ठी में भाग लिया।

(ग) कॉयर बोर्ड के साथ ट्रेड भागीदारी तथा प्रौद्योगिकीय एलायंस पर हस्ताक्षर करने की परिकल्पना मेले तथा संगोष्ठी में नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

आधारभूत ढांचे, उपभोक्ता और सामाजिक क्षेत्र में निवेश

3580. **श्री बहादुर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आधारभूत ढांचे, उपभोक्ता और सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में निवेश किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह परिकल्पना की गई है कि अर्थव्यवस्था का औद्योगिक विकास वृहद् रूप से निजी क्षेत्रक के निष्पादन पर निर्भर करेगा। अत: ऐसे विकास हेतु हमारी नीति को प्रेरक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तरह के संदर्भ में, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है परन्तु यह अतीत में परिकल्पित भूमिका से भिन्न हो। सामाजिक क्षेत्रक के क्षेत्रों में इसकी भूमिका को स्पष्ट रूप से बढ़ाना होगा। आधारिक संरचना विकास के क्षेत्र में, सरकार की भूमिका ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास जैसे क्षेत्रों में बढ़ानी होगी क्योंकि इनमें निजी निवेश की संभावना नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में, जहां अंतराल अधिक हैं तथा निजी क्षेत्रकों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से दखल की आशा नहीं की जा सकती वहां पर सरकार की भूमिका को पुन:संरचित करना होगा। अवसंरचना विकास के अन्य क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, विद्युत, पत्तन इत्यादि में निजी क्षेत्रक एक वृहतर भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं बशर्ते कि इसके लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा हो।

(ग) से (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें इस संबंध में कुछ नीतिगत सिफारिशों के होने की संभावना है, को अभी तैयार किया जाना है।

[अनुवाद]

कॉयर बोर्ड की गतिविधियां

3581. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कॉयर बोर्ड गतिविधियों का विस्तार करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार संसद के अधिनियम के अन्तर्गत गठित कॉयर बोर्ड के अधिदेश को विस्तारित करने पर विचार नहीं कर रही। तथापि, कॉयर बोर्ड के माध्यम से सरकार निम्न को प्रोत्साहन दे रही है :

1. उत्पाद विकास और विविधीकरण के लिए विशेष रूप से कॉयर कम्पोजिट फाइबर बांड के विकास में, मल्टी फाइबर ब्लेन्डिड उत्पादों, कॉयर जिओटैक्स्टाइल्ज इत्यादि के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कार्यक्रमों का विस्तार।
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से क्षेत्र का आधुनिकीकरण;
3. घरेलू एवं निर्यात बाजार विकास एवं संवर्धन;
4. गुणवत्ता सुधार;
5. गैर परम्परागत फाइबर क्षेत्र में मूल्यवर्धित उत्पादन।

इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री

3582. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन टेलिफोन इन्डस्ट्री ने वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री ने विभिन्न प्रयोजनों हेतु वित्तीय संस्थानों से कुल कितना ऋण लिया; और

(ग) अभी तक इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री ने कितनी धनराशि चुकाई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री द्वारा कार्यचालन पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण तथा की गयी ऋण अदायगी का ब्यौरा नीचे दिये गये विवरण के अनुसार है :–

(करोड़ रु०)

वर्ष	वित्तीय संस्था	प्राप्त किया गया ऋण	ऋण अदायगी	31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि
1998-99	आईडीबीआई	105	55	50
1999-00	आईडीबीआई	40	–	90
	आईडीबीआई	50	90	50
2000-01	आईसीआईसीआई	50	–	50

संविधान-संशोधन

3583. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डॉ०, अम्बेडकर जन्मशती समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष, 1993 में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संसद का एक अधिनियम लाने के लिए वर्ष, 1993 में कार्रवाई आरंभ की थी जिसका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद-सदस्यों के मंच द्वारा प्रधानमंत्री को सौंपे गए दिनांक 17.12.1996, 1.9.1997 और 23.7.1998 के ज्ञापन के माध्यम से भी दोहराया गया है और पुन: दिसम्बर, 1999 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसद-सदस्यों के सम्मेलन में इसकी अभिपुष्टि की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993 से इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार ने सेवाओं में आरक्षण के बारे में एक अधिनियम बनाए जाने के प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की। इस तथ्य के मद्देनजर इस मसले के बारे में विधान बनाना उपयुक्त नहीं समझा जाता कि उपर्युक्त विषय पर सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेश, कानून के समान बाध्यकारी हैं तथा उभरती आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से उपर्युक्त कार्यकारी अनुदेशों में जरूरी रद्दोबदल की जा सकती है जो कि हमेशा किसी विधान के अधिनियमन द्वारा नहीं की जा सकती।

सी०जी०एच०एस० का कार्यनिष्पादन

3584. श्री जी०जे० जावीया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात में सी०जी०एच०एस० के लिए निर्धारित किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात में आए भूकंप के बाद चालू वर्ष और नौवीं योजना अवधि के दौरान सी०जी०एच०एस० का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अन्य पात्र श्रेणियों के लाभ के लिए एक आर्थिक सहायता-प्राप्त कल्याण योजना है। इसलिए सरकार ने देश भर में विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यनिष्पादन के लिए कोई भौतिक अथवा वित्तीय लक्ष्य नियत नहीं किए है।

(ग) और (घ) इस समय अहमदाबाद (गुजरात) में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एक प्रयोगशाला और एक दन्त-चिकित्सा एकक के अतिरिक्त 5 एलौपैथिक औषधालय, एक आयुर्वेदिक और एक होमियोपैथिक औषधालय है। बड़ोदरा (गुजरात) शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं लेकिन कार्मिकशक्ति और संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए इस समय गुजरात में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का विस्तार करना सम्भव नहीं होगा।

जड़ी-बूटियों से तैयार संपाक

3585. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान विभिन्न जड़ी-बूटियों और उनके आसव से तैयार संपाकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान देश में प्रस्तुत की गई जड़ी-बूटियों से तैयार औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक संबंधी शिक्षा पद्धति में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में इन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मधुमेह, मृत्राश्परता और फाइलेरिया के लिए जड़ी-बूटी (हर्बल) औषधों के नैदानिक परीक्षण शुरू किए हैं। केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने जख्मों के भरने, दबाव-रोधी और यकृत-रक्षण के लिए जड़ी-बूटी औषधों का विकास करना भी शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे समेत शिक्षा के न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद स्थापित की हैं। कई स्थानों पर शिक्षा के मानकों में एक-समानता का अभाव है। केन्द्र सरकार उनके बुनियादी ढांचे में सुधार करने और शिक्षण तथा प्रशिक्षण के स्तर बढ़ाने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थाओं की सहायता कर रही है।

अ०जा०/अ०ज०जा० के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

3586. श्री राजैया मल्याला : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक, प्रबंधकीय तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/तैनात करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजिक देशों/एजेन्सियों द्वारा द्विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पोत परिवहन मंत्रालय के कितने व्यक्तियों को लघु/दीर्घ अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित थे और इनका प्रतिशत कितना है;

(घ) संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनके अभाव में उन्हें विगत में शैक्षिक पिछड़ापन भुगतना पड़ा व उनके विरुद्ध गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण ऐसे अवसरों में उनकी उचित भागीदारी से उन्हें वंचित रहना पड़ सकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त संवैधानिक निदेश की अवहेलना करने के क्या कारण हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय को नवम्बर, 2000 से दो मंत्रालयों अर्थात् पोत परिवहन मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में विभाजित कर दिया गया है और तब से पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	कुल संख्या	अनु०जा०/अनु०ज०जा० अ०पि०व० की संख्या	%
2000-2001	6	0	0
2001-2002	9	1 (अनु०जा०)	11

(घ) और (ङ) ऐसे विदेशी प्रशिक्षण के लिए इच्छुक और उपयुक्त अधिकारियों का नामांकन करते समय अनु०जा०/अनु०जन०जा०/अ०पि०व० के उम्मीदवार यदि पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उचित महत्व दिया जाता है।

एस०सी०पी० और टी०एस०पी० के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन

3587. **श्रीमती रीना चौधरी :** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों जिनमें अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए 1978 से विशेष घटक योजना (एस०सी०पी०) और आदिवासी उपयोजना (टी०एस०पी०) के तहत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा एस०सी०पी०/टी०एस०पी० को शुरू करते समय 12 मार्च, 1980 को इस मंत्रालय व अन्य मंत्रालयों/संगठनों को संबोधित पत्र संख्या 280-पी०एम०ओ०/80 के अनुसार कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा एस०सी०पी० और टी०एस०पी० की शुरूआत से तैयार की गई/क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों को उनकी प्रकृति, व्याप्ति और लक्ष्य समूहों सहित दर्शाइये;

(ग) छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके मंत्रालय ने ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कितनी निधियों का आबंटन किया है;

(घ) इस संबंध में कितना लाभ मिला है और कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं; और

(ङ) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा अ०जा० और अ०ज०जा० से सशक्तीकरण हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अन्य कौन सी योजना/कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ङ) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम संवर्धनात्मक प्रकृति के हैं, और इनका उद्देश्य देश में कृषि एवं ग्रामोद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देना है। यह योजनाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों सहित सभी उद्यमियों हेतु समान रूप से लागू हैं। कुछ योजनाएं/कार्यक्रम हैं :–

1. प्रधान मंत्री की रोज़गार योजना (पी०एम०आर०वाई०) – स्वरोजगार जोखिम स्थापित करने हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को संस्थानिक वित्त उपलब्ध कराना।

2. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) – जीवनक्षम ग्रामोद्योग परियोजनाएं स्थापित करने हेतु ग्रामीण उद्यमियों को मार्जिन मनी प्रदान करना।

3. कारीगरों का प्रशिक्षण : मोटराइज्ड रैट्स पर कॉयर सूत की कताई।

4. महिला कॉयर योजना : मोटराइज्ड रैट्स की वित्तीय लागत, अधिकतम 75000/- रुपए की शर्त के अधीन, के 75% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना।

5. कल्याण उपाय: कॉयर उत्पादन के क्षेत्रों के कामगारों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्यों, को विनिर्माण से जुड़ी कल्याण आधारभूत संरचना सहायता प्रदान करना।

(ग) सम्पूर्ण योजना/कार्यक्रम हेतु निधि की मांग की जाती है। योजना के घटकों, एस०सी०पी० और टी०सी०पी० के लिए अलग से नहीं।

(घ) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु प्राप्त किए गए लक्ष्य हैं :–

1. प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) – अप्रैल 1997 से मार्च, 2001 तक 95.4 हजार शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

2. ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) – कार्यक्रम के अंतर्गत 20.901 लाभार्थियों ने परियोजनाएं स्थापित की हैं। मार्जिन मनी के रूप में 44.07 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है।

3. कारीगरों का प्रशिक्षण : अप्रैल 1997 से 30 नवम्बर 200। तक 2199 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है।

4. महिला कॉयर योजना : अप्रैल 1997 से 30 नवम्बर, 2001 तक 1909 कारीगरों को सहायता दी गई है।

5. कल्याण उपाय – अप्रैल 1997 से 30 नवम्बर, 2001 तक 77 ग्रामों को सहायता दी गई है।

सी०एस०एस० के कर्मचारियों द्वारा धरना

3588. **श्री मंजय लाल :**
श्री सुबोध राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सी०एस०एस० (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के सदस्य 400 से अधिक दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनकी समस्याओं को हल करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस समिति ने इस संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारी, अपनी सेवा में बेहतर संभावनाएं सुलभ करवाए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के संवर्ग की संरचना की जांच-पड़ताल करने की दृष्टि से, वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी गई है। उपर्युक्त समिति के कार्य के भारी-भरकम होने के मद्देनजर, उपर्युक्त समिति का कार्य-काल, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, फरवरी, 2002 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। उपर्युक्त समिति द्वारा की जाने वाली सिफ़ारिशों पर सरकार सम्यक् रूप से विचार करेगी।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय अस्पताल

3589. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का आयुर्वेद को राष्ट्रीय महत्व प्रदान करने हेतु एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय/अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, हां। संघ सरकार, राज्य सरकारों को उनके अस्पतालों/औषधालयों में आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आयुर्वेदिक शिक्षा के मानकों का उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण और औषध मानकीकरण, अनुसंधान कार्यकलापों को प्रोत्साहन, औषधीय पादपों की उपलब्धता में सुधार और जन जागृति के माध्यम से सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को भी प्रोत्साहन दे रही है। इनका लक्ष्य भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अंतर्गत आयुर्वेदिक एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

(ख) से (घ) दिल्ली में एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की व्यापक योजना संकल्पित की गई जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरिता विहार में लगभग 4.5 एकड़ भूमि देने को कहा है।

प्रतिबंधों का प्रभाव

3590. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध का देश के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका द्वारा प्रतिबंध हटाने से देश को अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने की समस्या अमरीका द्वारा प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व भी विद्यमान थी। जिसके परिणामस्वरूप, परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिटों में गहन अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य शुरू किए गए जिससे स्वदेश में ही प्रौद्योगिकियां विकसित करने में सहायता मिली और उससे आत्म-निर्भरता, अत: अमरीका द्वारा प्रतिबन्ध हटा लेने से देश के परमाणु विद्युत कार्यक्रम में कोई खास अंतर नहीं पड़ा है।

प्रधान मंत्री की जापान यात्रा

3591. श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में जापान की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो वहां हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) जापान के प्रधानमंत्री श्री जूनीचिरो कोइजूमी के आमंत्रण पर हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 7 से 11 दिसम्बर, 2001 तक जापान की अधिकारिक यात्रा पर गए।

प्रधानमंत्री ओसाका और टोक्यो गए। टोक्यो में प्रधानमंत्री ने जापान के सम्राट से भेंट की जिन्होंने उनके सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री कोइजूमी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों और 21वीं सदी की उस सार्वभौमिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के संबंध में द्विपक्षीय चर्चा की जिसकी स्थापना उस समय की गई थी जब जापान के प्रधानमंत्री योशिरो मूरी अगस्त, 2000 में भारत की यात्रा पर आए थे। ओसाका और टोक्यो दोनों में प्रधानमंत्री ने व्यवसाय समुदाय के साथ अन्योन्यक्रिया की तथा प्रमुख व्यवसाय बैठकों को सम्बोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत-जापान संसदीय मैत्री लीग के सदस्यों से भी मुलाकात की।

भारत और जापान सार्वभौम भागीदारी को सुदृढ़ करने के महत्व तथा व्यापार एवं निवेश, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, रक्षा आदि क्षेत्रों में और अधिक आदान-प्रदान बढ़ाने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज भवन

3592. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाये :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भंडारा जिले में टेलीफोन एक्सचेंज भवन के स्थल के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निविदाएं निजी व्यक्तियों/पार्टियों से अधिकारिक दरों पर प्राप्त की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रथम बार 8.8.2000 को 9 स्थानों के लिए निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में भाग लेने वालों की संख्या बहुत कम होने के कारण 7.2.2001 को भंडारा जिले के 16 स्थानों के लिए पुन: निविदा आमंत्रित की गई। वे निम्नानुसार हैं :–

भंडारा जिले में : साहापुर, गोबरवाही, लखानी, पहेला, सिहोरा, नोका-डोंगरी, बम्पेवाड़ा, गोंडूमारी, पोहारा, वीरली (बीके); जैतपुर, मशाल, कोंडाकोसारा, चीचल, वार्थी, हरदोली।

(ग) निविदाएं निजी व्यक्तियों/पक्षों से मंगायी गयी क्योंकि इन स्थानों पर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थी। बहुसंख्यक मामलों में कोट की गई दरें आधिकारिक/सरकारी दरों से अधिक थीं।

(घ) वार्ता समिति के सभी सदस्यों के उपलब्ध न रहने के कारण विलम्ब हुआ। बातचीत 4.12.2001 और 5.12.2001 को हुई। उपर्युक्त मामले में वार्ता और भूमि अधिग्रहीत करने के लिए आगे की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का कार्यनिष्पादन

3593. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले के गोपालपुर में इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनावश्यक व्यय को कम करने और बर्बादी व चोरी को रोकने हेतु इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के कुप्रबंधन की जांच कराने हेतु एक अध्ययन दल का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई०आर०ई०एल०), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, की 45 करोड़ रुपए (लगभग) का अतिरिक्त निवेश करके उड़ीसा स्थित ऑस्कॉम संयंत्र की क्षमता जोकि इस समय सम्बद्ध खनिजों सहित इल्मेनाइट का उत्पादन 220,000 टन प्रतिवर्ष करने की है, को बढ़ाकर सम्बद्ध खनिजों सहित 300,000 टन प्रतिवर्ष करने की योजना है।

(ग) से (ङ) परमाणु ऊर्जा विभाग को इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड में कोई कुप्रबंधन देखने में नहीं आया है और इसलिए अनावश्यक व्यय को कम करने, बर्बादी व चोरी को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

केबल टी०वी०

3594. **श्री के० येरननायडू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०टी०एन०एल० का केबल टेलीविजन के क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रसारकों के साथ समझौता करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रसार भारती के साथ सहयोग से काम करने के क्या लाभ हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। एम०टी०एन०एल० का केबल टेलीफोन के क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रसार भारती के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव है।

(ग) केबल नेटवर्क शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होने पर, एमटीएनएल, एटीएम स्विचों के साथ-साथ अपनी आप्टिक फाइबर और हाई एण्ड कॉपर केबल वितरण प्रणालियों का उपयोग करने की अच्छी स्थिति में होगा। इससे निम्नांकित व्यवस्था होगी :–

(i) उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा केबल नेटवर्क जो मनोरंजन, सूचना और शिक्षण संबंधी उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

(ii) प्रसार भारती द्वारा प्रदत्त कंटेंट का उपयोग कर मल्टीमीडिया सेवाओं की शुरूआत। उपभोक्ता इसके साथ वीडियो जोड़ने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) ये ए०टी०एम० स्विच प्रथम बार दिल्ली और मुम्बई में उपभोक्ताओं की मांग पर वीडियो सेवा प्रदान करेंगे।

(iv) कम्प्यूटर और टेलीविजन सेट दोनों इंटरनेट मांग पर वीडियो सहित कार्यक्रम/सिग्नल दिखाने में समर्थ होंगे।

[हिन्दी]

संचार प्रणाली का विकास

3595. श्री बृजलाल खाबरी :
श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में संचार प्रणाली अन्य राज्यों की तुलना में निम्न स्तर की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों में संचार प्रणाली के सुधार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में संचार प्रणाली के विकास पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : दूरसंचार सेवाएं

(क) और (ख) जी, नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दूरसंचार प्रणालियां अन्य राज्यों के बराबर हैं।

(ग) इन राज्यों में दूरसंचार प्रणाली में और सुधार लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :–

(i) मियाद रहित पेपर कोर केबल के स्थान पर जेली युक्त केबलों का उपयोग।

(ii) 5 पेयर पीआईजेएफ केबल की शुरूआत।

(iii) उपभोक्ता के परिसरों तक 5 पेयर के केबल बिछाकर अधिक से अधिक आंतरिक डीपी खोलना।

(iv) एक्सचेंज के सेवा क्षेत्र को कम करने के लिए अधिकाधिक आरएलयू/आरएसयू खोलना और केबल की लम्बाई में तदनुरूपी कमी करना।

(v) मियाद वाले टेलीफोन उपकरण को बदलना।

(vi) डब्ल्यू०एल०एल० की शुरूआत करना।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली के विकास पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रुपयों में)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001 अनन्तिम खाते अभी बंद नहीं किये गये हैं।
गुजरात	552.24	820.47	1014.48
महाराष्ट्र	1388.73	1743.13	2043.25
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	679.70	675.90	829.31
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	334.50	495.62	500.44

डाक सेवाएं

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन न्यास संबंधी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

3596. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 के दौरान संसद में प्रस्तुत कांडला पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा किये गए कार्य में प्रत्यक्ष हित के साथ न्यासी को नियुक्त करने के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट टिप्पणी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियुक्त न्यासी पोत परिवहन कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक था जिसका कांडला पत्तन न्यास द्वारा अनुचित पक्षपात किया गया और गंदे बलास्ट टैंक को भाड़े पर लेने मेनटेनेन्स ड्रेजिंग, बर्थ हायर चार्जज, बी०पी० टग को भाड़े पर लेने और संचालन शुल्क से कई करोड़ रुपयों का लाभ दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं/होने वाले घाटों से बचने के लिए क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है और कांडला पत्तन न्यास द्वारा इस न्यासी को भुगतान किए गए अनधिकृत राशि की वापसी हेतु क्या कार्रवाई की गई ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल के लिए भेजा गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज/अस्पताल

3597. श्री भेरूलाल मीणा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कालेज और अस्पताल खोलने का है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए कोई योजना तैयार की है जहां चिकित्सा सेवाएं पूर्ण अव्यवस्थित हैं और त्रिस्तरीय प्रणाली उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में न तो डाक्टर और न औषधियां उपलब्ध हैं;

(ग) क्या उत्तर भारत में स्थिति और अधिक दयनीय है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अस्पातल प्रबंधन को अपने निजी नियंत्रण में लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) केन्द्रीय सरकार का इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में नए मेडिकल कालेज और अस्पातल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जहां स्वास्थ्य प्राथमिक रूप से राज्य का विषय है, वहीं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों को मौजूदा अन्तरों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए समुचित कदम उठाने की नियमित रूप से सलाह दी जा रही है। सरकार ने देश में समग्र स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार लाने तथा देश के हर भाग में इनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत से नवीन कार्यक्रम चलाए हैं।

राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समुन्नत किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य परिचर्या ढांचे को औषधों, अनिवार्य उपभोज्य वस्तुओं की अधिक व्यवस्था करके अनिवार्य उपस्करों की मरम्मत और स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल हैं, आकस्मिक खर्च प्रदान करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक और अन्य दाता अभिकरणों की वित्तीय सहायता से क्षेत्र विकास परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। क्षेत्र परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों में एक उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करना भी शामिल है। स्वास्थ्य मेलों और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों आदि के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

(च) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खराब पी०सी०ओ०

3598. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सभी शाखा डाकघरों में संस्थापित सार्वजनिक टेलीफोन पिछले तीन वर्षों से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इन सार्वजनिक टेलीफोनों को कब तक चालू करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शाखा डाकघरों में संस्थापित 112 सार्वजनिक टेलीफोनों में से 13 सार्वजनिक टेलीफोन गत तीन वर्षों से खराब पड़े हैं।

(ग) इन खराब सार्वजनिक टेलीफोनों को जुलाई, 2002 तक "वायरलैस इन लोकल लूप" प्रौद्योगिकी वाले टेलीफोनों से बदलने की योजना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

सेतु समुद्रम नहर परियोजना

3599. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेतु समुद्रम नहर परियोजना, जिसके लिए सरकार ने दस करोड़ रुपए निर्धारित किए थे, की साध्यता अध्ययन का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सरकार ने सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के लिए विस्तृत साध्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु 4.2 करोड़ रु० नियत किए हैं। तदनुसार, विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं जिन्हें 15.12.2001 को खोला जाना है। साध्यता अध्ययन निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) परियोजना प्रारम्भिक अवस्था में है और इसके कार्यान्वयन के बारे में अंतिम निर्णय साध्यता अध्ययन की रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद लिया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय होम्योपैथी पद्धति में श्रेष्ठता केन्द्र

3600. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सभी राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में प्रत्येक श्रेष्ठता केन्द्र की एक शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में किन-किन स्थानों पर इन केन्द्रों के खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) शिक्षा के मानकों का उन्नयन करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के उत्कृष्टतम् केन्द्र खोलने हेतु विभिन्न मंचों पर व्यापक सिफारिशें की गई हैं। क्योंकि ऐसे प्रस्ताव के लिए योजना में निर्धारित संसाधनों और प्राथमिकताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कई प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान योजना में ऐसे केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पल्स पोलियो कार्यक्रम

3601. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री अनन्त नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में पोलियो रोगियों का उपचार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में पल्स पोलियो कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं की जानकारी आयी है जैसे केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की गई धनराशि के दुर्विनियोजन/कम उपयोग संबंधी अनियमितताएं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताएं रोकने और इन योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) पोलियो के लिए कोई इलाज नहीं है। तथापि, रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी सुविधाएं सभी राज्यों में उपलब्ध हैं। गैर-सरकारी संगठन भी देश के विभिन्न भागों में कैम्प आयोजित करके रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी उपचार उपलब्ध कराते हैं।

(ग) से (ङ) राजस्थान सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण निधियों की कथित वित्तीय अनियमितता के एक मामले की जांच-पड़ताल इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से पोलियो उन्मूलन में हुई प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीकी तथा भौतिक एवं वित्तीय संसाधनें भी उपलब्ध कराती हैं।

स्वायत्तशासी कार्यालयों में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग

3602. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां – 08.41% और अनुसूचित जनजातियां – 2.27%) है और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20%) (अनुसूचित जातियां – 09.68 और अनुसूचित जनजातियां – 3.52%) जबकि उनके लिए निर्धारत आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों/सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्त संगठनों, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी०ओ०पी०टी० के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/12/96-स्था० (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम/उद्यम, सांविधिक संगठन/निगम नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आई०सी०सी० आर०), जो कि एक स्वायत्त संगठन है और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सी०पी०ओ०) जो कि विदेश मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, के संबंध में अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों में स्नातक इंजीनियर

3603. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उदार ऋण प्रदान कर लघु उद्योग स्थापित करने में स्नातक इंजीनियरों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) लघु उद्योग स्थापित करने हेतु उपलब्ध योजनाओं, जिसमें, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) की मार्जिन मनी योजना, जिसके तहत 25 लाख रु० तक की परियोजनाओं को वित्त प्रदान किया जाता है; प्रधान मंत्री जी की रोजगार योजना (पी०एम०आर० वाई०), जिसके तहत, 2 लाख रु० तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं, आदि शामिल हैं, के अन्तर्गत योग्य व्यक्ति जिनमें स्नातक इंजीनियर शामिल हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियर, व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों के रूप में प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों से, उपकरणों को खरीद, विद्यमान उपकरणों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण और/अथवा वाणिज्य स्थलों की अधिप्राप्ति और मरम्मत अथवा औजारों की खरीद और/अथवा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं हेतु के प्रयोजनार्थ 5 लाख रु० तक, ऋण प्राप्त करने के योग्य हैं जिसमें से कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1 लाख रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

ब्राउन फाइबर कॉयर यूनिटें

3604. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ग्रामीण समुद्रतल और पृष्ठ जल में ब्राउन फाइबर कॉयर यूनिटों की स्थापना करने, विद्यमान कॉयर यूनिटों के आधुनिकीकरण हेतु अत्यधिक प्रचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन यूनिटों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु अनेक आवेदन पिछले दो वर्षों से अनुमोदन हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित अवधि के भीतर लंबित आवेदनों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) कॉयर बोर्ड, ब्राउन फाइबर क्षेत्र में कॉयर इकाइयों की स्थापना/विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कॉयर इकाइयों जैसे फाइबर एक्स्ट्रेक्शन इकाई, रोप इकाई, मैट्स और मैटिंग इकाइयां, स्पिनिंग इकाई, कर्लिंग इकाई, रबराइज्ड कॉयर इकाई, अर्ध स्वचालित और पूर्णत: स्वचालित मैटिंग वीविंग इकाई, रबर बैकिंग/एजिंग इकाई, फोम/लैटेक्स बैकिंग इकाई, कॉयर प्लाई/कॉयर कम्पोजिट इकाई और नीडलेड फेल्ट इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता, उपकरण और आधारभूत संरचना सुविधा की लागत, अधिकतम 1.5 लाख रु० की शर्त के अधीन लागत का 25% की दर से बढ़ा दी गई है। आधुनिकीकरण हेतु कॉयर इकाइयाँ अधिकतम 50,000 रुपए की शर्त के अधीन उपकरणों के आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचना सुविधाओं की लागत के 25% हेतु योग्य हैं।

(ग) और (घ) गत दो वर्षों के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदन के लंबित आवेदनों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है :–

राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या
कर्नाटक	18
तमिलनाडु	28
केरल	2
आंध्र प्रदेश	2
उड़ीसा	1

(ङ) वित्तीय सहायता हेतु आवेदन सभी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर स्वीकृत होते हैं।

[हिन्दी]

पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं देना

3605. श्री बीर सिंह महतो : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में जिले-वार कितनी ग्राम पंचायतों में अब तक टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की, गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को बेहतर टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) पश्चिम बंगाल में सभी ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ग) देश में शेष ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०), सी-डॉट, टी०डी०एम०ए०/पी०एम०पी० और सेटेलाइट जैसी नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत की जा रही है। दोषपूर्ण मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम०ए०आर०आर०) पर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को उत्तरोत्तर रूप से नई प्रौद्योगिकी के उपस्कर से बदलने की योजना बना ली गई है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण

3606. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कुछ मामलों में ऋण का संवितरण बैंकों द्वारा छोटे-मोटे बहानों के आधार पर या तो रोक दिया गया है या उसमें विलम्ब किया गया है जिससे गरीब लोगों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत स्वीकृत ऋण को अस्वीकृत करने और संवितरण न करने हेतु उत्तरदायी घटकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 2001 तक प्रत्येक राज्य में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत कितने प्रतिशत मामले अस्वीकृत किए गए; और

(घ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत दिए गए ऋणों की वापसी का प्रतिशत क्या है और बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां। 1997 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) पर पांचवें फील्ड अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि बैंकों ने विभिन्न मामलों में अनौचित्य/छोटे मोटे बहानों के आधार पर ऋणों के संवितरण में विलंब किया।

(ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित फील्ड अध्ययनों और इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (आई०ए० एम०आर०) नई दिल्ली द्वारा संचालित मूल्यांकन अध्ययनों ने प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत ऋणों की अस्वीकृति और अ-संवितरण हेतु कारण बताए हैं, जिसमें लाभार्थियों द्वारा औपचारिकताओं को पूरा न करना, माइक्रो उद्यम स्थापित करने हेतु स्थान की अनुपलब्धता, मार्जिन मनी जमा करने में लाभार्थियों की अयोग्यता और परियोजना में जीवनक्षमता न होना आदि शामिल हैं।

(ग) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा अस्वीकृत मामलों और वर्ष 1995-96; 1996-97 और 1997-98 के लिए आई०ए०एम०आर० द्वारा निरीक्षित मामलों और राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। तथापि, इन मामलों से संबंधित वर्षवार/राज्यवार सूचना केन्द्रीय रूप से तैयार नहीं की जाती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत मार्च, 2001 को समाप्त आधे वर्ष हेतु बकाया ऋणों की वसूली 34.2 प्रतिशत है। योजना के अन्तर्गत बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा बकाया ऋणों की वसूली में सुधार के लिए किए गए उपायों में, बैंकों और जिला औद्योगिक केन्द्र के अधिकारियों द्वारा संयुक्त वसूली अभियान, बैंकों में जोनल/क्षेत्रीय स्तरों पर वसूली सेलों का सृजन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भूमि राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत पी०एम०आर०वाई० के बकाया ऋणों की वसूली शामिल है।

विवरण

इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर, रिसर्च (आई०ए०एम० आर०) द्वारा सर्वेक्षित मामलों/राज्यों में बैंकों को प्रायोजित मामलों में से बैंकों द्वारा अस्वीकृत मामले

(प्रतिशत)

	सर्वेक्षित राज्य का नाम	प्रायोजित आवेदनों में से बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदन (प्रतिशत)
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	असम	8
3.	मणिपुर	1
4.	पंजाब	10
5.	राजस्थान	1

वास्तविक अवसंरचना

3607. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विश्व बैंक की सहायता के तहत सरकारी मेडिकल कालेजों और सम्बद्ध अस्पतालों में वास्तविक अवसंरचना में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) गुजरात, केरल एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों ने विश्व बैंक की सहायता से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और चिकित्सा कॉलेजों एवं संबद्ध अस्पतालों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) इनकी जांच की जा रही है।

सामाजिक क्षेत्र के विकास की निगरानी

3608. श्री सुबोध मोहिते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकारी दल ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सामाजिक क्षेत्र के विकास संबंधी योजनाओं हेतु निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली के गुण क्या हैं और यह वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न है; और

(ग) सरकार द्वारा विकास संबंधी कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए क्या अन्य उपाय किए जाएंगे ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सामाजिक क्षेत्रक विकास स्कीमों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ही विद्यमान है। योजना आयोग द्वारा, दसवीं योजना के दौरान देश में सामाजिक क्षेत्रक विकास स्कीमों के लिए मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कार्य दल गठित किया गया था। इस कार्य दल ने मॉनीटरिंग और मूल्यांकन में सुधार लाने और इस उद्देश्य हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सुझाव दिए हैं।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र ने विकास गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय सुझाव हैं :–

"शासकीय गुप्त बात अधिनियम की समीक्षा करना और इसे सूचना के अधिकार अधिनियम का पूरक बनाना। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के नियम 9 और इसी तरह के अन्य नियम जो सामान्य नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने पर रोक लगाते हैं, को हटा दिया जाना चाहिए और पारदर्शिता के पक्ष में सरकार के आशय को उजागर करने के संबंध में एक अन्य नियम जोड़ा जाए और इसमें यह उल्लेख हो कि ऐसी सभी सूचनाएं जो सामान्य तौर पर विधान सभा/संसद द्वारा किसी विधान मंडल के सदस्य को उपलब्ध करायी जाती हैं, गैर सरकारी संगठनों सहित जनता के किसी भी सदस्य को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।"

परमाणु तत्वों की खोज

3609. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों पर परमाणु कणों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तत्वों को निकालने के लिए निजी संगठनों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु खनिजों (जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग (ख) में सूचीबद्ध हैं), के अन्तर्गत इल्मेनाइट, रूटाइल (टाइटेनियम अयस्क खनिज), जर्कन (जर्कोनियम अयस्क खनिज), मोनाजाइट (थोरियम और विरल मृदा तत्वों वाले खनिज) शामिल हैं। ये खनिज आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश के तटवर्ती प्रदेशों के आस-पास के क्षेत्र में असंपिड़ित शलथ कणों के रूप में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए०एम०डी०) ने पिछले पांच दशकों के दौरान आंध्र प्रदेश के 982 किलोमीटर लम्बे तटवर्ती इलाकों में निम्नलिखित खनिज निक्षेपों का पता लगाया है और उनका मूल्यांकन किया है।

परमाणु खनिज	मिलियन मीटरी टन में भंडार
इल्मेनाइट	100.10
रूटाइल	4.42
जर्कन	4.43
मोनोजाइट	2.29

(ग) और (घ) भारत सरकार ने विनियंत्रण और उदारीकरण की सामान्य नीति के अनुसरण में अपने दिनांक 6 अक्तूबर, 1998 के संकल्प के द्वारा पुलिन बालू खनिजों का दोहन करने के लिए एक संशोधित नीति अधिसूचित की है जिसके अनुसार पूर्णत: स्वामित्व वाली भारतीय कम्पनियों को संबंधित राज्य सरकार से खनन संबंधी अपेक्षित पट्टा और परमाणु ऊर्जा विभाग से लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद खनन और खनिजों के पृथक्करण संबंधी कार्य करने की अनुमति है। इसी तरह, संयुक्त उद्यम कम्पनियों (74 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली सहित) को भी खनिजों के मूल्य-वर्धन के लिए सुविधाएं स्थापित करने या खनन, खनिजों के पृथक्करण और मूल्य-वर्धन के लिए एकीकृत सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

संविधान में संशोधन

3610. सरदार बूटा सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने 5 दिसम्बर, 1999 को हुई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों के राष्ट्रीय सम्मेलन में दिनांक 30 जनवरी, 1997 के डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन सं० 20011/1/96-स्था० (डी) जारी करने से पूर्व यथापूर्व रूप में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता बहाल करने के लिए संवैधानिक संशोधन लाने के लिए सरकार के संकल्प की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की उनकी पदोन्नति पर वरिष्ठता बहाल करने के लिए उक्त संवैधानिक संशोधन लाने में क्या प्रगति की है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन की स्थिति क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आरक्षण के नियम से पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता भी दिए जाने का प्रावधान करने के क्रम में, संशोधन के अनुच्छेद 16 (4क) में संशोधन करने की दृष्टि से, संसद द्वारा संविधान का (बानवेवाँ) संशोधन विधेयक, 2001 पारित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दोषी व्यक्तियों को सौंपना

3611. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने पाकिस्तान से मुम्बई बम विस्फोट के दोषियों और आई सी-814 विमान के अपहरणकर्ताओं को सौंपने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेशी मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) फरवरी 2000 में आयोजित आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध द्विपक्षीय भारत-अमरीकी संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक में दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए थे कि आई०सी० 814 के अपहरताओं को कानून के दायरे में लाया जाए। अमरीका ने कहा है कि अनेक अवसरों पर उसने पाकिस्तान सरकार के साथ आई०सी० 814 के अपहरण सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े अन्य मसलों के प्रति अपनी चिंता जताई है।

[अनुवाद]

जर्मन के इंटीरियर मिनिस्टर की यात्रा

3612. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कि जर्मन के इंटीरियर मिनिस्टर की हाल ही में की गई यात्रा के बाद जारी किए गए भारत-जर्मन संयुक्त वक्तव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : भारत-जर्मन संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषता इस बात को मान्यता देना है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का निशाना विश्वभर में स्वतंत्रता की चाह रखने वाले लोगों के समान मूल्य और धारणाएं हैं। आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा और अधिक विश्वव्यापी कार्रवाई की आवश्यकता है जिसके लिए 28 सितम्बर, 2001 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प के कार्यान्वयन को शामिल करते हुए आवश्यक माहौल बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में जर्मनी आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करता है।

[हिन्दी]

इंटरनेट सेवाओं को प्रोत्साहन

3613. डॉ० चरणदास महंत : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट सेवाओं को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर और अन्य प्रमुख नगरों को एक-एक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे-हब से जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की इंटरनेट योजना में रायपुर तथा छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख शहरों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे हबों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

नानी दमन-वाडी दमन के बीच वैकल्पिक पुल

3614. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में नानी दमन को वाडी दमन से जोड़ने वाला पुल जर्जर अवस्था में है क्योंकि इस पुल की वैध उपयोगिता अवधि 1995 में ही समाप्त हो चुकी है;

(ख) क्या वैकल्पिक पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव काफी समय पहले पारित हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) केंद्र सरकार मुख्यत: केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। अन्य सभी सड़कों और पुलों के विकास और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यक्षेत्र में आता है। दमन और दीव प्रशासन ने सूचित किया है कि वर्ष 2001 के दौरान किए

गए मरम्मत और सुधार कार्य के बाद पुल की स्थिति इस समय अच्छी है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय को हाल ही में 32.79 करोड़ रु० की लागत से वैकल्पिक पुल के निर्माण के लिए एक संशोधित प्रस्ताव तकनीकी जांच के लिए प्राप्त हुआ है। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए धनराशि गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास

3615. **श्री दलित इजिलमलाई :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसरण में राज्य को समाज के कमजोर वर्गों, विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की विशेष जिम्मेवारी के साथ बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कदम उठाए गए हैं ताकि उन्हें अन्याय और शोषण से बचाया जा सके तथा समाज में मौजूद गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों और उनकी अतीत की आर्थिक अक्षमता को दूर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षणिक हितों को विशेष जिम्मेवारी के साथ बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित/सहायता प्राप्त कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार करने तथा लम्बे समय से इस उपेक्षित समुदाय को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लाभ के लिए चलाई जाने वाली इन योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रकृति और व्याप्ति क्या है तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत मांगी गई और प्राप्त की गई एवं उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक वैज्ञानिक मंत्रालय है और अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित करने वाली इसकी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। किन्तु, मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थ एक रोज़गार सृजन कार्यक्रम तैयार किया है। इसके अलावा, मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की मान्यता (डी०ओ०ई०ए०सी०सी०), भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी०इ०डी०टी०आई०), भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (ई०आर० एण्ड डी०सी०आई०), उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन०सी०एस०टी०) जैसे संस्थान/संस्थाएं सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाती हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए भी उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

विशेष डाक-टिकट जारी किया जाना

3616. **श्री रामदास रुपला गावीत :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष डाक-टिकट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन वैज्ञानिकों के नाम पर विशेष डाक-टिकट जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार राजकपूर पर 14.12.2001 को, डिगबोई आयल रिफाइनरी पर 18.12.2001 को विशेष डाक-टिकट, शुभकामनाएं पर 18.12.2001 को दो डाक-टिकटों का सेट तथा मंदिर वास्तुकला पर 22.12.2001 को चार डाक-टिकटों का एक सेट जारी करेगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों पर कोई डाक-टिकट जारी नहीं किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानियों पर डाक-टिकट जारी करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की सूची :

1. एम० भक्तवत्सलम	7. डॉ० बुरगुला रामकृष्ण राव
2. महात्मा गांधी	8. एन०जी० रंगा
3. डॉ० हरेकृष्ण महताब	9. गोट्टिपति ब्रह्मय्या
4. श्री आदमजी पीरभाई	10. सरदार मारूपिल्ला चिन्नी
5. पूलीथेवर	11. मादुरी अन्नपूर्णय्या
6. राम मनोहर लोहिया	12. उत्काल गौरव मधुसूदन दास

13. बलवन्तराय मेहता
14. आचार्य जे०बी० कृपलानी
15. देवकरण बरई
16. साने गुरुजी
17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
18. सी० शंकर नायर
19. शहीद दुर्गामल और दल बहादुर थापा
20. पी० कक्कन
21. कित्तूर रानी चेन्नम्मा
22. मरूधुपांडियार बंधु
23. आर० श्रीनिवासन
24. सरदार प्रताप सिंह कैरों
25. आचार्य बीरबल सिंह
26. बसावन सिंह
27. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
28. राम कृष्ण सिंह
29. राधा गोबिन्द वल्लभ
30. चापेकर बंधु
31. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई
32. देशबन्धु गुप्ता
33. जगलाल चौधरी
34. सतीश चन्द्र सामन्त
35. महेश प्रसाद सिंह
36. अमृता देवी बिशनाई
37. यू० कियांग नोंगबा
38. डॉ० बी०आर० अम्बेडकर
39. झलकारी बाई
40. श्याम नारायण सिंह
41. जगदेव प्रसाद
42. गुलाब सिंह लोधा
43. पंडित मदन मोहन मालवीय
44. गौरीशंकर डालमिया
45. जुब्बा सहनी
46. सीदो मुरमू और कान्हो मुरमू
47. डॉ० शंकर दयाल शर्मा
48. डॉ० राधानाथ रथ
49. राम बहादुर सिंह
50. प्रो० गोकुल लाल असवा
51. द्वारका प्रसाद मिश्र
52. वीर कुंवर सिंह
53. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
54. पन्नालाल बरूपाल
55. काशीनाथुनी पूर्ण मल्लिकार्जुनुडू
56. रातूबाई अदानी
57. बृजलाल बियानी
58. रानी अवन्तीबाई
59. क्रान्तिसिन्हा नाना पाटिल
60. दादासाहेब गायकवाड़
61. डॉ० खूबचंद बघेल
62. मिनीमाता
63. वीर नारायण सिंह
64. ठाकुर प्यारे लाल सिंह
65. पंडित सुन्दरलाल शर्मा
66. राव तुला राम
67. सूरज नारायण सिंह
68. राम किशन खत्री
69. चौधरी देवी लाल
70. जोसेफ काका बापतिस्ता
71. यशपाल शर्मा
72. अब्दुल क्यूम अंसारी
73. निवारण चन्द्र लश्कर
74. नुशरत हुसैन
75. जयप्रकाश नारायण
76. मंगल पांडे
77. प्रकाश वीर शास्त्री
78. श्याम बर्थवार
79. विश्वनाथ राय
80. चौधरी ब्रह्म प्रकाश
81. ऊमाकान्त
82. बाबू जगजीवन राम
83. बाबू जगन्नाथ प्रसाद
84. जोधा सिंह अत्तेया
85. राजकुमार बाघ
86. किशोरी प्रसन्न सिंह और सुनीती देवी
87. अनिल राय-लीला राय
88. नाबाकृष्ण चौधरी
89. मुकुट बिहारी लाल भार्गव

आयोडीन रहित नमक

3617. डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयोडीन रहित नमक से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कौन-कौन सी बीमारियां हो जाती हैं;

(ग) क्या सरकार ने आयोडीन युक्त नमक को लोकप्रिय बनाने के लिए हाल ही में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने "वर्ल्ड डेफिशिएंसी डे" (विश्व अल्पता दिवस) पर आयोडिन युक्त नमक के प्रयोग के संबंध में कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (च) भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा, गर्भपात, मृत बच्चे का जन्म, मानसिक मंदता, बहरापन, गूंगापन, भेंगापन, बौनापन और न्यूरो मोटर विकार आदि रोग हो सकते हैं। समग्र जनसंख्या को आयोडीन प्रदान करने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका आयोडीन युक्त नमक का उपभोग करना माना गया है। आयोडीन अल्पताजन्य विकारों पर नियंत्रण हेतु सरकार सारे देश में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की लोकप्रियता के लिए सरकार ने मीडिया प्रचार के माध्यम से सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण गतिविधियों को तेज किया है। प्रत्येक वर्ष 21 अक्तूबर को वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष, इस दिन आयोडीनयुक्त नमक के महत्व पर विभिन्न सूचना, शिक्ष एवं सम्प्रेषण गतिविधियों के माध्यम से पुन: जोर दिया गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं हेतु निधियां

3618. श्री भर्तृहरि महताब : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक सहायता की भी मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) जी नहीं। क्षय रोग, मलेरिया, कुष्ठ, दृष्टिहीनता एवं एड्स जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण हेतु कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत उड़ीसा सहित सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जा रही हैं।

(ग) से (च) विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा के लिए 415.57 करोड़ (90.7 मिलियन अमरीकी डालर) की परियोजना लागत वाली राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना सितंबर, 98 से चलाई जा रही है। यह परियोजना 5 वर्षों के लिए हैं। यह परियोजना 32 जिला मुख्यालय अस्पतालों, 20 उपमण्डलीय अस्पतालों, 19 क्षेत्रीय अस्पतालों और 85 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर करती है।

टेलीफोन एक्सचेंज

3619. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेल्लारी, कर्नाटक में किन-किन स्थानों पर टेलीफोन-एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) क्या बेल्लारी में सभी स्थानों पर राष्ट्रीय एस०टी०डी० नेटवर्क उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों में दूरसंचार-सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या बेल्लारी में नए टेलीफोन-एक्सचेंज स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बेल्लारी, कर्नाटक में काम कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सभी 599 गाँवों को दूरसंचार सुविधा उपलब्ध है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 2001-2002 के दौरान निम्नलिखित टेलीफोन-एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है :–

(i) एच० वीरापुर – चालू।

(ii) जी० नागलपुर – चालू।

(iii) सुगेनाहाल्ली – काम चल रहा है।

विवरण

बेल्लारी, कर्नाटक में काम कर रहे टेलीफोन एक्सचेंज

1. अरासीकेरे
2. बचीगॉडनहाली
3. बालाकुंडी
4. बांडरी
5. बनमकाल
6. बेल्लारी ए०पी०एम०सी० यार्ड
7. बेल्लारी कोंट
8. बेल्लारी जी० नगर
9. बेल्लारी
10. बेल्ली आर० कॉलोनी
11. बेल्लारी शास्त्री नगर
12. बेरिनाहाली
13. भागेवाड़ी
14. चेल्लागुर्की
15. चिगाटेरी
16. चिक्काजोगीहाल्ली
17. चोरानूर
18. डाम्मूर
19. डारोजी
20. देवगिरी
21. देवसमुद्र
22. डौनी मलाई
23. इम्मीगनूर
24. जी० नागलपुर
25. गडीगानूर
26. गुडेकोटा
27. गुंडागट्टी
28. एच०बी० हाल्ली
29. एच० वीरपुर
30. हगरी
31. हलवागलू
32. हम्पासागर
33. हनसी
34. हरकाभावी
35. हरपनहाली
36. हटचोल्ली
37. हीरेहाडागली
38. हीरेमगलागेरी
39. हीरेमल्लनकेरे

40. होलालू
41. होसपेट
42. होसपेट बोम
43. हुरालीहाल
44. हुमनहाडागली
45. इट्टीगी
46. जालीहाल
47. कचानाहाल्ली
48. खोसाहाल
49. के० वीरापुर
50. काल्लूकम्बा
51. कमलापुर
52. कम्यथरहल्ली
53. कम्मरक्षेड्डु
54. काम्पली
55. काँचीकेरी
56. कप्पागल
57. करूर
58. कोंगालां
59. कोलागल्लु
60. कोम्बली
61. कोरलागुण्डी
62. कोट्टूर
63. कुडिथिनी
64. कुडलिगी
65. कुडुधरहल
66. कुरूगोड्डु
67. एम०एम० हल्ली
68. मगला
69. मट्टिहल्ली
70. मेत्री
71. मिंचेरी
72. मोका
73. मोरीगेर
74. नगतिबासपुर
75. नन्दीबेवुर
76. नन्दी हल्ली
77. नीलागुण्ड
78. निम्बल गिरि
79. निट्टूर
80. पापिनायकनहल्ली
81. रामासागर
82. रारवि
83. सनापुर
84. संदूर
85. सिद्धमलहल्ली
86. सिन्दिगेरी
87. सिरागुप्पा
88. सिरिगेरी
89. सोगी
90. सोमसमुद्र
91. श्रीधरगड्डा
92. तालूर
93. ताम्ब्रहल्ली
94. तारानगर
95. तेक्कलकोटा
96. तेलगी
97. तिम्माइपुर
98. तूलाहल्ली
99. तोरनगल्लु
100. उच्चानगिदूर्गा
101. उज्जैनी
102. उलावट्टी
103. उप्पिनायकनहल्ली
104 उन्तांगी
105. वड्डाटी
106. वन्नेनूर
107. विद्यानगर (जे०बी०एस० एल०)
108. विरूपापुरा
109. वाई० बुदिहल
110. येरांगली
111. पापिनायकनहल्ली

[हिन्दी]

प्रायोगिक यूनानी परियोजना

3620. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौतनवां, उत्तर प्रदेश में सी०आर०पी०पी० (प्रायोगिक यूनानी परियोजना) का काम बीच में ही छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना का काम पुन: शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर कब तक काम पुन: शुरू किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा नौतनवां में मलेरिया, वाइरल ज्वर, रक्ताल्पता और ल्यूकोरिया पर आरम्भ किया गया अनुसंधान कार्य पूरा हो चुका है। केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के बारे में सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों पर प्रायोगिक परियोजना को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा हो गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ए०टी०एम० और स्मार्ट कार्ड लगाना

3621. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक सेवा का विचार स्वयं को वित्तीय सेवा सुपरमार्केट में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग का विचार डाकघरों में ए०टी०एम०, स्मार्ट कार्ड आदि जैसे नए प्रचलन लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) हाल में डाक विभाग ने नई वित्तीय सेवाओं की श्रृंखला शुरू की है जिससे प्रेस ने डाकघर का एक वित्तीय सुपर मार्केट के रूप में उल्लेख किया है। विभाग ए०टी०एम० तथा स्मार्ट कार्ड की सहायता से कार्ड आधारित भुगतान व्यवस्था शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

इंटरनेट के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन का पंजीकरण

3622. श्री किरीट सोमैया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई पासपोर्ट कार्यालय प्रतिदिन औसतन कितने पासपोर्ट जारी करता है;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यालय में कतिपय सुधार किए हैं और नई सुविधाएं भी प्रदान की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुंबई पासपोर्ट कार्यालय में इंटरनेट के माध्यम से आवेदनों का पंजीकरण शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई प्रतिदिन औसतन 900 पासपोर्ट जारी करता है।

(ख) और (ग) सरकार ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई में अनेक सुधार किए हैं।

हाल में लागू किए गए प्रमुख सुधार/सुविधाएं निम्नलिखित हैं :–

(i) 27 नवम्बर, 2001 से पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई में पासपोर्टों पर मशीन से लिखना आरम्भ किया गया है।

(ii) इन्डेक्स कार्ड जांच कम्प्यूटरों पर की जा रही है।

(iii) पासपोर्ट कार्यालय में भीड़ समाप्त करने के लिए अतिरिक्त स्थान किराए पर लिया गया है।

(घ) और (ङ) फिलहाल इण्टरनेट के माध्यम से पासपोर्ट आवेदनों को पंजीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तालिबान संकट

3623. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 नवम्बर, 2001 को 'द हिन्दु' में प्रकाशित समाचार के अनुसार तालिबान कश्मीर की ओर रूख कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेशी मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) हालांकि पाकिस्तान ने आफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभियान को समर्थन देने की घोषणा की है फिर भी वह जम्मू तथा कश्मीर सहित भारत के अन्य भागों में स्वयं आतंकवाद का प्रायोजन कर रहा है। इस आशय की खबरें हैं कि पाकिस्तान सरकार और आसूचना अभिकरण पाकिस्तान और उन विदेशी राष्ट्रिकों को जम्मू और कश्मीर में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो पहले अफगानिस्तान के तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों में थे।

सरकार देश की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखण्डता को बनाए रखने एवं आतंकवाद का तब तक मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए दृढ़ संकल्प है जब तक वह पूरी तरह समाप्त न हो जाए।

स्वास्थ्य संबंधी रिकार्डों का रख-रखाव

3624. श्री अनंत गुढे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की नाभिकीय अधिष्ठापनाओं/परिसरों में अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्डों का अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रेक्षण/कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या स्वास्थ्य संबंधी रिकार्डों के रख-रखाव में पारदर्शिता रखी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। देश के नाभिकीय प्रतिष्ठान/सम्मिश्र कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड को रखने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। देश के नाभिकीय प्रतिष्ठानों/सम्मिश्रों के कर्मचारियों की चिकित्सा जांच विकिरण संरक्षा नियम 1971, परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्यकरण, खनिजों और विहित पदार्थों का हस्तन) नियम 1984 और परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम 1996 के अंतर्गत की जाती है। उक्त नियमों को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बनाया गया है और ये नियम इस क्षेत्र में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विधान के समान ही सख्त हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) का प्रत्येक यूनिट परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को एक निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य संबंधी अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजता है जिसमें व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों, यदि कोई हों, के बारे में बताया जाता है। जिन मामलों में किसी अवधि विशेष के दौरान विकिरण की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होती है, उन्हें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक विकिरण के प्रभाव के सभी मामलों की पुनरीक्षा एक शीर्षस्थ समिति द्वारा भी की जाती है। जिसमें व्यावसायिक स्वास्थ्य, चिकित्सा भौतिकी, स्वास्थ्य भौतिकी, वैकिरणिकी संरक्षा, विकिरण अर्बुद्ध विज्ञान, नैदानिक विकिरण चिकित्सा, कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों के विशेषज्ञ हैं। इस समिति के कुछ सदस्य परमाणु ऊर्जा विभाग से बाहर के संस्थानों के भी हैं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) तथा (घ) के मद्दे नजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

युवा आयोग

3625. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकर ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय युवा आयोग गठित करने का निर्णय ले लिया गया है। तद्नुसार, अगले तीन महीनों के अंदर आयोग गठित करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

3626. श्री सुरेश पासी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27.10.2001 के "दैनिक जागरण" में "पोलियो के नाम पर सरकारी खजाने को ही अपाहिज बना डाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) दैनिक जागरण के अंक में 27 अक्तूबर, 2001 को इस प्रश्न में संदर्भित समाचार आया है। यह रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 के मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थाई समिति के निष्कर्षों पर आधारित लगती है। यह रिपोर्ट पैरा 7.3 में निम्नलिखित टिप्पणियां करती हैं :-

"यह समिति, रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की प्रशंसा करते समय यह टिप्पणी करने के लिए व्यथित है कि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों में पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए अभिप्रेत धन के अल्प उपयोग की प्रवृत्ति है। प्रमुख दोषियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राज्य	1998-99		1999-2000	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
आंध्र प्रदेश	320.92	14.46	945.84	389.37
बिहार	672.65	287.24	1214.05	324.70
उड़ीसा	264.76	164.30	683.04	0.00
राजस्थान	414.89	92.43	890.45	162.55
उ०प्र०	1035.19	209.03	1834.19	68.53

यह समिति उपरोक्त राज्यों में पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम की स्थिति के बारे में जानना चाहेगी। यह समिति यह भी अनुभव करती है कि इन राज्यों द्वारा पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सामना की जा रही कमियों/आशंकाओं, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए कोई देर किए बिना सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

इस रिपोर्ट से देखा जा सकता है कि यह पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए धन का उपयोग करने में वित्तीय अनियमितताओं की बात नहीं करती है लेकिन यह आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में इस कार्यक्रम के लिए धन के कम उपयोग किए जाने पर ध्यान केन्द्रित करती है। यह सच है कि इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के समय राज्यों से 98-99 और 99-2000 के पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं थे। पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए राज्य को प्रदान की गई अधिकतर सहायता भारत सरकार से "वस्तुगत सहायता" वैक्सीन, कोल्ड चेन इत्यादि के रूप में जाती है। तथापि, राज्यों को विशिष्ट तौर पर (1) राज्य, जिला और निचले स्तर पर सूचना, शिक्षा व संचार (2) गतिशीलता संबंधी सहायता (3) संभार तंत्र और (4) पी०ओ० एल० सहायता के लिए धन आबंटित किया जाता है।

चूंकि ये गतिविधियां देश के सभी गांवों और कस्बों में उन दिवसों को हर स्थान पर होती हैं जब पल्स पोलियो कार्यक्रम का आयोजन

किया जाता है। इसलिए राज्यों को व्यय-विवरण भेजने में समय लगता है। वर्ष 98-99 और 99-2000 की मानव संसाधन विकास समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित राज्यों की नवीनतम अद्यतन व्यय रिपोर्ट इस प्रकार है :—

राज्य	1998-99		1999-2000	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
आंध्र प्रदेश	320.92	281.00#	945.84	891.06**
बिहार	672.65	524.50@	1160.05	756.53**
उड़ीसा	264.76	231.83#	683.04	646.64#
राजस्थान	419.89	314.99@	1042.44	959.11@
उ०प्र०	1035.19	583.27#	1834.19	1697.57**

* अनन्तिम

राज्य सरकारों ने पूरी बकाया धनराशि वापिस कर दी है।

@ राज्य सरकारों ने अंशत: बकाया धनराशि वापिस की है। उनसे बकाया धनराशि वापिस करने की प्रतीक्षा की जा रही है।

** राज्यों से बकाया धनराशि की वापसी की प्रतीक्षा है। उपर्युक्त तथ्यों से देखा जा सकता है कि राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर व्यय को सूचित किया है और बकाया धनराशि वापिस की है। तथापि, राजस्थान सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की निधियों के कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले के जांच इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

मानव संसाधन विकास समिति की रिपोर्ट में भी, केन्द्रीय अंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा 158 परिवार कल्याण एककों का निरीक्षण करते समय नोट की गई कतिपय भारतीय अनियमितताओं अथवा कमियों के उदाहरण पर अनुच्छेद संख्या 25 में कतिपय सामान्य टिप्पणियां की गई हैं। केन्द्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा बताई गई अनियमितताओं को सभी सम्बन्धित राज्यों के ध्यान में लाया गया है। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम अधिकारियों को इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाने की सलाह भी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई करने में निरन्तर असफलता के मामले में इस मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास समिति को पहले ही सूचित कर दिया हे कि लेखा परीक्षा द्वारा बताई गई आपत्तिजनक राशि को, राज्यों को भविष्य में दी जाने वाली आगामी रिलीजों में से रोक लेने पर विचार किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम, विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित एक बड़ा क्षेत्र-व्यापी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाला व्यय प्रति वर्ष महालेखा परीक्षक द्वारा भी अंकेक्षित होता है। केन्द्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा टीम की टिप्पणियां केवल पल्स पोलियो पर ही विशेष रूप से नहीं हैं बल्कि इनका सम्बन्ध सामान्य परिवार कल्याण कार्यक्रम से भी है।

[अनुवाद]

अमरीका स्थित भारतीय दूतावास में सलाहकार की नियुक्ति

3627. श्रीमती मिनाती सेन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में एक अनिवासी भारतीय को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका में रह रहे एक भारतीय नागरिक श्री बी०के० अग्निहोत्री को भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन के सलाहकार और अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए परिनिर्वाचित राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) सरकार ने श्री अग्निहोत्री को भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन के सलाहकार और अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए परिनिर्वाचित राजदूत के रूप में इस उद्देश्य के साथ नियुक्त किया है कि सामरिक दृष्टि से अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के बीच बेहतर समन्वय और भारत और अन्य देशों के साथ अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों का आर्थिक सहयोग, निवेश और वाणिज्य बढ़े।

एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट

3628. श्रीमती प्रभा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 2001-2002 के दौरान एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मनीला में प्रशिक्षण हेतु कितने अधिकारियों को भेजा गया है;

(ख) इस वर्ष सरकार द्वारा इनके प्रशिक्षण पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) देश में बेहतर प्रशिक्षण संस्थाएं होने के बावजूद इन अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण दिलाने के क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग-मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष-विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसन्धुरा राजे) : (क) वर्ष, 2001-2002 में 10 अधिकारी, एशियाई प्रबन्धन-संस्थान, मनीला में प्रशिक्षण लेने हेतु प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण पर लगभग 106.69 लाख रुपए का कुल व्यय किया जाना संभावनीय है। इस सिलसिले में

73.58 लाख रुपए की धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है और भत्तों के भुगतान पर 33.11 लाख रुपए की और धनराशि किश्तों में दी जाएगी।

(ग) देश में बहुत से प्रशिक्षण-कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जा रहे हैं जो अधिकारियों की क्षमता और उनका कौशल बढ़ाते हैं। विश्व भर में प्रबन्धन-प्रणालियों और प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलावों के मद्देनजर, हमारे अधिकारियों को प्रबन्धन की सर्वोत्तम पद्धतियों और प्रक्रियाओं के प्रति उन्मुख करवाना और उन्हें, उनका अनुभव अर्जित करवाना महत्वपूर्ण हो गया है। विदेश में प्रशिक्षण के दौरान, समस्या-समाधान के क्षेत्र में, विदेश में प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों द्वारा अन्य देशों के, अपने सह प्रतिभागियों के अनुभव से सीख लेने के लाभ, विदेश में प्रशिक्षण की उत्कृष्टता और उपयोगिता के कुछ प्रमाण-चिन्ह हैं। विदेश में प्रशिक्षण दिलवाने से हमारे सिविल सेवक, बेहतर नीतियां/योजनाएं बनाने और परियोजनाएं कार्यान्वित करने में समर्थ हो जाते हैं तथा उसके द्वारा वे जनता को बेहतर सेवाएं सुलभ करवाना सुनिश्चित करते हैं।

'शार' केन्द्र पर प्रक्षेपण प्लेटफार्म

3629. **श्री होलखोमांग हौकिप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'शार' केन्द्र पर द्वितीय प्रक्षेपण प्लेटफार्म के लिए अनुमानित बजट क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश भर में अंतरिक्ष विभाग के विभिन्न केन्द्रों पर अन्य कौन-सी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की योजना बनाई गई है/शुरू की गई हैं और अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में ये कितनी सक्षम हैं;

(ग) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण की समय-सीमा क्या है और अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है; और

(घ) स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास में अवरोध, यदि कोई हों, तो क्या हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती बसुन्धरा राजे) : (क) द्वितीय प्रक्षेपण प्लेटफार्म के लिए 305.22 करोड़ रुपये की राशि का बजट है। परियोजना का विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य पूरा हो गया है। सिविल कार्यों में अच्छी प्रगति हुई है तथा अपेक्षित उपस्करों के लिए आदेश दे दिया गया है।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग इसरो केन्द्रों में पहले से निर्मित अवसंरचनाओं तथा उद्योगों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध अवसंरचनाओं का यथा संभव उपयोग करता है तथा केवल उन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को ही शुरू किया जाता है, जोकि उपलब्ध नहीं है अथवा पर्याप्त नहीं हैं जैसे एन्टेना जांच कम्प्लेक्स, जिसका इसरो उपग्रह केन्द्र में निर्माण किया जा रहा है।

(ग) इंजिन सहित स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के निर्माण की समय-सीमा 2003-2004 तक के लिए निर्धारित की गई है। इस परियोजना ने जांच सुविधाओं के निर्माण और अभिचालन, इंजिन की प्राप्ति, अंतस्थ संयंत्र से द्रव हाइड्रोजन का उत्पादन, इंजिन की अर्हता की शुरूआत और चरण टंकियों तथा उपस्करों के संविरचन के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति की है।

(घ) प्रौद्योगिकी की जटिलता के अलावा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन के विकास में कोई अवरोध नहीं है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण

3630. **श्री सुबोध राय** : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मार्च, 2000 तक वितरित किए गए 2315.51 करोड़ रुपए के ऋण में से 1806.6 करोड़ रुपये की वसूली लम्बित थी और वसूली किया जाने वाला ब्याज/दंड ब्याज भी लम्बित था और आयोग द्वारा वर्ष-वार तथा ऋण-वार स्थित को भी अद्यतन नहीं किया गया;

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के बिना बिके भंडार 1994-95 में 30.96 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2000 में 49.02 करोड़ हो गए;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) द्वारा मार्च, 2000 तक संवितरित 2315.51 करोड़ रुपय के कुल ऋण में से वसूली योग्य निधि 1098.40 करोड़ रु० है। खादी संस्थानों को दी गई 710.46 करोड़ रुपए की कार्यशील निधि तब तक वसूली योग्य नहीं है जब तक वे उत्पादन का एक नियत स्तर बनाए रखते हैं।

(ख) क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार 30.96 करोड़ रु० था वह बढ़कर 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार 44.22 करोड़ रु० हो गया है।

(ग) क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने का मुख्य कारण व्यापार इकाइयों की बिक्री में गिरावट है।

(घ) सरकार ने के०वी०आई०सी० से कहा है कि वह बेहतर इन्वेटरी प्रबंध बनाए रखें। के०वी०आई०सी० द्वारा सभी कारोबारी इकाइयों को सावधान किया गया है कि वे खरीद पर नियंत्रण रखें और उन्हें कहा गया है कि वे अपने स्टॉक को मदवार वर्गीकृत करें और स्टॉक लेते समय पुराने टूटे फूटे, धीमी गति के स्टॉक को अलग

करें तथा उनके जल्दी निपटान के प्रयास करें और सभी कारोबारी इकाइयों की स्टॉक स्थिति सहित उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु के०वी०आई०सी० द्वारा विपणन पर स्थायी मूल्यांकन समिति गठित की गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने खादी और ग्राम उद्योगों के विकास एवं संवर्धन हेतु 14.5.2001 को खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं : पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट और बाजार विकास सहायता का विकल्प (एम०डी०ए०), खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन को बढ़ावा देने के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, क्लस्टर विकास इत्यादि।

चिकित्सा परिषद की स्थापना

3631. **श्री चैको :**
डा० सी० कृष्णन :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद् की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने परिषद् के कार्यों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो परिषद् की स्थापना के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) क्या सरकार का परिषद् को और अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों चिकित्सीय शिक्षा के न्यूनतम मानकों का अनुरक्षण, भारत और विदेशों में चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता, मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं वाले डाक्टरों का पंजीकरण और विभिन्न राज्य चिकित्सा परिषदों से पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नामों वाले भारतीय चिकित्सीय रजिस्टर का रख-रखाव करना शामिल है। सरकार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नीति बनाने की प्रक्रिया के दौरान समय समय पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कार्यकरण की समीक्षा करती है। कुल मिलाकर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की स्थापना के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सेवा-कर के दायरे में लाया जाना

3632. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सेवा-कर के दायरे में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) इनका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सेवा-कर के दायरे में लाया गया है।

(ख) इस कर को दिनांक 16 जुलाई, 2001 से लागू किया गया है। सेवा कर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के सकल मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से आरोप्य है।

(ग) "ऑन-लाइन सूचना और आंकड़ा आधारित एक्सेस अथवा रिट्रीवल" सेवा पर सेवा कर वित्त अधिनियम 2001 के तहत शुरू किया गया था। इंटरनेट सेवा प्रदाता कर-योग्य सेवा की इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क मंडल ने भी दिनांक 09.07.2001 के परिपत्र सं० बी-11/2001-टी०आर० यू० के द्वारा विस्तृत हिदायतें जारी की हैं। उपर्युक्त परिपत्र के संगत अंश विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) इस कर को दिनांक 16 जुलाई 2001 से लागू कर दिया गया है।

विवरण

ऑन-लाइन सूचना और आंकड़ा आधारित एक्सेस और/अथवा रिट्रीवल

1. खंड 65 (19), 1994 के अनुसार" ऑन-लाइन सूचना और आंकड़ा आधारित एक्सेस अथवा रिट्रीवल" पद का अर्थ किसी ग्राहक को कम्प्यूटर नेकटर्व के माध्यम से रिट्रीवेबल अथवा अन्यथा, आंकड़े अथवा सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना है। "आंकड़े", सूचना "इलेक्ट्रॉनिक रूप" और "कम्प्यूटर नेटवर्क" शब्दों के अर्थ वही हैं जो अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दिए गए हैं। खंड 65 (72) (जेड एच) के अनुसार, कर-योग्य सेवा का अर्थ ऑन-लाइन सूचना और आंकड़ा आधारित एक्सेस अथवा रिट्रीवल अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में दोनों के संदर्भ में किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सेवा से है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दी गई परिभाषाएं निम्नानुसार हैं :–

''आंकड़े'' का अर्थ सूचना, ज्ञान, तथ्यों, संकल्पनाओं अथवा अनुदेशों के प्रतिरूप से है जो तैयार किए जा रहे हैं अथवा औपचारिक रूप से तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें कम्प्यूटर प्रणाली अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क में संसाधित किया जाना है अथवा संसाधित किए जा रहे हैं अथवा संसाधित कर लिए गए हैं और किसी भी रूप (कम्प्यूटर प्रिंट आउट, मैग्नैटिक अथवा आप्टिकल स्टोरेज मीडिया, पंच कार्ड, पंच टेप सहित) में हो सकते हैं अथवा किसी कम्प्यूटर के मेमोरी में भंडारित किए जा सकते हैं।

''सूचना'' में आंकड़े, पाठ, प्रतिरूप, ध्वनि, कोड, कम्प्यूटर कार्यक्रम, साफ्टवेयर और आंकड़ा आधार अथवा माइक्रो फिल्म अथवा कम्प्यूटर सृजित माइक्रो फिश।

सूचना के संदर्भ में ''इलेक्ट्रानिक फॉर्म'' का अर्थ मीडिया मैग्नैटिक, आप्टिकल कम्प्यूटर मेमोरी, मोइक्रोफिल्म, कम्प्यूटर सृजित माइक्रोफिश अथवा ऐसे ही यंत्र में सृजित, भेजी गई, प्राप्त की गई अथवा भंडारित किसी सूचना से है।

''कम्प्यूटर नेटवर्क'' का अर्थ निम्नलिखित के माध्यम से एक अथवा एक से अधिक कम्प्यूटरों के इंटरकनेक्शन से है :–

(i) उपग्रह, माइक्रोवेव, स्थलीय लाइन अथवा अन्य संचार माध्यम के इस्तेमाल, और

(ii) टर्मिनल अथवा दो अथवा अधिक इंटरकनेक्टिड कम्प्यूटरों वाला कॉम्पलेक्स चाहे इंटरकनेक्शन में निरन्तरता बनाए रखी जाती है अथवा नहीं।

3. इस सेवा के संदर्भ में, उस तरीके का उल्लेख करना संगत होगा जिसके द्वारा ऑन-लाइन सूचना और आंकड़ा आधारित एक्सेस/रिट्रीवल सामान्यत: उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम, सामान्यत: इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के रूप में जाने जाने वालों का कार्य। इंटरनेट सेवा प्रदाता कन्टेन्ट प्रदाताओं के संदेशों और आंकड़ों तथा अन्य सूचना संग्रहों को सुलभ कराने हेतु अपेक्षित दूरसंचार नेटवर्क अथवा गेटवे उपलब्ध कराते हैं। दूसरा तत्व ऑन-लाइन सूचना व्यवस्था सेवाएं हैं जिनमें सभी अथवा सीमित संख्या में प्रयोक्ताओं को आंकड़ा आधारित सेवाएं वेब-साइट पर सूचना की उपलब्धता, आंकड़ा आधारों से ऑन-लाइन रिट्रीवल सेवाएं और अन्य सूचना उपलब्ध कराना तथा कन्टेन्ट प्रदाताओं द्वारा ऑन-लाइन सूचना की व्यवस्था है।

4. इंटरनेट सेवा प्रदाता कम्प्यूटर नेटवर्क और वेब-साइट के माध्यम से वेबसाइट सुलभ कराते हैं। और वेबसाइट आंकड़े अथवा सूचना उपलब्ध कराते हैं। भारत में कार्यरत कुछ विख्यात इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं – विदेश संचार निगम लिमिटेड, एम०टी०एन०एल०, सत्यम ऑनलाइन, भारती, टाटा, आर०पी०जी०, एच०सी०एल०, विप्रो, बी०पी०एल०, मंत्र ऑन-लाइन, दिशनेट। वे उपभोक्ताओं से सामान्यत: समय के इस्तेमाल (घन्टों) के आधार पर प्रभार लेते हैं। वे एक मुश्त भुगतान के आधार पर समर्पित पट्टा लाइनें भी उपलब्ध कराते हैं। स्पष्टत: इंटरनेट सेवा प्रदाता ऑन-लाइन सूचना और आंकड़ा आधारित पर एक्सेस अथवा रिट्रीवल के संदर्भ में सेवा उपलब्ध कराते हैं। वे इंटरनेट प्रचालन का एक अभिन्न अंग हैं और उनकी सेवा के बिना आंकड़े अथवा सूचना न तो सुलभ हो सकती है और न ही पुन: प्राप्त की जा सकती है। इसलिए उन्हें अपने उपभोक्ताओं से समय के इस्तेमाल अथवा लीज लाइन आधार र प्रभारित राशि पर सेवा कर देना पड़ेगा।

5. दत्तशुल्क वेब साइटों के संबंध में भारतीय डाट कम्पनियों के कतिपय उदाहरण हैं – इंडिया इनफार्मर डाट कॉम, सी-।। ऑन-लाइन डाट कॉम, जो उपभोक्ता से अपने वेबासाइट पर उपलब्ध विशेष सूचना के लिए अग्रिम अथवा ऋण आधार पर प्रभार लेते हैं। उन्हें भी अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रदत्त सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करना होगा। स्पष्ट है कि जहां सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है, वहां कोई सेवा कर देय नहीं है।

6. **स्पष्टीकरण हेतु बिन्दु :**

प्रश्न उठाया गया है कि क्या ई-कामर्स कार्य-संपादन (ऑन-लाइन सूचना और आंकड़े उपलब्ध कराने के अलावा) सेवा कर के दायरे में आता है। स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कार्य-सम्पादन में, ऑन-लाइन सूचना और आंकड़ा आधारित एक्सेस/रिट्रीवल सेवा शामिल नहीं है। इसलिए ई-कॉमर्स कार्य-संपादन सामान्यत: सेवा कर के दायरे में नहीं आएगा। सामान्यत:, वेब साइट उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवा संबंधी सूचना के लिए उपभोक्ताओं से प्रभार नहीं लेता। यदि वे ऐसा करते हैं, तो सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रभारित राशि पर सेवा कर देय होगा।

उठाए गए एक अन्य बिन्दु का संबंध एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराई गई इंटरकनेक्टिविटी सेवाओं और ऐसी सेवाओं के लिए वसूले गए प्रभारों पर सेवा कर की प्रयोज्यता से है। यह विदित है कि यह विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि उस सर्वर तक पहुंचा जा सके जहां सूचना उपलब्ध है। सूचित किया जाता है कि एक इंटरनेट सेवा प्रदाता का दूसरे इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरकनेक्शन एक वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता अपने उपकरण, नेटवर्क और सेवाएं इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि उनके उपभोक्ताओं को आंकड़े अथवा सूचना सुलभ हो सके। इस व्यवस्था के माध्यम से, इंटरनेट सेवा प्रदाता का उपभोक्ता ही अंतत: ऑन-लाइन सूचना और आंकड़ा आधारित एक्सेस और/अथवा रिट्रीवल प्राप्त करता है। उसमें प्रभारित राशि पर सेवा कर देय है। इसलिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे इंटरनेट सेवा प्रदाता को प्रदत्त प्रभारों पर सेवा कर नहीं लगेगा।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या साइबर कैफों पर सेवा कर लगाया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि साइबर कैफे केवल कम्प्यूटर टर्मिनल और इंटरनेट कनेक्शन जैसी अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं। यह इंटरनेट सेवा प्रदाता अथवा वेब साइट होते हैं जो सूचना की ऑन-लाइन एक्सेस अथवा रिट्रीवल उपलब्ध कराते हैं। इसलिए साइबर कैफों को सेवा कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा साइबर कैफे को उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर कर लगाया जाएगा

तथा इंटरनेट सेवा प्रदाता साइबर कैफे से वसूले गए प्रभारों पर कर का भुगतान करेगा।

विश्व व्यापार संगठन की दोहा बैठक में लोक स्वास्थ्य नीति

3633. श्री सुनील खां :
श्री किरीट सोमैया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लोक स्वास्थ्य नीति के संबंध में विश्व व्यापार संगठन का मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन दोहा में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुख्य मुद्दे क्या थे;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोहा, कतार में 9 से 14 नवम्बर, 2001 तक हुआ था। सम्मेलन ने ट्रिप्स समझौते और जन-स्वास्थ्य पर 14 नवम्बर, 2001 को एक घोषणा पारित की थी। घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ बहुत से विकासशील देशों में जन स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता को समझा गया है और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि ट्रिप्स समझौता जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय उठाने से सदस्यों को नहीं रोकता है और न ही इसे रोकना चाहिए। घोषणा में इस बात की पुष्टि की गई है कि समझौते को विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के अधिकार, विशेष रूप से सभी तक औषधियों की पहुंच को बढ़ावा देने में सहायक तरीके के व्याख्या की जानी चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यह विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा ट्रिप्स समझौते के उपबंधों के पूरे-पूरे उपयोग के अधिकारों की पुन: पुष्टि करता है जो इस प्रयोजन के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। ट्रिप्स समझौते और जन स्वास्थ्य पर घोषणा का पूरा कथन विवरण में दिया गया है।

22.11.2001 को लोक सभा में दिए गए एक वक्तव्य में माननीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री ने स्पष्टतया बताया कि ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य पर घोषणा एक प्रमुख उपलब्धि है और यह औषधों की वहनीयता और उपलब्धता को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता देती है। यह अन्य जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय करने में सदस्य देशों को समर्थ बनाएगा क्योंकि यह घोषणा एच०आई०वी०/एड्स, मलेरिया और अन्य महामारियों जैसी मानकों को प्रभावित करने वाली जन स्वास्थ्य समस्याओं से डील करते समय ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत नम्यता को मान्यता देती है और संयंध राष्ट्रीय सरकारें आपात स्थितियों और महामारियों के बारे में निर्णय ले सकती हैं।

विवरण

विश्व व्यापार संगठन	डब्ल्यू०टी०/एम०आई०एन० (01)/डी०ई०सी०/2 20 नवम्बर, 2001 (01-5860)

मंत्री स्तरीय सम्मेलन
चतुर्थ सत्र
दोहा, 9-14, नवम्बर, 2001

ट्रिप्स समझौते एवं जन स्वास्थ्य पर घोषणा
14 नवम्बर, 2001 को पारित

1. हम कई विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, विशेषकर, एच०आई०वी०/एड्स, क्षयरोग, मलेरिया एवं अन्य स्थानिक मारी रोगों से उत्पन्न समस्याओं की गंभीरता को स्वीकार करते हैं।

2. हम इन समस्याओं के निराकरण हेतु बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते (ट्रिप्स समझौते) को व्यापक राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय कार्रवाई का भाग बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

3. हम मानते हैं कि बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा नई दवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हम मूल्य पर इसके प्रभावों से संबंधित चिंताओं को भी स्वीकार करते हैं।

4. हम इस बात से सहमत हैं कि ट्रिप्स समझौता सदस्यों को जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उपाय करने से नहीं रोकता है और न ही रोकना चाहिए। तद्नुसार ट्रिप्स समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते समय हम इस बात का समर्थन करते हैं कि समझौते की व्याख्या एवं कार्यान्वयन इस ढंग से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए जिससे जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं विशेषकर सभी के लिए दवाओं की सुलभता बढ़ाने संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों के अधिकार का समर्थन हो।

इस संबंध में हम ट्रिप्स समझौते के प्रावधानों का अधिक से अधिक उपयोग करने संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारों का पुन: समर्थन करते हैं जो इस प्रयोजन हेतु नम्यता प्रदान करते हैं।

5. तद्नुसार और उपर्युक्त पैराग्राफ 4 के आलोक में ट्रिप्स समझौते में अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए हम स्वीकार करते हैं कि इन नम्यताओं में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) सार्वजनिक अन्तरराष्ट्रीय कानून की व्याख्या के पारम्परिक नियम लागू करने में ट्रिप्स समझौते के प्रत्येक प्रावधान को समझौते के उद्देश्य एवं प्रयोजन जैसा कि व्यक्त किया गया है; विशेषकर इसके उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

(ख) प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार और ऐसे आधार निर्धारित करने की छूट प्राप्त है जिसके आधार पर ऐसे लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय आपात स्थिति या अति तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियां क्या हैं, इसको निर्धारित करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है, यह समझा जाता है कि एच०आई० वी०/एड्स, क्षय रोग, मलेरिया एवं अन्य स्थानिक मारी रोगों से संबंधित संकटों सहित जन स्वास्थ्य संकट राष्ट्रीय आपात स्थिति या अति तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियां दर्शा सकते हैं।

(घ) ट्रिप्स समझौते के प्रावधान जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के समापन से संबद्ध है, का प्रभाव यह है कि प्रत्येक सदस्य बिना किसी चुनौती के ऐसे समापन हेतु अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह एम०एफ०एम० और अनुच्छेद 3 एवं 4 के राष्ट्रीय उपचार प्रावधानों पर निर्भर है।

6. हम जानते हैं कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अपर्याप्त अथवा नगण्य विनिर्माण क्षमता वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को ट्रिप्स (टी०आर०आई०पी०एस०) समझौते के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रभावी उपयोग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हम ट्रिप्स परिषद को इस समस्या का शीघ्र हल ढूंढने और वर्ष 2002 के अंत तक इसके बारे में सामान्य परिषद को सूचित करने का निदेश देते हैं।

7. अनुच्छेद 66.2 के पालनार्थ कम विकसित देशों के सदस्यों को प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु विकसित देशों के सदस्यों द्वारा उनके उद्यमों और संस्थानों को नकद प्रोत्साहन देने की उनकी प्रतिबद्धता का हम समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि कम विकसित देश के सदस्यों को फार्मास्युटिकल उत्पादों के संबंध में, ट्रिप्स समझौते के भाग-11 की धारा 5 और 7 के कार्यान्वयन अथवा लागू करने के लिए अथवा इन धाराओं में उल्लिखित अधिकारों को 1 जनवरी, 2016 तक लागू करने, ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 66.1 में बताए गए कम विकसित देश के सदस्यों को संक्रमण काल बढ़ाने के अधिकार को बिना पक्षपातपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। हम ट्रिप्स परिषद् को ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 66.1 के पालनार्थ आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश देते हैं।

[हिन्दी]

दूरसंचार सुविधाएं

3634. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में डाक, टेलीग्राफ और दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाओं के निम्न स्तर की जानकारी है;

(ख) क्या उक्त सेवाओं को इन राज्यों में बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में डाक, टेलीग्राफ और दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क)

डाक सेवाएं

उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल सर्किलों में आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता खराब नहीं है, मेल पत्रों के संबंध में किये गये अद्यतन सर्वेक्षण से सामने आयी स्थिति निम्नानुसार है :–

उड़ीसा सर्किल

डाक की श्रेणी	मानकों के अनुसार वितरित किये गये मेल-पत्रों की प्रतिशतता	
	शहरी	ग्रामीण
अपंजीकृत डाक	96.9%	75.20%
पंजीकृत डाक	93.5%	71.95%
मनी आर्डर	83.4%	56.75%

पश्चिम बंगाल सर्किल

डाक की श्रेणी	मानकों के अनुसार वितरित किये गये मेल-पत्रों की प्रतिशतता	
	शहरी	ग्रामीण
अपंजीकृत डाक	75.4%	95.80%
पंजीकृत डाक	70.9%	83.73%
मनी आर्डर	62.9%	64.11%

तार सेवाएं

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तार सेवाओं की गुणवत्ता बिल्कुल संतोषजनक है। अप्रैल, 2001 से सितम्बर, 2001 के दौरान तार सेवा की गुणवत्ता दिन के 12 घण्टों के भीतर वितरित किये गये टेलीग्रामों की प्रतिशतता के रूप में मापी गयी है, जो उड़ीसा के मामले में 94% और पश्चिम बंगाल के मामले में 96.6% रही।

दूरसंचार सेवाएं

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सेवाएं बिल्कुल संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

डाक सेवाएं

(ख) और (ग) सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सदैव गुंजाइश होती है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक डाक सेवाओं का संबंध है, इनमें सुधार लाने के निमनलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) डाकघरों में सभी सेवाओं के लिए एकल खिड़की प्रदान करने हेतु उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में क्रमश: 127 मल्टी पर्पज काउंटर मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं और इस प्रकार की और मशीनें चरणबद्ध ढंग से स्थापित की जा रही है।

(ii) उपग्रह द्वारा मनी आर्डरों का प्रेषण करने के लिए उड़ीसा में 3 वी सैट और 12 ई०एस०एम०ओ० और पश्चिम बंगाल सर्किल में 4 वी सैट और 47 ई०एस०एम०ओ० स्थापित किये गये हैं।

(iii) उड़ीसा में 180 पंचायत संचार सेवा केन्द्र तथा पश्चिम बंगाल में 24 पंचायत संचार सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(iv) बचत बैंक प्रचालनों से संबंधित कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में क्रमश: 13 और 26 डाकघरों में बचत बैंक प्रचालनों से संबंधित कार्यों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

तार सेवाएं

सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। इसमें सुधार लाने के सतत प्रयास किये जाते हैं।

दूरसंचार संवाएं

चरणबद्ध ढंग से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(i) जेली युक्त केबलों से भूमिगत पेपर कोर केबलों का प्रतिस्थापन।

(ii) डक्टों में केबल बिछाना।

(iii) उपभोक्ताओं के निवास-स्थानों तक भूमिगत केबल बिछाना ताकि ड्राप वायरों की जरूरतें समाप्त हो जाएं। इस संबंध में 5 पेयर वाली भूमिगत केबल की शुरूआत एक ऐसा ही कदम है।

(iv) नेटवर्क में बड़े पैमाने पर डिजिटल लाइन कन्सेन्ट्रेटर की शुरूआत।

(v) अधिक से अधिक दूरस्थ लाइन यूनिटें खोलना जिससे क्षेत्र में प्रत्येक एक्सचेंज से सेवा दिए जाने वाले तथा याहा संयंत्र के आकार में भी तद्नुरूपी कमी लाई जा सके।

(vi) बाह्य संयंत्र की आवधिक मरम्मत।

(vii) 10 पेयर तथा 5 फेयर वाली डी०पी० के लिए क्रमश: 4 तथा 2 कनेक्शनों की प्रारम्भिक लोडिंग के मानक का उदारीकरण।

(viii) शहरी क्षेत्रों में केवल इंडोर इस्तेमाल के लिए 20 पेयर वाली डी०पी० के इस्तेमाल पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम संभव सीमा तक/पोल माउंटिंग पर प्रतिबंध।

(ix) जहां व्यवहार्य हो, लाइन स्टाफ/फील्ड स्टाफ को पेजर प्रदान करना।

(x) छोटे तथा मध्यम क्षमता के एक्सचेंजों में केंद्रीकृत दोष बुकिंग की व्यवस्था।

(xi) दोष मरम्मत सेवा (एफ०आर०एस०) का कम्प्यूटरीकरण।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

3635. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने कार्य निष्पादन में सुधार ला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड किस वर्ष से लाभ अर्जित कर रहा है; और

(घ) तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) जी, हां। 1986 में स्थापित किए जाने के बाद से इसके कार्य-निष्पादन (सेवाओं से आय) में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष	सेवाओं से आय (राशि करोड़ रुपयों में)	कर पश्चात लाभ
1	2	3
1986-87	531.75	136.52
1987-88	704.16	131.23
1988-89	1028.3	252.17
1989-90	1152.23	179.92
1990-91	1310.09	103.06

1	2	3
1991-92	1555.31	171.23
1992-93	1831.91	208.23
1993-94	2507.64	344.15
1994-95	2979.72	576.58
1995-96	3448.11	729.59
1996-97	4030.87	932.79
1997-98	4654.58	1130.13
1998-99	5032.46	1297.24
1999-2000	5182.49	1087.85
2000-2001	5784.58	1540.19

टनभार कर ढांचा

3636. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पोत परिवहन उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से टनभार कर की पुन: संरचना करने का प्रस्ताव है;

(ख) वर्तमान कर ढांचा क्या है और इसमें क्या परिवर्तन किए जाने प्रस्तावित हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पोत परिवहन उद्योग को कितना लाभ हुआ;

(घ) क्या इस मामले में पोत परिवहन उद्योग के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अंतिम रूप दिए गए संशोधित कर ढांचे का ब्यौरा क्या है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं। अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। नौवहन उद्योग पर सामान्य नैगम कर लागू है। तथापि, उद्योग इस कर व्यवस्था के स्थान पर टनभार की व्यवस्था करने की मांग करता रहा है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम ने वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमश: 161.6 करोड़ रु० और 382.6 करोड़ रु० का निवल लाभ अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त नौवहन उद्योग ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमश: 3307 करोड़ रु० और 3535 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत/अर्जित की।

(घ) नौवहन उद्योग के साथ परामर्श करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यय सुधार आयोग

3637. श्री अमर राय प्रधान : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हो रहे अपव्यय को कम करने के लिए कोई व्यय सुधार आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि को गठित किया गया और इसकी संरचना क्या है;

(ग) अभी तक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों के कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वित्त मंत्रालय ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के परामर्श से समग्र रूप में सरकार के लिए व्यय सुधार आयोग स्थापित किया है। संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए ऐसा कोई आयोग गठित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रोपैथी पद्धति

3638. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव होम्योपैथी पद्धति की तरह इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को भी मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह मान्यता कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी एवं अन्य चिकित्सा विधियों को मान्यता प्रदान करने के दावों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की स्थायी समिति गठित की है।

समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार ध्यान दे रही है।

उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्र

3639. श्रीमती शीला गौतम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर अलीगढ़ में स्थापित दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन केन्द्रों के अंतर्गत बड़ी संख्या में टेलीफोन कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) इन्हें सक्रिय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30.11.2001 तक उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्रमश: 1224 और 6 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त पैरा (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

3640. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 02.07.1997 के डी०ओ० पी०टी० कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा II के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० से संबंधित जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/ पदों के कोटे के समक्ष नहीं दर्शाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों में चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें योग्यता के आधार पर अ०जा०, अ०ज०जा० तथा अ०पि०व० के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के समक्ष दर्शाया गया/समायोजित किया गया तथा उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

मिलावटी और कृत्रिम दूध

3641. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विभिन्न रसायनों से बनाए गए कृत्रिम और मिलावटी दूध का विक्रय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान और 30 नवम्बर, 2001 तक इस प्रकार के दूध के राज्य-वार कितने मामलों का पता चला; और

(ग) दूध में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) राज्यों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण संलग्न है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में निर्धारित अवयवों को छोड़कर दूध में न पाए जाने वाले अवयवों वाले दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत पहले ही प्रतिबंधित है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे दूध की गुणवत्ता, खासकर दूध में रासायनिक पदार्थों की मौजूदगी पर कड़ी निगाह रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि पाए जाने वाले दुग्ध सैम्पलों का ब्यौरा

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि से अपमिश्रित पाए गए दुग्ध सैम्पलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	शून्य
4.	गुजरात	शून्य
5.	गोवा	शून्य
6.	हरियाणा	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य

1	2	3
8.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य
9.	झारखंड	शून्य
10.	कर्नाटक	31
11.	केरल	शून्य
12.	महाराष्ट्र	शून्य
13.	मणिपुर	शून्य
14.	मेघालय	शून्य
15.	मिजोरम	शून्य
16.	उड़ीसा	शून्य
17.	तमिलनाडु	शून्य
18.	उत्तरांचल	26
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य
20.	चंडीगढ़	शून्य
21.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य
22.	दिल्ली	शून्य
23.	दमन एवं दीव	शून्य
24.	लक्षद्वीप	शून्य

नोट – बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मांग पर टेलीफोन

3642. श्री अनन्त नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मांग पर टेलीफोन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य-वार स्थिति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-99 के अनुसार, सरकार का वर्ष 2002 तक निजी प्रचालकों की भागीदारी से देश में मांग पर टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है। बी०एस०एन०एल० द्वारा निर्धारित लक्ष्य 68.3 लाख है और एम०टी०एन०एल० द्वारा निर्धारित लक्ष्य 4 लाख है जिसमें मुंबई और दिल्ली प्रत्येक के लिए 2-2 लाख टेलीफोनों का लक्ष्य हैं। इस तरह कुल लक्ष्य 72.3 लाख है जिसमें स्थिर और मोबाइल टेलीफोन शामिल हैं। इससे राज्यों के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में प्रतीक्षा सूची निपटा दिए जाने की आशा है। वर्ष 2001-2002 के लिए लक्ष्य और 31.11.01 तक उपलब्धि और प्रतीक्षा सूची की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2001-02 के लिए राज्यवार टेलीफोन लक्ष्य और 30.11.2001 की स्थिति के अनुसार सीधी एक्सचेंज लाइनों की उपलब्धि और प्रतीक्षा-सूची

क्र० सं०	राज्य	सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य (2001-02 के लिए)	सीधी एक्सचेंज लाइनों की उपलब्धि (31.11.01 के अनुसार	प्रतीक्षा-सूची (31.11.01)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	10000	1383	693
2.	आंध्र प्रदेश	530000	37927	157979
3.	असम	100000	46842	25862
4.	बिहार	200000	63138	104147
5.	छत्तीसगढ़	40000	6449	10176
6.	दिल्ली	200000	32954	3285
7.	गुजरात	650000	171842	201999
8.	हरियाणा	245500	82323	127478
9.	हिमाचल प्रदेश	90000	42910	47794
10.	जम्मू और कश्मीर	80000	24824	48119
11.	झारखंड	82000	29087	27097
12.	कर्नाटक	500000	156207	187746
13.	केरल	663000	162123	828125
14.	मध्य प्रदेश	155000	44223	25424
15.	महाराष्ट्र*	950000	237551	314599
16.	उत्तर पूर्व-I**	32000	9458	12753
17.	उत्तर पूर्व-II**	21500	7008	7945
18.	उड़ीसा	135000	51320	83039
19.	पंजाब	460000	152988	196487
20.	राजस्थान	300000	87552	155174
21.	तमिलनाडु	596000	183626	24482
22.	उत्तर प्रदेश	625000	152699	227899

1	2	3	4	5
23.	उत्तरांचल	100000	20487	19108
24.	पश्चिम बंगाल***	465000	128885	233920
	कुल	7230000	1933806	3071330

नोट :

* महाराष्ट्र में गोवा और मुंबई (एम०टी०एन०एल०) शामिल हैं।

** उ० पूर्व-I में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं।

** उ० पूर्व-II में नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं।

*** पश्चिम बंगाल में सिक्किम शामिल है।

कैंसर रोधी दवाएं

3643. श्री बसुदेव आचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''ग्रासिम'' नामक एक कैंसर रोधी दवा जिसको विक्रय हेतु जुलाई, 2001 के दौरान बाजार में उतारा गया था, को बाजार से हटा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

मैसर्स निकोलस पीरामल इंडिया लिमिटेड (एन०पी०आई०एल०) ने एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग से कहा था कि वे डा० रेड्डी लेबोरेटरी, हैदराबाद से आर०-जी०सी०एस०एफ० (ग्रास्टिम) इंजेक्शन स्टाक वापस लेने तथा उत्पाद की बिक्री बंद करने को कहें क्योंकि एन०पी०आई०एल० ने आरोप लगाया था कि ग्रास्टिम के पैकेज में कुछ गलत और भ्रामक विवरण दिए गए हैं। इसी प्रकार के अभ्यावेदन औषध महानियंत्रक (भारत) को भी दिए गए थे।

अभ्यावेदन मिलने पर मैसर्स डा० रेड्डी लेबोरेटरी, हैदराबाद को निदेश दिया गया था कि वह ग्रास्टिम के नए संशोधित पैकेज प्रस्तुत करे और मौजूदा पैकेज को बदले। डा० रेड्डी लेबोरेटरी, हैदराबाद ने आपत्तिजनक विषय हटाने के बाद पैकेज का नया रूप प्रस्तुत किया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई।

एन०पी०आई०एल० ने तब यह अभ्यावेदन दिया है कि डा० रेड्डी लेबोरेटरी द्वारा प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय नान-प्रोप्राइटरी नाम फिलग्रास्टिम यही नहीं है क्योंकि उनका आर०-जी०सी०एस०एफ० पूरी तरह वैसा नहीं है जैसे फिलग्रास्टिम है और जिसका विनिर्माण मैसर्स रोचे द्वारा किया जा रहा है और एन०पी०आई०एल० द्वारा बेचा जा रहा है। चूंकि बाईजेनेरिक का क्षेत्र नया एवं जटिल है, इसलिए इस मामले को जांच के लिए विशेषज्ञ समिति को भेजा गया है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कोष

3644. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कोष की स्थापना की है जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक ऐसे राज्य को आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती बसुन्धरा राजे) : (क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी० पी०) उन राज्यों में प्रचालन में है जिनके ब्लाक अंतर्राष्ट्रीय भूमिसीमा से सटे हुए हैं।

(ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक शत प्रतिशत केन्द्रीय निधिपोषित कार्यक्रम है। राज्य सरकार को कार्यक्रम के अधीन विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है जो बाद में स्थानीय एवं योजनाबद्ध तरीके से आवंटित की जाती है जिसे राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यक्रम संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(ग) बी०ए०डी०पी० के अधीन पिछले प्रत्येक तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: राज्यवार आवंटन

(करोड़ रु०)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1. असम	4.27	7.20	7.48	7.48
2. गुजरात	8.88	9.87	10.26	10.26
3. जम्मू व कश्मीर	31.38	33.52	34.85	34.85
4. मेघालय	4.11	4.52	4.70	4.70
5. मिजोरम	6.82	8.00	8.32	8.32

1	2	3	4	5
6. पंजाब	8.82	9.70	10.08	10.08
7. राजस्थान				
(i) फार्मूला	26.52	29.17	30.32	30.32
(ii) आई०जी०एन०पी०	30.00	8.00	0.00	0.00
8. त्रिपुरा	11.34	12.47	12.96	12.96
9. पश्चिम बंगाल	31.86	38.05	39.56	39.56
10. अरुणाचल प्रदेश	11.00	13.00	13.51	13.51
11. मणिपुर	4.00	4.00	4.16	4.16
12. नागालैण्ड	4.00	4.00	4.16	4.16
13. हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.16	4.16
14. सिक्किम	4.00	5.50	5.72	5.72
15. उत्तर प्रदेश	4.00	12.00	8.32	8.32
16. उत्तरांचल	0.00	0.00	4.16	4.16
17. बिहार	0.00	7.00	7.28	7.28
कुल	195.00	210.00	210.00	210.00

[अनुवाद]

केबल टी०वी० पर इंटरनेट

3645. श्री साहिब सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टी०वी० पर इंटरनेट लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या याहू डॉट-कॉम इसके लिए प्रयास कर रहा है;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए सांख्य-वाहिनी के सहायक होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके किस सीमा तक उपयोगी होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई०एस०पी०) नीति के अनुसार यथा लागू केबल कानूनों के अध्यधीन अतिरिक्त लाइसेंसिंग के बिना अधिकृत केबल आपरेटर के माध्यम से इंटरनेट की अभिगम्यता की अनुमति दी गयी है। लोग सेट टॉप बाक्स का उपयोग कर केबल के माध्यम से अपने टेलीविजन का उपयोग इंटरनेट अभिगम्यता के लिए कर सकते हैं।

(ग) याहू डॉट कॉम के नाम पर कोई आई०एस०पी० लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(घ) सरकार ने सांख्य वाहिनी परियोजना को कार्यान्वित न करने का निर्णय लिया है।

(ङ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण

3646. श्री राजो सिंह :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सेवाओं में संयुक्त सचिव और इसके ऊपर के स्तर के पदों पर महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र-सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग-मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रूप से अनिवार्य औषधियों की सूची तैयार किया जाना

3647. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रूप से अनिवार्य औषधियों की सूची तैयार करने और उसके क्रियान्वयन का मामला लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की 250 औषधियों वाली अनिवार्य औषधियों की सूची देश में 90 प्रतिशत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय रूप से अनिवार्य औषधियों की सूची तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो औषधियों की सूची शीघ्र तैयार करने और इसके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनिवार्य औषध सूची के अनुसार तैयार की गई विभिन्न श्रेणियों की 279 औषधों वाली एक 'राष्ट्रीय अनिवार्य औषध सूची' पहले ही 1996 में प्रकाशित की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय अनिवार्य औषध सूची में शामिल औषधों से देश की सामान्य लोगों की सामान्य-समकालीन स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और देश में ऐसी औषधों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य प्रशासकों के सामान्य दायित्व की अपेक्षा के पूरे होने की आशा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अनिवार्य औषधें वे औषधें हैं जो अधिसंख्य लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हार्डवेयर का निर्यात

3648. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या सूचना **प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 नवम्बर, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "आई०टी० पैनल टार्गेट्स 10 बिलियन डॉलर हार्डवेयर एक्सपोर्ट बाई 2008" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2008 तक हार्डवेयर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास कार्यदल ने वर्ष 2008 तक 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए दिए गए प्रोत्साहन

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ई०पी०सी०जी०) योजना को तार्किक बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (B2C) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश प्रस्तावों को स्वत: अनुमोदन।

3. ई०एच०टी०पी० तथा एस०टी०पी० योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आई०एम०एस०सी०) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड/एस०टी०पी० योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड० /एस०टी०पी० योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यत नि:शुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी०टी०ए०) अभिगम की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए हार्डवेयर इकाइयों की घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री में ब्रोडबैंडिंग की अनुमति।

5. निर्यात उन्मुखी (ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड/एस०टी०पी०/ई०एच० टी०पी०) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर बुद्धिमान ह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। अब इन कटौतियों की सम्पूर्ण सीमा पहले के 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष की अवधि में 90% तक होगी।

6. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

7. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रूस को रुपए में होने वाले निर्यात में मूल्य संसाधित मानदंडों को 100% से घटा कर 33% तक करना।

8. कंप्यूटर पर 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास।

9. वर्ष 2001-02 के बजट में उच्चतम सीमा शुल्क की उच्चतम दर 35% है। सामान्य तौर पर सभी प्रकार के आयातों पर से 10% की दर का सीमा शुल्क अधिभार समाप्त कर दिया गया

है, किन्तु विशिष्ट छूटों को छोड़कर सभी प्रकार के आयातों पर 4% की दर से विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क (एस०ए०डी०) जारी है। वर्ष 2000-01 के बजट में कम्प्यूटर तथा उपान्त उपस्करों पर सीमा शुल्क की दर को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया था और इस वर्ष भी यही दर है। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्मसंसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विश्लेषण संघटक – पुर्जों पर सीमा शुल्क शून्य दर तक घटा दिया गया है। वर्ष 2001-02 के बजट में विश्व व्यापार संगठन (आई०टी० तथा दूरसंचार उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आई०टी०ए०-I) की मदों पर सीमा शुल्क की विद्यमान दर 20-25% से को घटाकर 15% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए विशिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क की रियायती दर चालू है। दूरसंचार के कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया है। सेमीकण्डक्टर के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की 32 मदों (अतिरिक्त) पर 5% की दर से रियायती सीमाशुल्क की अनुमति दी गई है।

10. वर्ष 2000-02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर को लागू करते हुए संरचना को तर्कसंगत बनाया गया है और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एस०ई०डी०) की 16% की एकल दर से है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप आयात किया जा सकता है।

13. ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/एस०टी०पी०/ई०एच०टी०पी० इकइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10A तथा 10B के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ई०एस०बी०) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०ई० में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

16. धारा 80 एच०एच०ई० के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

17. आयकर अधिनियम की धारा 10A, 10B तथा 80 एच०एच०ई० के तहत आई०टी० समर्थित सेवाओं को आयकर लाभ के योग्य बनाया गया है।

18. बाह्य व्यावसायिक उधारियों (ई०एस०बी०) पर ब्याज पर कर के अवरोधन से छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराई गई है।

19. संख्या ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/एस०टी०पी०/ई०एच०टी०पी० इकइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों आदि को दान करने की अनुमति दी गई है।

20. विदेशी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटरों उपान्त उपस्कर को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

21. उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूंजी उपक्रम किए गए निवेश से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

22. उद्यम पूंजी वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

23. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों से वितरित आय पर कर, आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों के आधार पर निवेशकर्ता पर लगेगा। उन उद्यम पूंजी उपक्रमों के शेयर जिनमें उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था, बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाने पर भी उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

24. पोर्ट फोलियों निवेश नीति के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ०आई०आई०) को किसी कम्पनी में साम्यपूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

25. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत, आईटी सॉफ्टेवयर एवं सेवा कम्पनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी०डी०आर० से हुई आय पर 10% के रियायती दर पर आयकर देय होगी।

26. धारा 80-IA (आधाराभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधान के अंतर्गत करावकाश का विस्तार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई०एस०पी०) तथा ब्रॉडबेंड नेटवर्क प्रदाताओं को उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए हिमार्गी प्रतिमोचयता को अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत अब स्थानीय शेयरों को ए०डी०आर०/ जी०डी०आर० में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है।

28. धारा 80-IA (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधान के अन्तर्गत करायकाश का विस्तार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रौडब्रैंड नेटवर्क प्रदाताओं को उपलब्ध कराया गया है।

29. कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान (एवं विकास में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

30. सरकार ने 100 करोड़ रुपए के संग्रह से एक सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (एन०एफ०एस०आई०टी०) के लिए एक राष्ट्रीय उद्यम निधि (एन०एफ०एस०आई०टी०) का गठन किया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अंशदान 30 करोड़ रुपए होगा।

31. एस०टी०पी०आई० ने एस०टी०पी० इकाइयों के कारोबार को बढ़ाने और लघु एवं मझौले उद्यमियों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में व्यवसाय सहायता केन्द्र की स्थापना की है, यह नवम्बर 1999 से कार्य कर रहा है।

32. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं से संबंधित है। यह इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा।

लागत में वृद्धि

3649. डा० वी० सरोजा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 8 वर्षों के दौरान डाक विभाग की सिविल विंग द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ग) लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके क्रियान्वयन में हुई देरी के कारण लागत में हुई वृद्धि से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवेकाधीन कोटा से टेलीफोन कनेक्शन

3650. **श्री प्रभात सामन्तराय:**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र के संसद सदस्यों की सिफारिशों पर आवेदकों को कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ख) बिना बारी के कोटे की कितनी सिफारिशें की गईं;

(ग) आज की तारीख में जिलावार कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) जिलावार कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं;

(ङ) शेष आवेदकों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(च) क्या ऐसे कई मामले हैं जिनमें स्वीकृति के बाद भी टेलीफोन नहीं लगाए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले की स्थिति क्या है;

(ज) अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(झ) टेलीफोन लगाए जाने के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (झ) जी, हां। सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लंबित पट्टा-किराया

3651. श्री विनय कुमार सोराके : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पट्टा-किराया से होने वाली आय पत्तन न्यासों के राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुम्बई पत्तन न्यास का बकाया पट्टा किराया वर्ष 1998-99 के दौरान अप्रत्याशित रूप से 550.95 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था;

(ग) बकाया पट्टे-किराए की वसूली के लिए मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि मुम्बई पत्तन न्यास ने वर्ष 1995 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप भूमि उपयोग योजना का डाटा नहीं प्रस्तुत किया था; और

(ङ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) मुम्बई पत्तन न्यास का बकाया पट्टा किराया जोकि 31.3.94 की स्थिति के अनुसार 300.10 करोड़ रु० था, 31.3.99 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 552.10 करोड़ रु० हो गया।

(ग) मुम्बई पत्तन न्यास ने बकाया पट्टा किराया वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

(घ) और (ङ) 1995 के दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि उपयोग योजना के संबंध में कोई डाटा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश

3652. श्री जी०जे० जावीया : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करने वाली, विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार द्वारा ऐसे निवेश किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैद्युत उपकरण के क्षेत्र में (जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल हैं) 4191.52 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 1799 विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरा औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों को परिचालित की जाती हैं। यह सूचना औद्योगिकी अनुमोदन सचिवालय (एस०आई०ए०) की वेबसाइट (http://www.nic.in/indmin) में भी उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और विस्तार

3653. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विस्तार हेतु अनुसंधान और विश्लेषण कार्य के विकास और विस्तार के लिए 1700 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राशि किन स्रोतों से प्राप्त की जाएगी; और

(ग) इस राशि को खर्च करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकारी दल ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में सरकार द्वारा 3400 करोड़ रुपए और निजी क्षेत्र द्वारा 13,600 करोड़ रुपए के पूंजीनिवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ग) अनुसंधान एवं विकास में सरकारी वित्त पोषण सुझाव नैनो-आकार की प्रौद्योगिकियों, चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उद्योगों को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए विभिन्न संस्थानों की अनुसंधान एवं विकास संबंधी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के क्षेत्रों में हैं।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

3654. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याणार्थ देश में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान बाल परिचर्या और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जिसे 1997 से देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना और नवजात, बाल और मातृ मृत्यु दर और रूग्णता दर में कमी लाना है।

कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी जिलों में मातृ और बाल स्वास्थ्य के सुधार के लिए कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए कार्यकलापों में छह वैक्सीन निवार्य रोगों का प्रतिरक्षण; अतिसार और तीव्र श्वसनी संक्रमणों से होने वाली मौतों का नियंत्रण; विटामिन ए अल्पता; लौह अल्पता रक्ताल्पता के लिए रोग निरोधन और अनिवार्य नवजात परिचर्या शामिल हैं। माताओं के लिए कार्यकलापों में अनिवार्य प्रसूति परिचर्या; आपाती प्रसूति परिचर्या; पंचायतों के माध्यम से रैफरल परिवहन का प्रावधान और प्रथम रैफरल यूनिटों में औषधों व उपस्करों का प्रावधान शामिल है। मातृ और बाल स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित मूलभूत औषध/उपस्करों को उप केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किटों के रूप में प्रदान किया जा रहा है।

ऐसे जिलों जो दूर-दराज में हैं और जिनके निम्न जनसांख्यिकी संकेतक हैं, में इन सेवाओं की प्रदानगी के लिए इस कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त ए०एन०एम०, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियक के रूप में संविदात्मक स्टाफ को वित्त पोषित किया जा रहा है।

चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे की प्रसूति सेवाएं; प्रसव की जटिलताओं वाली महिलाओं के आपाती आपरेशनों में सहायता करने के लिए संवेदनाहरण विज्ञानियों की सेवाएं किराए पर लेने जैसी स्कीमों हेतु भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

सुरक्षित प्रसव पद्धतियों को सुधारने के उद्देश्य से 17 राज्यों के 142 जिलों जहां सुरक्षित प्रसव दर 30 प्रतिशत से कम है, में दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रतिरक्षण और प्रसवपूर्ण सेवाओं की उपलब्धता के सुदृढ़ीकरण के लिए एक स्कीम 151 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 17 राज्यों के 102 कमजोर जिलों में प्रजनक और बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की एक स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है।

महिला और बाल विकास विभाग भी महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित करता है जो इस प्रकार है :–

क्रम सं०	स्कीम
1	2
1.	समेकित बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)
2.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई०सी०डी०एस०
3.	कार्यरत और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु सदन (क्रेश)/डे केयर केन्द्र
4.	राष्ट्रीय शिशु सदन (क्रेश) निधि
5.	बाल मंत्रिका प्रशिक्षण कार्यक्रम
6.	आई०सी०डी०एस० प्रशिक्षण कार्यक्रम
7.	प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा (ई०सी०ई०)
8.	बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम
9.	बच्चों के लिए एक डे केयर केन्द्र के साथ कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण/विस्तारण हेतु सहायता की स्कीम
10.	महिलाओं के लिए रोजगार और आय अर्जन प्रशिक्षण-सह-रोजगार सह-उत्पादन यूनिटों (एन०ओ०आर०ए०डी०) की स्थापना करना
11.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एस०टी०ई०पी०)
12.	महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालीन निवास गृह
13.	महिलाओं पर अत्याचारों के निवारण के लिए शिक्षा कार्य
14.	समेकित सशक्तिकरण परियोजना/महिला सशक्तिकरण परियोजना
15.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण निधि (राष्ट्रीय महिला कोश)
16.	महिला समृद्धि योजना
17.	महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के गहन कार्यक्रम
18.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम
19.	जागरूकता उत्पत्ति परियोजना
20.	सी०एस०डब्ल्यू०बी० के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों और इसके फील्ड संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान
21.	इंदिरा महिला योजना
22.	ग्रामीण महिलाओं के लिए विकास और सशक्तिकरण परियोजना (एस०डब्ल्यू० ए-शक्ति)
23.	बालिका समृद्धि योजना
24.	अनुसंधान, प्रकाशन और मॉनटरिंग के लिए सहायता अनुदान
25.	स्वैच्छिक संगठनों की संगठनात्मक सहायता के लिए रख-रखाव अनुदान
26.	महिला और बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान
27.	सूचना और जन शिक्षा
28.	पोषण शिक्षा
29.	दूध और विटामिन ए पुष्टीकरण

प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान विमुक्त निधियों का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों पर 1999-2000 तक तीन वर्षों का वास्तविक व्यय विवरण-II पर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण विभाग की मुख्य स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या विवरण-III पर संलग्न है।

विवरण-I

प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वस्तुगत + नकद सहायता

(रुपए लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वस्तुगत सहायता					नकद सहायता					महायोग (वस्तुगत+ नकद)
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	कुल(किस्म)	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1,722.57	2,365.28	2,280.24	2,488.26	8,856.35	945.92	463.44	1,854.12	1,385.98	4,649.46	13,505.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	86.75	72.17	98.79	121.45	379.16	237.38	261.05	155.24	157.40	811.07	1,190.23
3.	असम	1,101.89	1,091.53	1,297.92	1632.12	5,123.46	556.06	262.37	675.18	473.54	1,967.15	7,090.61
4.	बिहार	2,613.51	3,893.57	4,704.37	5,469.56	16,681.01	958.59	728.49	1,233.34	2,535.90	5,456.31	22,137.32
5.	गोवा	27.68	35.25	43.71	107.67	214.31	54.87	33.24	32.33	9.15	129.59	343.90
6.	गुजरात	1,231.22	1,665.18	1,805.25	2,260.26	6,961.91	748.48	813.66	712.41	818.54	3,093.09	10,055.00
7.	हरियाणा	521.18	691.24	691.63	1,028.44	2,932.49	801.34	482.30	691.81	1,559.08	3,534.53	6,467.02
8.	हिमाचल प्रदेश	267.15	318.87	216.87	327.66	1,130.55	253.59	383.25	267.44	385.83	1,290.11	2,420.66
9.	जम्मू व कश्मीर	255.06	430.32	388.82	466.42	1,540.62	306.29	120.87	246.46	430.62	1,104.24	2,644.86
10.	कर्नाटक	1,076.31	1,749.07	1,587.55	2,077.70	6,490.63	751.42	383.11	489.17	1,642.66	3,266.37	9,757.00
11.	केरल	891.02	990.81	908.23	1,301.07	4,091.13	489.18	771.29	592.56	1,141.16	2,994.19	7,085.32
12.	मध्य प्रदेश	2,578.40	3,471.91	3,633.27	3,708.37	13,391.95	1,285.20	1,074.99	1,762.99	3,340.11	7,463.28	20,855.24
13.	महाराष्ट्र	1,718.82	3,174.10	3,273.53	3,464.77	11,631.22	939.47	750.69	1,274.39	748.39	3,712.94	15,344.16
14.	मणिपुर	124.42	91.73	138.44	95.08	449.67	188.06	85.43	500.24	365.98	1,139.70	1,589.37
15.	मेघालय	88.46	137.85	146.52	125.79	500.62	177.07	66.89	92.78	65.45	402.19	902.80
16.	मिजोरम	71.07	63.28	43.53	55.75	233.63	91.76	467.11	543.56	699.26	1,801.59	2,035.22
17.	नागालैण्ड	59.19	84.98	96.48	77.58	318.23	144.90	80.52	126.81	146.84	499.07	817.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	उड़ीसा	1,074.98	1,501.24	1,387.12	1,205.60	5,168.94	716.56	560.59	1,023.94	1,352.97	3,654.05	8,822.99
19.	पंजाब	673.85	864.15	861.70	852.84	3,252.54	601.48	162.45	296.75	685.15	1,745.82	4,998.36
20.	राजस्थान	1,483.46	2,176.83	2,537.67	2,877.31	9,075.27	1,103.10	695.96	1,206.13	2,309.51	5,314.33	14,389.60
21.	सिक्किम	43.41	34.68	48.34	31.29	157.72	91.38	91.31	44.74	21.51	248.94	406.66
22.	तमिलनाडु	1,495.03	2,129.42	1,563.99	1,095.89	6,284.33	1,127.12	329.14	1,026.40	2,325.08	4,807.74	11,092.07
23.	त्रिपुरा	113.19	157.51	151.71	176.34	598.75	97.38	254.09	238.13	135.89	725.49	1,324.25
24.	उत्तर प्रदेश	3,599.50	6,843.66	7,558.30	8,595.57	26,597.03	1,647.06	1,395.60	3,844.59	4,535.89	11,423.23	38,020.26
25.	पश्चिम बंगाल	2,243.29	2,623.35	2,576.80	2,459.96	9,903.37	478.00	579.65	1,218.49	1,945.63	4,221.78	14,125.15
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	19.56	17.75	25.52	18.29	81.12	24.62	46.47	27.06	23.89	122.04	203.16
27.	चंडीगढ़	10.00	27.31	21.38	38.37	97.06	40.22	28.22	118.11	16.04	202.58	299.64
28.	दादरा व नगर हवेली	5.40	8.99	10.43	11.41	36.23	17.97	32.24	23.99	6.26	80.46	116.69
29.	दमण व दीव	11.04	7.15	8.35	5.44	31.98	44.76	27.49	32.05	3.32	107.62	139.60
30.	दिल्ली	257.81	306.08	354.68	458.10	1,376.67	129.33	157.39	103.84	266.22	656.78	2,033.45
31.	लक्षद्वीप	4.09	3.95	6.81	3.90	18.75	17.56	32.47	22.57	16.94	89.53	108.28
32.	पांडिचेरी	34.10	42.75	25.36	28.43	130.64	92.26	38.14	45.06	19.85	195.30	325.95
	कुल	25,503.41	37,071.96	38,495.31	42,666.66	143,737.34	15,158.36	11,659.99	20,522.56	30,129.37	77,470.28	221,207.62

विवरण-II

*महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों पर महिला और बाल विकास द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण**

क्रमांक	स्कीम	वास्तविक व्यय		
		1997-1998	1998-1999	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	समेकित बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	608.58	795.84	880.08
2.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई०सी०डी०एस०	153.27	139.65	230.75
3.	कार्यरत और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु सदन (क्रेश)	6.05	7.50	3.85
4.	राष्ट्रीय शिशु सदन (क्रेश) निधि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.44	0.11	
6.	आई०सी०डी०एस० प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.28	40.00	25.47
7.	प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा (ई०सी०ई०)	अनुपलब्ध	0.40	अनुपलब्ध
8.	बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम	अनुपलब्ध	1.44	अनुपलब्ध
9.	बच्चों के लिए एक डे केयर केन्द्र के साथ कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास भवनो के निर्माण/विस्तारण हेतु सहायता की स्कीम	7.49	7.72	6.98
10.	महिलाओं के लिए रोजगार और आय अर्जन प्रशिक्षण-सह-रोजगार सह-उत्पादन यूनिटों (एन०ओ०आर०ए०डी०) की स्थापना करना	13.98	17.48	12.20
11.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एस०टी०ई०पी०)	14.80	16.07	13.04
12.	महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालीन निवास गृह	2.46	3.00	6.75
13.	महिलाओं पर अत्याचारों के निवारण के लिए शिक्षा कार्य	0.30	0.30	0.01
14.	समेकित सशक्तिकरण परियोजना/महिला सशक्तिकरण परियोजना	0.27	अनुपलब्ध	0.50
15.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण निधि (राष्ट्रीय महिला कोश)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
16.	महिला समृद्धि योजना	0.15	17.45	1.96
17.	महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के गहन कार्यक्रम	5.60	8.79	1.64
18.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	2.67	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	जागरूकता उत्पत्ति परियोजना	0.38	2.15	2.60
20.	सी०एस०डब्ल्यू०बी० के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों और इसके फील्ड संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान	8.03	14.00	2.33
21.	इंदिरा महिला योजना	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
22.	ग्रामीण महिलाओं के लिए विकास और सशक्तिकरण परियोजना (एस०डब्ल्यू०ए०-शक्ति)	अनुपलब्ध	8.00	5.00
23.	बालिका समृद्धि योजना	60.00	42.66	39.97
24.	अनुसंधान, प्रकाशन और मॉनटरिंग के लिए सहायता अनुदान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
25.	स्वैच्छिक संगठनों की संगठनात्मक सहायता के लिए रख-रखाव अनुदान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5
26.	महिला और बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	सूचना और जन शिक्षा	1.10	1.17	1.32
28.	पोषण शिक्षा	0.92	1.17	1.83
29.	दूध और विटामिन ए पुष्टीकरण	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

*महिला और बाल विकास द्वारा प्रदान किए अनुसार

विवरण-III

*परिवार कल्याण विभाग की मुख्य स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण***

क्रमांक	स्कीम	लाभार्थियों की संख्या (मिलियन में)		
		1998-99	1999-2000	2000-2001*
1.	माताओं के बीच पोषक रक्तल्पता के लिए रोग निरोधन	8.15	14.96	अनुपलब्ध
2.	टी०टी० के लिए प्रतिरक्षण (पी०डब्ल्यू०)	23.28	23.78	22.99
3.	डी०पी०टी० के लिए प्रतिरक्षण	23.55	23.56	23.23
4.	पोलियो टीका	23.93	23.71	22.78
5.	बी०सी०जी० टीका	24.54	25.12	23.85
6.	खसरा टीका	22.13	22.20	21.39

*आंकड़े अनंतिम हैं।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा प्रदान किए गए

[हिन्दी]

आपदा के समय चिकित्सा सुविधा

3655. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के पास प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) देश के प्रमुख अस्पतालों के पास अपनी विपदा प्रबंधन योजना है। आपाती चिकित्सा सेवाएं उनके उपलब्ध संसाधनों के अन्दर प्रदान की जाती हैं। किन्तु बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में संकट पर काबू पाने के लिए बाहर से सहायता मांगी जाती है।

प्रत्येक वर्ष मानसून-पूर्व अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तैयारी एवं सफल प्रबंधन चिकित्सा राहत के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश सहित सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को एक आकस्मिकता योजना भेजी जाती है।

किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान, संकट पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर औषधें एवं अन्य सहायक वस्तुएं केन्द्र सरकार चिकित्सा सामग्री भण्डारों से उधार (क्रेडिट) भुगतान पर भेजी जाती हैं। बड़ी आपदाओं के दौरान आपाती चिकित्सा राहत देने में राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों से चिकित्सीय दलों को प्रभावित स्थानों पर भेजा जाता है।

विपत्ति के बाद की अवधि के दौरान महामारी के रूप में किसी रोग के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे जन स्वास्थ्य उपायों की निगरानी एवं मॉनीटरिंग के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान एवं राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम द्वारा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भेजा जाता है। वे किसी प्रकोप को रोकने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित उपायों के संबंध में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह भी देते हैं।

[अनुवाद]

जी०एस०एम० मोबाइल चैनल

3656. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शहरों के लिए उच्च आवृत्ति बैंड के ग्लोबल स्विच मोड्यूल (जी०एस०एम०) के अतिरिक्त मोबाइल चैनल शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से शहर है जहां इस समय प्रस्तावित अतिरिक्त जी०एस०एम० मोबाइल चैनल काम कर रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार ने आरंभ में प्रत्येक ऑपरेटर को 44 जी०एस०एम० मोबाइल चैनल (44 मेगाहर्टज + 4.4 मेगाहर्टज) तक सौंपा और बाद में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक शहरों में अतिरिक्त 18 जी०एस०एम० चैनल (1.8 मेगाहर्टज + 1.8 मेगाहर्टज) सौंपे गए हैं।

(ग) जिन शहरों में अतिरिक्त 18 जी०एस०एम० चैनल सौंपे गए हैं और कार्य कर रहे हैं, उनके नाम हैं : चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मुरादाबाद, आगरा, कालीकट, त्रिवेन्द्रम, एरनाकुलम, पटना रांची, इन्दौर, जबलपुर, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद और कोयम्बतूर।

स्मार्ट कार्ड का विकास

3657. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्मार्ट कार्डों के विकास से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) बहु अनुप्रयोग स्मार्ट कार्डों के लिए सर्वसामान्य मानक तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) समिति का गठन तथा विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) मानकों का निर्माण एवं निश्चयन एक सतत प्रक्रिया है। पहला संस्करण मध्य 2002 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

विवरण

बहु अनुप्रयोग स्मार्ट कार्डों के लिए सर्वसामान्य मानक तैयार करने के लिए गठित समिति का गठन तथा विचारार्थ विषय

समिति का गठन -अध्यक्ष

1. श्री राजीव रत्न शाह, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2. डॉ० के०एन० गुप्ता, प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
3. डॉ० वी०के० अग्निहोत्री, अपर सचिव, प्रशासनिपक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
4. श्री सुभाष पाणि, उप चुनाव आयुक्त, भारत का निर्वाचन आयोग
5. डॉ० डी०वी०बी० फाटक, प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई
6. श्री के०आर० गणपति, प्रभारी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई
7. डॉ० वी०पी० गुलाटी, निदेशक, आई०डी०आर०बी०टी०, हैदराबाद
8. श्री अजीत मोहन शरण, संयुक्त सचिव (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय
9. श्री आर०के० सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक – सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई
10. डॉ० एन० विजयादित्य, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
11. मेजर जनरल एम०सी० दातार, अपर महानिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय थल सेना, नई दिल्ली
12. श्री विजय पार्थसारथी, अध्यक्ष, स्मार्ट कार्ड फोरम ऑफ इंडिया, मुम्बई
13. डॉ० ए० प्रभाकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डेटानेट सिस्टम्स लिमिटेड, बंगलौर
14. श्री संजीव श्रिया, प्रबंध निदेशक, स्मार्ट चिप लिमिटेड, नई दिल्ली
15. श्री अनुराग गुप्त, अध्यक्ष, अलिटिलवर्ल्ड, प्रा०लि०, नई दिल्ली
16. श्री एस०एस० घोष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी०एम०सी० लिमिटेड, नई दिल्ली
17. डॉ० एम०जे० ज़राबी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, चण्डीगढ़
18. डॉ० पी०के० गोयल, कार्यकारी निदेशक, यात्री विपणन, रेल मंत्रालय
19. भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि

20. श्री ए०पी० सिंह, निदेशक, डाकघर बचत बैंक, नई दिल्ली

21. श्री विनय एल० देशपांडे, अध्यक्ष, एम०ए०आई०टी०

22. महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली

23. गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

24. श्री सुबीर हरि सिंह, संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

25. डॉ० यू०पी० फड़के, सलाहकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

26. डॉ० ए०के० चक्रवर्ती, सलाहकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

27. श्री वी०बी० तनेजा, वरिष्ठ निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

-संयोजक

समिति के विचारार्थ विषय

1. बहु अनुप्रयोग स्मार्ट कार्डों की प्रौद्योगिकी, नियोजन एवं मानकों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करना और भारत में स्मार्ट कार्डों के बड़े पैमानों पर नियोजन के लिए समुचित दृष्टिकोण का सुझाव देना।

2. स्मार्ट कार्डों तथा टर्मिनलों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए सर्वसामान्य मानक तैयार करना जिसमें अंतर-प्रचालनीयता, आदि से अंत तक सुरक्षा, बहुविक्रेता समर्थन तथा जारी करने की क्षमता शामिल है और जारीकर्ताओं के लिए अनुप्रयोग लिखने का प्रावधान हो।

3. बहु अनुप्रयोग स्मार्ट कार्डों को अपनाने के लिए विद्यमान बुनियादी सुविधाओं की जांच करना, जिसमें बैंकिंग तथा भुगतान की बुनियादी सुविधा शामिल है, और अंतराल वाले क्षेत्रों का पता लगाना।

4. एक सर्वसामान्य पहचान प्रणाली, जिसे स्मार्ट कार्डों के लिए नियोजित की जा सकती है, और इसे अद्यतन बनाने के एक तंत्र की सिफारिश करना।

5. ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां स्थानीय उद्योग उत्पाद तथा सेवाएं उलपब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है, और देश में विनिर्माण के आधार को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना।

6. उपस्कर तथा सेवाओं के किस्म अनुमोदन के उपायों की सिफारिश करना।

7. प्रायोगिक स्तर पर नियोजन के लिए अनुप्रयोगों का पता लगाना और टेस्ट बेड के लिए कार्यान्वयन की कार्यनीति तथा उत्पादों, सेवाओं एवं अनुप्रयोगों में इसके नियोजन की सिफारिश करना।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग और कॉयर बोर्ड में अनियमितताएं

3658. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग और कॉयर बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें मिली;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) जी, हां। अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन पर सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) और कॉयर बोर्ड दोनों में अनियमितताओं/शिकायतों की जांच करने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की है।

[अनुवाद]

नए डाकघरों का खोला जाना

3659. श्री बहादुर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को नए डाकघर खोलने और पहले से विद्यमान डाकघरों के उन्नयन हेतु विभिन्न राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नए डाकघर खोलने और मौजूदा डाकघरों के उन्नयन के लिए किसी भी राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करना

3660. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करना चाहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती बसुन्धरा राजे) : (क) गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विकास के लिए विशेष प्रस्ताव

3661. **श्री पी०आर० खुंटे** : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवनिर्मित राज्यों में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में खादी और ग्रामोद्योग/कुटीर उद्योगों के विकास के संबंध में सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा चालू वित्त वर्ष में खादी और ग्रामोद्योग/कुटीर उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी राजसहायता प्रदान की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खादी और ग्रमोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के कार्यक्रम पूरे देश में क्रियान्वित किए जाते हैं तथा अतः विशेष परियोजना की आवश्यकता नहीं समझी गई। जहां तक प्रोत्साहनों का संबंध है, ऋणी को बैंकों के माध्यम से मार्जिनमनी के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई आर्थिक सहायता या प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड

3662. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की आपस में प्रतिस्पर्धा के संबंध में कोई सरकारी नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस० एन०एल०) ने दिल्ली और मुंबई में कार्य संचालन की अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो बी०एस०एन०एल० द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के क्षेत्र में प्रवेश करने के क्या कारण है;

(घ) क्या ऐसी प्रतिस्पर्धा आर्थिक रूप से लाभप्रद है;

(ङ) क्या बी०एस०एन०एल० अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र में कामयाब रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अमरीका मिसाइल सिद्धांत

3663. **श्री जी०एस० बसवराज** :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच अमरीका द्वारा तैयार नये मिसाइल सिद्धांत के संबंध में कोई विचार-विमर्श हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय पर दोनों देशों के विचार किस सीमा तक एक समान है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता का सातवां दौर 31 जुलाई से 1 अगस्त, 2000 तक नई दिल्ली में हुआ। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थिति की नई घटनाएं और समसामयिक खतरों पर विचारों का अदान-प्रदान किया। अमरीकी प्रक्षेपास्त्र रक्षा योजना के मसले पर भी विचार किया गया। दोनों पक्षों ने अमरीका और रूस तथा अन्य देशों के बीच हुए व्यापक विचार-विमर्शों का स्वागत किया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का उप-संवर्ग

3664. **श्री भेरूलाल मीणा** :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिपमेर, पांडिचेरी, पी०जी०आई० चंडीगढ़, मौलाना मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली और लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज, नई दिल्ली में अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विशेषज्ञ रोगी परिचर्या के लिए तैनात उन चिकित्सा अध्यापकों को अब भी उन सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही रखा गया है जो अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करने के अपेक्षित नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं के चिकित्सा शिक्षकों के लिए चिकित्सा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए अलग अलग संवर्ग बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में नियुक्त चिकित्सा अध्यापकों को सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अभिकारियों के साथ नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अध्यापकों के लिए अलग से उपसंवर्ग मौजूद है।

इंटरनेट केन्द्र

3665. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दूरभाषा, फैक्सतार सेवाओं के साथ-साथ देश के सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट केन्द्र अथवा साइबर-कैफे आरंभ करने की काई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों में देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं को भारी वृद्धि दर देखने को मिली है;

(घ) यदि हां, तो देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की राज्यवार कुल संख्या क्या है; और

(ङ) उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर दूरभाष और कंप्यूटर रखना व्यक्ति की कल्पना के परे है, सामुदायिक इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बी०एस०एन०एल० ने देश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में केवल टेलीफोन सहित फ्रेंचाइजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा साइबर ढाबे स्थापित करने की योजना बनाई है।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) बी०एस०एन०एल० ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालयों में निःशुल्क इन्टरनेट अभिगम्यता प्रदान करेगा और शहरी ब्लॉक मुख्यालयों में 1500 घंटे प्रति वर्ष की निःशुल्क इन्टरनेट अभिगम्यता की अनुमति दी जाएगी।

(ii) ग्रामीण और शहरी दोनों ब्लॉक मुख्यालयों में इन्टरनेट ढाबा फ्रेंचाइजियों को पी०एस०टी०एन० प्रभारों के 25% की दर से कमीशन दिया जाएगा।

(iii) बी०एस०एन०एल० इन्टरनेट अभिगम्यता के लिए बिना वारंटी आधार पर, एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधा के बिना, एक टेलीफोन लाइन प्रदान करेगा।

(iv) बी०एस०एन०एल० फ्रैंचाइजियों को बी०एस०एन०एल० के प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण देगा।

(v) पिछड़ी जातियों से संबंधित बी०एस०एन०एल० के फ्रैंचाइजियों को राज्य सरकासर की पदनामित एजेंसियों द्वारा वित्तीय ऋण/प्रोत्साहन प्रदान करना।

(ग) जी, हां। इन्टरनेट उपभोक्ताओं का अभिवृद्धि पैटर्न विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(घ) देश में राज्यवार इन्टरनेट उपभोक्ताओं की संख्या विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) इन्टरनेट केन्द्र स्थापित करने की योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामुदायिक इन्टरनेट सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण-I

इंटरनेट सेवाओं की स्थिति

निम्नलिखित तारीखों के अनुसार	जारी किए गए आई० एस०पी० लाइसेंस (क+ख+ग)	जिन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने सेवा प्रारम्भ की उनकी संख्या	इंटरनेट उपभोक्ताओं की सं० (लाख)
13-3-99	85	7	2.3
31-3-2000	270 (44+104+122)	65	9.43
30-6-2000	357 (59+145+153)	82	14.07
31-09-2000	399 (69+161+169)	92	20.45
31-12-2000	441 (80+177+184)	111	25.34
31-3-01	456 (83+184+189)	118	29.69
30-6-01	466 (85+188+193)	132	32.25
30-9-2001	481 (86+197+198)	146	35.6

विवरण-II

30.09.2001 की स्थिति के अनुसार आई०एस०पी० उपभोक्ताओं की राज्यवार सूची

क्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उपभोक्ताओं की सं०
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	918,253
2.	दिल्ली	649,007
3.	तमिलनाडु	414,872

1	2	3
4.	कर्नाटक	328,918
5.	पश्चिम बंगाल	267,877
6.	गुजरात	209,950
7.	आंध्र प्रदेश	184,066
8.	केरल	137,593
9.	राजस्थान	86.,089
10.	उत्तर प्रदेश	75.,138
11.	मध्य प्रदेश	66,573
12.	पंजाब	57,581
13.	चंडीगढ़	57,950
14.	झारखण्ड	22,494
15.	उड़ीसा	18,403
16.	असम	15,844
17.	गोआ	5,712
18.	उत्तरांचल	5,889
19.	बिहार	10,883
20.	पांडिचेरी	6,153
21.	हरियाणा	9,506
22.	छत्तीसगढ़	4,226
23.	जम्मू-कश्मीर	3,619
24.	मेघालय	2,110
25.	हिमाचल प्रदेश	2,549
26.	सिक्किम	898
27.	अंडमान-निकोबार	715
28.	त्रिपुरा	615
29.	मणिपुर	370
30.	नागालैंड	2,119
	जोड़	3,565,972

[हिन्दी]

हज मुख्यालय को स्थानांतरित करना

3666. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज मुख्यालय को मुंबई से दिल्ली में स्थानांतरित करने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हज समिति विधेयक, 2000 के प्रारूप में यह प्रस्ताव किया गया है।

(ग) यह विधेयक संसद में पेश हो गया है। हज मुख्यालय को मुम्बाई से दिल्ली स्थानान्तरित करना संसद द्वारा विचार करने और उसके अनुमोदन की शर्त पर होगा।

[अनुवाद]

"किलर बग"

3667. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष से पूर्व सिलिगुड़ी में 40 से भी अधिक लोगों की जान लेने वाले "किलर बग" के संबंध में सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई०सी०एम०आर०, एन०आई०सी०डी० और ए० आई०आई०एम०एस० जैसे विभिन्न चिकित्सा केन्द्र अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंचे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्राणघातक विषाणुओं की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधार परिषद, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि जैसे अभिकरणों द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में इस प्रकोप की जांच की गई थी। अब तक की जांचें पुष्टिकारक निदान देने में समर्थ नहीं रही हैं। इस मुद्दे को जांच करने और रिपोर्ट देने हेतु सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एटलांटा, यू०एस०ए० को भेजा हुआ है।

परमाणु ऊर्जा के लागत लाभ

3668. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में परमाणु ऊर्जा का तुलनात्मक लागत लाभ कितना है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंसन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती बसुन्धरा राजे) : परमाणु विद्युत संयंत्रों में उत्पादित बिजली की लागत कोयले की खानों के मुहानों से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोयले से चलने वाले परम्परागत ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित बिजली की लागत के तुलनीय है। परमाणु विद्युत संयंत्रों में उत्पादित बिजली की शुल्क दर 84 पैसे/किलोवाट घंटा से 310 पैसे/किलोवाट घंटा है (यह यूनिटों के वाणिज्यिक रूप से प्रचालित होने के वर्ष पर निर्भर करता है), और इसकी औसतन भार शुल्क-दर 238 पैसे/किलोवाट घंटा है। (परमाणु बिजली पर्यावरण के अनुकूल है और यह ऊर्जा संबंधी सुरक्षा से भी युक्त है)।

मधुमेह के रोगी

3669. **श्री वाई०वी० राव :**
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 30 मिलियन मधुमेह रोगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गयी और करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) देश में मधुमेह के रोगियों की अनुमानित संख्या 28 मिलियन है।

(ख) मधुमेह का उपचार ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी पद्धति और शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में सभी स्तरों पर किया जाता है। "जैव रासायनिक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता आश्वासन" पर एक मार्गदर्शी परियोजना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में 1999-2000 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम का विलय अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ कर दिया गया है जिसने मधुमेह के नियंत्रण हेतु एक संशोधित व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के पास भी मधुमेह के बारे में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ाने हेतु स्वास्थ्य संदेशों के प्रसार के लिए सशक्त इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग सहित कार्यनीतियां/कार्यक्रम हैं।

औषधीय पौधे

3670. **श्रीमती प्रेनीत कौर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधीय पौधों से प्राप्त शुद्ध और कच्चे पदार्थ की कमी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में औषधीय पौधों की मांग और आपूर्ति के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और इस प्रकार अध्ययन का क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) औषधीय पादप अधिकतर जंगलों से एकत्र किए जाते हैं और एकत्र करने की पद्धति और उसके बाद का व्यापार तंत्र सुव्यवस्थित नहीं है। इससे कच्ची सामग्री की गुणवत्ता और आपूर्ति में भिन्नता आ जाती है।

(ख) और (ग) सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने वाले 162 औषधीय पादपों के लिए सेंटर फार रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन (सीईआरपीए), नई दिल्ली को "औषधीय पादपों की मांग का निर्धारण" संबंधी अध्ययन का कार्य सौंपा है।

औषधीय पादप बोर्ड अत्यधिक मांग वाले पादपों हेतु प्रमाणिक कच्ची सामग्री की आपूर्ति के प्रति समन्वित दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहा है। इस मांग का निर्धारण अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के आधार पर किया गया है :–

- योजना आयोग का औषधीय पादपों के संरक्षण तथा सतत् प्रयोग पर टास्क फोर्स।
- औषधीय पादप बोर्ड द्वारा गठित औषधीय पादपों के अनुरक्षण सहित खेती संबंधी समिति।

पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

3671. **श्री पी० राजेन्द्रन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्लम, केरल में कोई पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोलम जिले का कार्य इस समय पासपोर्ट कार्यालय, त्रिवेन्द्रम देख रहा है। नए पासपोर्ट का खोला जाना मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों की अवस्थिति और किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त आवेदनों की संख्या जैसे कुछ मानदण्डों द्वारा नियंत्रित हैं इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार जिस क्षेत्र में नया पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना है, उस क्षेत्र से प्रति वर्ष कम से कम 50,000 पासपोर्ट आवेदन-पत्र आने चाहिए। कोलम जिला इस मान-दण्ड की पूर्ति नहीं करता है।

तथापि, कोलम प्रधान डाक घर में स्पीड पोस्ट केन्द्र में पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। पासपोर्ट आवेदन-पत्रों के और विकेन्द्रीकरण के लिए सभी राज्यों से जिला मुख्यालयों में पासपोर्ट आवेदन संग्रहण आरंभ करने के लिए कह दिया गया है। केरल सरकार

पासपोर्ट आवेदन-पत्र संग्रहण के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों में जिला पासपोर्ट सैल खोलने के लिए सहमत हो गई है जिसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है।

अपव्यय

3672. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों के मौजूदा अपव्यय को कम करने हेतु अपने सुझाव देने के लिए उनके मंत्रालय में किसी व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) इस आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके मंत्रालय अथवा उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों द्वारा अभी कार्यान्वित की जाने वाली सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन्हें आज की तिथि तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को वस्तुत: कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या में कमी करना, रिक्त पदों के सृजन और उन्हें भरने पर रोक लगाना, कार्यालय खर्च में कमी करना, विदेश यात्राओं पर रोक लगाना, वाहनों की खरीद करना और अतिथि सत्कार संबंधी व्ययों जैसे फिजुल खर्च से बचने के लिए सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग

3673. **श्री तारा चन्द भगोरा :**
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग वाले शिक्षण विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नयी दिल्ली और जिपमेर, पाण्डिचेरी में राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रशिक्षण केन्द्रों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह केन्द्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी०जी०आई०, चंडीगढ़ में स्थित केन्द्रों से भिन्न हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, हां। दोनों संस्थाएं अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रही है।

(ख) इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवसाय के अध्यापकों के शैक्षिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, प्रणालीबद्ध शैक्षिक प्रक्रियाओं के विकास और प्रयोज्यता को बढ़ावा देना और शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसका आयोजन करना है।

(ग) और (घ) जहां स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ चिकित्सा अध्यापकों के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करता है जैसा कि जिपमेर आदि द्वारा किया जाता है, पठन-पाठन की विधियों में सुधार करने और शैक्षिक कार्यनीति को युक्तियुक्त बनाकर चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्मिकों की शिक्षा को मानकों का उन्नयन करने की दृष्टि से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया है।

पल्स पोलियो कार्यक्रम

3674. **डा० जयवंतसिंह यादव :**
श्री रामदास रुपला गावीत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पल्स पोलियो प्रतिरोध अभियान ने गत दो वर्षों के दौरान सकारात्मक परिणाम दर्शाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को विशेषकर राजस्थान को कुल कितनी धनराशि जारी की गयी;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राजय द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश में पल्स पोलियों के कितने मामले प्रकाश में आये; और

(च) सरकार द्वारा पल्स पोलियो उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) व्यापक पल्स पोलियो कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पोलियो के उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 1998 में 1934 पोलियो मामलों के मुकाबले, 2001 के दौरान अब तक केवल 9 राज्यों से 178 मामलों की सूचना दी गई है। इसमें से अधिकांश मामले उत्तर प्रदेश (136 मामले) और बिहार (22 मामले) में हुए हैं। उत्तर प्रदेश

और बिहार में भी अब संचरण कतिपय आंतर-निवासों (पॉकेटों) तक ही सीमित है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) वर्ष	रोगियों की संख्या
1999	1126
2000	265
2001	178

(7.12.2001 की स्थिति के अनुसार)

(च) 2002 तक पोलियो की शून्य घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश भर में तीव्रीकृत पल्स पोलियो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। पोलियो के मामले की पहचान होने पर संबंधित जिलों और साथ लगे जिलों में भी शेष वायरस की समाप्ति के लिए प्रतिरक्षण आपरेशन (मॉप अप वैक्सीनेशन आपरेशन्स) चलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की स्थिति की सरकार द्वारा अति सूक्ष्मता से मानीटरिंग की जा रही है और आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। आऊटरीच सेवाओं में सुधार लाकर कमजोर निष्पादन वाले क्षेत्रों में नेमी प्रतिरक्षण के सुदृढ़ किया जा रहा है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण के कार्यों में सुधार करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

विवरण

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियां

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विमुक्त की गई निधियां		सूचित किया गया व्यय#	
		1999-00	2000-01	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5	6
1.	अ० एवं नि० द्वीपसमूह	25.85	2.09	25.28	2.12
2.	आंध्र प्रदेश	945.84	457.09	891.06	98.40
3.	अरूणाचल प्रदेश	146.65	28.67	146.65	28.67
4.	असम	527.61	326.52	527.61	230.55
5.	बिहार	1160.05	2206.53	756.53	958.46
6.	चंडीगढ़	28.00	5.42	17.43	4.29
7.	दा० व न० हवेली	23.86	1.56	13.89	1.15
8.	दमण व दीव	31.13	0.98	12.02	0.08
9.	दिल्ली	102.90	275.02	100.04	156.87
10.	गोवा	32.02	5.99	25.77	1.20
11.	गुजरात	678.90	590.06	549.87	451.43
12.	हरियाणा	270.96	343.79	242.89	286.92
13.	हिमाचल प्रदेश	228.38	66.07	166.54	65.77
14.	जम्मू व कश्मीर	240.86	96.06	176.83	53.76
15.	कर्नाटक	476.17	437.20	458.23	149.44
16.	केरल	452.41	130.25	432.30	125.67
17.	लक्षद्वीप	22.43	0.60	11.12	0.00
18.	मध्य प्रदेश	1725.43	1334.82	1668.29	812.65
19.	महाराष्ट्र	1064.78	516.61	705.59	516.61
20.	मणिपुर	89.58	9.52	0.00	9.51
21.	मेघालय	72.68	13.45	57.61	0.00
22.	मिजोरम	40.04	3.59	40.04	3.59
23.	नागालैंड	70.14	7.59	70.35	7.59
24.	उड़ीसा	683.04	411.89	646.65	238.13
25.	पांडिचेरी	44.42	4.91	35.71	4.18
26.	पंजाब	292.10	312.18	276.37	83.71
27.	राजस्थान	1042.44	959.11	959.11	871.52
28.	सिक्किम	37.01	2.45	36.17	0.00
29.	तमिलनाडु	723.46	329.70	706.64	259.42
30.	त्रिपुरा	60.64	12.80	23.67	12.80
31.	उत्तर प्रदेश	1834.19	3544.13	1697.57	2708.35
32.	पश्चिम बंगाल	740.90	1104.74	725.93	993.05
	कुल	13914.84	13541.40	12203.73	9135.91

#अनंतिम

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य

3675. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सामाजिक उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा कितना कार्य निष्पादित किया गया; और

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु के०वी०आई०सी०, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देता है।

(ख) के०वी०आई०सी० के क्रियाकलाप समस्त देश में चलाए जाते हैं। के०वी०आई०सी० के कार्य, योजना बनाना सम्वर्धन तथा खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु कार्यक्रमों का आयोजन तथा क्रियान्वयन में सहायता करना हैं। इसकी प्राप्ति हेतु यह कार्य करता है (क) बैंकों के माध्यम से पात्र अभिकरणों का वित्तपोषण, (ख) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में नियोजित या नियोजन की चाहत रखने वालों को प्रशिक्षण, (ग) कच्चे माल तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति में सहायता (घ) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास (ङ) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री और विपणन का सम्वर्धन (च) खादी और ग्रामोद्योगों इत्यादि में लगे हुए व्यक्तियों के बीच सहकारी प्रयासों का सम्वर्धन तथा प्रोत्साहन आदि।

(ग) के०वी०आई०सी० के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को समस्त देश में चलाया जाता है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत के 25% को मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाता है। परियोजना जिसकी लागत 10 लाख रु० से अधिक तथा 25 लाख रु० तक है, मार्जिन मनी 10 लाख रु० के 25% की दर से जमा शेष परियोजना लागत के 10% की दर से प्रदान की जाती है। कमजोर वर्गों अर्थात् अनु०जा०/अनु०ज०जा०, महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक तथा तथा अल्पसंख्यक हितग्राही/संस्थान और पहाड़ी बार्डर तथा आदीवासी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के सम्बन्ध में 10 लाख रु० तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी 30% की दर से तथा शेष राशि (25 लाख रु० तक) के लिए यह 10% की दर से दी जाती है। हितग्राही से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परियोजना लागत में 10% का अपना योगदान करें। महिला, अनु०जा०/अनु०ज०जा० और अन्य पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों के मामले में यह योगदान परियोजना लागत का 5% है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के सम्वर्धन हेतु 14 मई, 2001 को एक पैकेज की घोषणा की है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगारों का सृजन करना तथा महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाना है।

दसवीं योजना में प्रमुख क्षेत्र के लिए धनराशि

3676. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और वृद्धि दर के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2001 को आयोजित इसकी 49वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था और दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है। दृष्टिकोण पत्र का उद्देश्य योजना अवधि 2002-2007 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर को प्रतिवर्ष 8% तक बढ़ाना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। कोर क्षेत्रकों सहित विभिन्न क्षेत्रकों के बीच आबंटन दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय निर्णित किया जाएगा।

[अनुवाद]

बंगलौर स्थित 'निमहांस' संस्थान में एडवांस्ड आयुर्वेद केन्द्र

3677. श्री एच०जी० रामुलू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर स्थित मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) को एडवांस्ड आयुर्वेद केन्द्र का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या 'निमहांस' में एडवांस्ड आयुर्वेद केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है;

(घ) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ङ) यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर में मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान के लिए एक उन्नत आयुर्वेद केन्द्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

(ख) वर्ष 2001-02 के दौरान 26.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ) भवन का निर्माण अग्रवर्ती अवस्था में है जिसे 2002 में ही पूरा कर लिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी

3678. श्री विक्रम केशरी देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के०बी०के० जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी का उन्मूलन करने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन जिलों से गरीबी का उन्मूलन करने और रोजगार सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्य के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती बसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे०जी०एस०वाई०) और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना (एस०जी०एस०वाई०) सहित विभिन्न रोजगार सृजन स्कीमें के०बी०के० जिलों में प्रचालन में हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू कर दी गई है और दिनांक 1.4.2002 से यह प्रचालित कर दी जाएगी। यह स्कीम ई०ए०एस० और जे०जी०एस०वाई० का स्थान लेगी। इसके अतिरिक्त, के०बी० के० जिलों के लिए आबंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग विभिन्न स्कीमों जैसे वनरोपण, जलसंभर विकास, इत्यादि के लिए किया जा रहा है, इन जिलों में ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार अवसरों के सृजन पर इनका सीधा प्रभाव है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने इन जिलों में श्रम गहन कार्य की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्नों को ग्रामीण रोजगार क्षेत्रकों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना के विभिन्न घटकों के अनुरूप बनाया है।

(ग) एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत 12,191 स्वरोजगारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त राज्य सरकार का वास्तविक लक्ष्य जे०जो०एस०वाई० के अंतर्गत 58.75 लाख श्रम दिवस और ई०ए०एस० के अंतर्गत 37.83 लाख श्रम दिवस के रोजगार सृजन का है। गरीबी उन्मूलन हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

"सी०जी०एच०एस०" में विशेषज्ञ चिकित्सक

3679. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न सी०जी०एच०एस० औषधालयों में कितने विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त हैं;

(ख) ये विशेषज्ञ किन-किन सी०जी०एच०एस० औषधालयों/अस्पतालों में तैनात हैं; और

(ग) दिल्ली में सी०जी०एच०एस० औषधालयों की सेवाओं में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 74 विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं।

(ख) विभिन्न वियर्यों के विशेषज्ञों को दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निम्नलिखित एककों में तैनात किया गया है :–

1. डा० राम मनोहर लोहिया, अस्पताल
2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विंग, सफदरजंग अस्पताल
3. संसद भववन एनेक्सी
4. प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल, आर०के० पुरम
5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पालीक्लिनिक॰
6. किंगस्वे कैम्प एवं तिमारपुर के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें औषधालयों की सेवाओं का उन्नयन, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3680. डा० मन्दा जगन्नाथ :
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कर्मियों का भारतीय प्रशासनिक-सेवा तथा समूह 'ख' सेवाओं में प्रतिनिधित्व यथा-निर्धारित 15%, 7.5% और 27% प्रतिशतांक आरक्षण के स्तर तक नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अखिल भारत में भारतीय प्रशासनिक-सेवा के संदर्भ में कुल 'संस्वीकृत पदों (राज्य सेवा के अधिकारियों के उन पदों सहित, जिन पर उन्हें कतिपय ग्रेडों में पदोन्नत करके आई०ए०एस० अधिकारी बनाया गया है) की कुल संख्या कितनी है;

(घ) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के पैरा 5 के अंतर्गत अंतर्निहित अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर (i) अनुसूचित जातियों (ii) अनुसूचित जनजातियों (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (iv) सामान्य वर्ग के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है; और

(ङ) वर्ष, 1997, 1998, 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान कितनी नई रिक्तियाँ हुई तथा वर्ष-वार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य वर्गों के व्यक्तियों से ऐसी कितनी रिक्तियाँ/पद भरे गए ?

लघु उद्योग-मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष-विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली समूह "ख" सेवा में सीधी भर्ती, संघ- लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा-परीक्षा के माध्यम से की जाती है। इस परीक्षा के आधार पर इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों का आबंटन, इन श्रेणियों के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 01.01.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य-वार संस्वीकृत पदों का विवरण संलग्न है।

(घ) दिनांक 01.01.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदों की प्राधिकृत संख्या 5159 है जिनमें से 5088 पदों पर, इस समय अधिकारी आसीन हैं। उपर्युक्त 5088 पदासीन अधिकारियों में से क्रमश: 546, 263, 128 अधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। उपर्युक्त श्रेणियों की प्रतिशतता क्रमश: 10.73, 05.17 और 02.52 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण सुलभ करवाया जाना, सिविल सेवा-परीक्षा, 1996 से ही शुरू किया गया है। दिनांक जुलाई, 02, 1997 के कार्यालय-ज्ञापन में निहित अनुदेश, भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के सम्बन्ध में सिविल सेवा परीक्षा, 1998 से ही कार्यान्वित किए गए हैं।

(ङ) वर्ष, 1997 से वर्ष, 2000 तक, सिविल सेवा-परीक्षा के संचालन के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुल 225 पद रिक्त हुए जिन पर अनुसूचित जातियों के 32, अनुसूचित जनजातियों के 17, अन्य पिछड़े वर्गों के 72 और सामान्य श्रेणी के 104 उम्मीदवार आबंटित किए गए हैं।

विवरण

राज्य का नाम	संस्वीकृत पदों की संख्या
आंध्र प्रदेश	314
अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और संघ-राज्य-क्षेत्र	232
असम-मेघालय	226
बिहार	264
छत्तीसगढ़	100
गुजरात	248
हरियाणा	212
हिमाचल प्रदेश	126
जम्मू और कश्मीर	112
झारखंड	129
कर्नाटक	248
केरल	178
मध्य प्रदेश	296
महाराष्ट्र	351
मणिपुर-त्रिपुरा	198
नागालैण्ड	64
उड़ीसा	202
पंजाब	193
राजस्थान	260
सिक्किम	50
तमिलनाडु	325
उत्तरांचल	68
उत्तर प्रदेश	467
पश्चिम बंगाल	296
योग	5159

शिशु मृत्यु दर

3681. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि रक्ताल्पता, रक्तस्राव और रोगाणुजन्य-दोष जैसी बीमारियों के कारण देश में मृत्यु-दर बढ़ी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस कारण राज्यवार और वर्षवार कितनी मौतें हुई; और

(ग) ऐसी मौतों को रोकने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का उसका विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) रक्ताल्पता, रक्तस्राव तथा पूतिता (सेप्सिस) मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। वर्ष 1997 तथा 1998 के लिए भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति द्वारा प्रदत्त मातृ मृत्यु संबंधी कारणों के आंकड़े विवरण-I पर संलग्न हैं तथा देश के बड़े राज्यों के लिए वर्ष 1997 एवं 1998 हेतु मातृ मृत्यु अनुपात विवरण-II पर संलग्न है।

(ग) मातृ स्वास्थ्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य मातृ मृत्यु एवं रुग्णता को कम करना है, का एक अभिन्न भाग है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप, जो मातृ मृत्यु को कम करने पर संकेन्द्रित हैं, कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के जरिए गर्भावस्था की पेचीदगी वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल वाहन की व्यवस्था, प्रथम रेफरल एककों में औषधों एवं उपस्कर की व्यवस्था, अतिरिक्त स्वस्थ्य कार्यकर्ताओं, स्टाफ नर्सों, डाक्टरों तथा संज्ञाहरणविज्ञानियों जैसे संविदात्मक स्टाफ की व्यवस्था हैं। चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्रों में 24 घण्टे प्रसव सेवा तथा 30 प्रतिशत से कम की सुरक्षित प्रसव दर वाले 142 जिलों में दाइयों के प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के लिए निधियां दी जा रही हैं। प्रतिकूल स्वास्थ्य सूचकों वाले 102 जिलों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की योजना 2000-2001 के दौरान शुरू की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना का विस्तार 60 और जिलों में कर दिया गया है।

विवरण-I

प्रसव एवं गर्भावस्था में संबंधित कारणों से हुई मौतों की प्रतिशतता (मातृ) अखिल भारत (ग्रामीण) : 1997 एवं 1998

विशिष्ट कारण	1997 (एस०आर०एस०)	1998 (एस०आर०एस०)
1	2	3
गर्भपात	7.30	8.90
विषरक्तता (टाक्सिमीया)	6.60	8.30
रक्ताल्पता	17.30	19.0
गर्भावस्था तथा प्रसूतकाल के रक्तस्राव	27.60	29.6
बच्चे की कुस्थिति जिससे माता की मौत हो जाती है	10.70	9.50
प्रसूति सेप्सिस	13.0	16.1
वर्गीकरणीय नहीं	8.0	8.60

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति 1997, 1998, भारत के महापंजीयक द्वारा प्रदत्त मातृ मौतों के कारण तथा कुल मातृ मौतों में उनका प्रतिशत वितरण।

विवरण-II

मातृ मृत्यु दर भारत तथा बड़े राज्य

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु दर 1997	मातृ मृत्यु दर 1998
भारत	408	407
आंध्र प्रदेश	154	159
असम	401	409
बिहार	451	452
गुजरात	29	28
हरियाणा	105	103
कर्नाटक	195	195
केरल	195	198
मध्य प्रदेश	498	498
महाराष्ट्र	135	135
उड़ीसा	361	367
पंजाब	196	199
राजस्थान	677	670
तमिलनाडु	76	79
उत्तर प्रदेश	707	707
पश्चिम बंगाल	264	266

स्रोत : भारत के महापंजीयक, नमूना पंजीयन पद्धति 1997, 1998

स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र

3682. श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि देश के स्वास्थ्य-परिचर्या केन्द्रों और अस्पतालों में आवश्यक प्रसूति-चर्या औषधियों, पुनरूज्जीवनदायी यंत्रों और नवजात शिशु-परिचर्या उपकरणों की उपलब्धता बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति का मूल्यांकन किया है और देश के सभी स्वास्थ्य-परिचर्या केन्द्रों और अस्पतालों में ऐसे उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार उन स्वास्थ्य-परिचर्या केन्द्रों और अस्पतालों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रही है जहां ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, इन अस्पतालों में माता तथा बच्चे, दोनों के उपचार के लिए सभी अनिवार्य प्रसूति परिचर्या औषधें, पुनरूज्जीवन थैलियां (बैग) तथा नवजात परिचर्या उपस्कर उपलब्ध हैं।

बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सेवाओं सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए प्रदान की जाती है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत छह वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए प्रतिरक्षण, तीव्र श्वसनी संक्रमणों तथा अतिसारी रोगों का प्रबंधन, अनिवार्य नवजात परिचर्या तथा पौषणिक रक्ताल्पता एवं विटामिन ए अल्पता के लिए रोग-निरोधन दिया जा रहा है। औषध किट ए तथा बी के जरिए औषधें उपकेन्द्रों को वर्ष में दो बार उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय भंडार में सामग्री की कमी/अधिकता

3683. श्रीमती रेणु कुमारी :
श्री अरुण कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में विभिन्न वस्तुओं की अधिकता अथवा कमी को अंतरवर्ती स्तर पर ही समायोजित कर लिया जा रहा है और तत्पश्चात् इस तरह निवल देयता/निवल अधिकता का आकलन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे उदाहरण प्रकाश में आए हैं जिनमें भौतिक सत्यापन के दौरान कमी/अधिकता को संसूचित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या लेखापरीक्षकों ने किसी भौतिक-सत्यापन में प्वाइंट-वैल्यू कॉलम (पी०वी० कॉलम) में वस्तु के खाता-मूल्य को भी लिया है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान उक्त प्रकार के कितने मामले पाए गए; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

लघु उद्योग-मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष-विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) किराना, उपभोक्ता और राशन की वस्तुओं के संबंध में, निवल कमी/ अधिकता, दायिता-प्रणाली के आधार पर आँकी जाती है। फिर भी, काउंटर पर बेची जाने वाली "लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं" के मामले में, निवल कमी/अधिकता, प्रत्येक वस्तु के खाता-शेष तथा भौतिक (वस्तुगत) शेष के अन्तर के मान की कुल धनराशि होती है। यह पता लगाए जाने की दृष्टि से इस प्रणाली की समीक्षा की जा रही है कि क्या इस बारे में कोई सुधारात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है अथवा नहीं।

(ग) और (घ) 31.03.2001 को की गई भंडारों के भौतिक सत्यापन के दौरान पता चले कमी/अधिकता के मामलों की संख्या, संलग्न विवरण में प्रस्तुत की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त भौतिक सत्यापन के दौरान केन्द्रीय भण्डार के सामने कोई ऐसा दृष्टांत नहीं आया जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों ने खाते में दर्ज शेष माल को भौतिक सत्यापन के स्तम्भ में, भौतिक रूप से सत्यापित माल के रूप में दर्शाया है।

(च) और (छ) (ङ) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कमी/अधिकता रखने वाले भंडारों/काउंटरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

1.	दिल्ली में किराना और उपभोक्ता-भंडार	संख्या
	निवल कमी रखने वाले भंडार	47
	निवल अधिकता रखने वाले भंडार	01
	कोई कमी/अधिकता नहीं रखने वाले भंडार	29
	कुल भंडार	77
2.	**दिल्ली में गोदाम**	
	कोई कमी/अधिकता नहीं रखने वाले गोदाम	2
	निवल कमी रखने वाले गोदाम	3
	कुल गोदाम	5
3.	**लेखन-सामग्री-काउंटर (पी० ब्लॉक, रायसीना रोड)**	
	कोई कमी/अधिकता नहीं रखने वाले काउंटर	3
	निवल कमी रखने वाले काउंटर	3
	कुल काउंटर	6

दोहा सम्मेलन

3684. श्री सुनील खां : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहा में हुए मंत्री सम्मेलन में लघु उद्योगों के संरक्षणार्थ कोई सुझाव दिये गये अथवा तीसरी दुनिया के देशों के विरुद्ध समूह-7 देशों द्वारा प्रयुक्त किए गए मानदण्डों को वापस ले लिया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। दोहा सम्मेलन की मंत्रालयीन घोषणा में ऐसा कोई संदर्भ नहीं था।

नाभिकीय नीति

3685. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की नाभिकीय नीति की समीक्षा का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास इस समय भारत की परमाणु नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेल्यूलर फोन सेवा

3686. श्री अनन्त नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कितने जिलों में सेल्युलर फोन सेवा उपलब्ध है;

(ख) क्या राज्य के प्रत्येक जिले में सेल्युलर सेवा उपलब्ध कराने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राज्य के प्रत्येक जिले में सेल्युलर फोन सुविधा को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) उड़ीसा में सेल्यूलर प्रचालक मै० रिलायन्स टेलीकॉम लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी द्वारा सेल्यूलर मोबाइल टैलीफोन सेवा (सी०एम० टी०एस०) 11 जिला मुख्यालयों और 7 अन्य नगरों/शहरों में उपलब्ध है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार के उपक्रम मै० भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) को भी सी०एम०टी०एस० के प्रचालन हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है। बी०एस०एन०एल० द्वारा उड़ीसा राज्य में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए निविदा पर कार्रवाई चल रही है। वर्तमान संकेतों के अनुसार आशा है कि राज्य में बी०एस०एन०एल० की सेल्यूलर सेवा अगले वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगी।

विवरण

7 दिसम्बर 2001 की स्थिति के अनुसार मै. रिलायंस टेलीकॉम लि० द्वारा उड़ीसा राज्य में सेल्यूलर कवरेज

क्र० सं०	सुविधायुक्त जिला मुख्यालयों के नाम	क्र० सं०	सुविधायुक्त अन्य शहर/नगर
1.	कटक	1.	पारादीप
2.	सम्बलपुर	2.	जाजपुर रोड
3.	खुर्दा	3.	राऊरकेला
4.	अनगुल	4.	भुवनेश्वर
5.	बालेश्वर	5.	बरहमपुर
6.	बरगढ़	6.	तलचेर
7.	छजपुर	7.	बुर्ला
8.	धेनकनाल		
9.	झारसुगुदा		
10.	बारी पदा		

[हिन्दी]

हिन्दी को प्रोत्साहन

3687. श्रीमती शीला गौतम :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान हिंदी के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में विदेश में कितने कार्यक्रम आयोजित किये गये;

(ख) क्या हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए वार्षिक रूप से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हिन्दी के प्रयोग और प्रोत्साहन हेतु विदेशों में प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) किन-किन देशों के विश्वविद्यालयों/विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और इस हेतु भारतीय मिशनों द्वारा क्या सहायता उपलब्ध कराई जाती है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित मिशनों/केन्द्रों द्वारा हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए नियमित रूप से हिन्दी सप्ताह/पखवाड़ा मनाने का कार्य और अन्य साहित्यिक एवं लोक प्रिय बनने संबंधी क्रियाकलाप आयोजित करता रहता है। पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ मिशन जिन्होंने मंत्रालय से मांग की और उन्हें वित्तीय और सामग्री रूप में सहायता पहुंचाई गई वे जिन देशों में अवस्थित हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं :–

कनाडा, क्रोएशिया, तंजानिया, सऊदी अरब, फिजी, यू०के०, सूरीनाम, नेपाल, त्रिनिडाड एवं टोबागो, आस्ट्रेलिया, उजबेकिस्तान, बेल्जियम, लीबिया और थाईलैंड।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) मंत्रालय की विदेशों में प्रचार-प्रसार से संबंधित एक सुनियोजित योजना है। अपनी इस योजना के अंतर्गत मिशनों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे विभिन्न प्रचारात्मक कार्य-कलाप आयोजित करें और उनसे कार्य कलाप संबंधी रिपोर्टें भी प्राप्त होती है। मंत्रालय विदेशों में स्थित मिशनों/केन्द्रों को उनके पुस्तकालयों के लिए और हिन्दी प्रचार-प्रसार में व्यस्त विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं/ संगठनों को उपहारस्वरूप देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शन आदि पर अच्छे स्तर का हिन्दी साहित्य उपलब्ध कराता है। मिशनों को पाठ्य-पुस्तकें, शब्द-कोश, श्रव्य-दृश्य कैसेट, कम्प्यूटर हिन्दी सोफ्टवेयर, सीडी रोम आदि की भी आपूर्ति की जाती है। हमारे मिशन स्थानीय संगठनों और भारतीय समुदाय से भी निकट संपर्क बनाए रखते हैं। सरकार द्वारा दी गयी छात्रवृत्ति पर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों के चयन से संबंधित समन्वय कार्य भी हमारे मिशनों द्वारा किया जाता है। आई०सी०सी०आर० द्वारा विदेशों में हिन्दी शिक्षकों और प्राध्यापकों की भी नियुक्ति की जाती है। विदेशों में हिन्दी की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक गति-विधियां, हिन्दी निबंध, फिल्म समारोह आदि भी आयोजित किए जाते हैं। हमारे बहुत से मिशन नियमित रूप से हिन्दी कक्षाएं आयोजित करते रहते हैं।

(च) वे देश जहां विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है वे इस प्रकार है :–

यूथोपिया, हांगकांग, जंजीवार, हंगरी, इंडोनेशिया, पोलैंड, उ० कोरिया, स्पेन, नीदरलैंड, जापान, सऊदी अबर, लीबिया, आयरलैंड, कतर, बंगलादेश, पेरू, टर्की, बोत्सवाना, क्रोएशिया, जकार्ता, बहराइन, रूसी परिसंघ, कनाडा, द० कोरिया, अमान, सूरीनाम जर्मनी, चेक गणराज्य, मिस्र, नेपाल, श्रीलंका, डेनमार्क, त्रिनिडाड, टोबागो, थाईलैंड और उजबेकिस्तान।

हमारे मिशन उन्हें निम्नलिखित रूप से सहायता प्रदान करते हैं :–

(i) विभिन्न विषयों पर हिन्दी पुस्तकें और अन्य पाठ्य-सामग्री उपहारस्वरूप प्रदान करना।

(ii) हिन्दी संबंधी शिक्षण सामग्री श्रव्य-दृश्य कैसेट, कम्प्यूटर, हिन्दी सोफ्टवेयर सी०डी० रोम आदि उपहार स्वरूप प्रदान करना।

(iii) कुछेक देशों के चुनिन्दा संस्थाओं में हिन्दी शिक्षक

[अनुवाद]

अल-कायदा का षडयंत्र

3688. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अल-कायदा' आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सत्ताच्युत करने के इरादे से वहां गृहयुद्ध कराने का षडयंत्र करने के लिए सीमा पार करके पाकिस्तान में घुस सकता है जैसा कि 16 अक्तूबर, 2001 के 'ट्रिब्युन' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सरकार ने 16 अक्तूबर, 2001 को ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है।

(ख) जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में सीमा पार आतंकवाद प्रायोजन की अपनी नीति के भाग के रूप में पाकिस्तान आतंकवादी ग्रुपों और कुछ ऐसे दलों को भेज रहा है जो हिंसक और रूढ़ीवादी विचाराधाराएं फैला रहे हैं। इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि ये नीतियां पाकिस्तान की अपनी लम्बे समय तक स्थिरता बनाने की हैं। प्राय: यह उन समाचारों से परिलक्षित होता है जो पाकिस्तान को मीडिया में मिल रहा है।

पाकिस्तान के पास भारत सीमा पार आतंकवाद प्रायोजन को समाप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक सहमति है कि आतंकवाद के लिए कोई औचित्य नहीं है और आतंकवाद, जहां भी मौजूद हो, समाप्त किया जाना चाहिए। कई अवसरों पर सरकार ने आतंकवाद को हटाने के लिए सभी आवश्यक उपायों को करने के अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया है।

प्राकृतिक संसाधनों का परिगणन

3689. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश के प्राकृतिक संसाधनों का नियमित रूप से परिगणन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकम्प इत्यादि प्राकृतिक आपदा-प्रवण सभी क्षेत्रों में आपदा का त्वरित मानीटरन कर सकने के उद्देश्य से देश में एक 'डिजिटल डाटाबेस' सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन०एन०आर० एम०एस०) के भाग के रूप में – मुख्य रूप में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए उपग्रह प्रतिबिंबों के उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आकाशीय डेटाबेसों को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में प्राप्त अनुभव के आधार पर देश के लिए एक प्राकृतिक संसाधन परिगणन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इनकी तालिका को नियमित और क्रमबद्ध रूप में अद्यतन करके परिवर्तनों का मानीटरन करना तथा नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना संभव होगा, जिन्हें बाद में अधिक विस्तार और अधिक आवर्तनता से मानीटर किया जा सकता है।

(ग) आपदा प्रबंध की सहायता में प्रतिबिंबों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने और आकाशीय सूचना को प्राप्त करने के कार्य को एक प्रमुख क्रियाकलाप के रूप में निर्धारित किया गया है। बाढ़ों, भूस्खलनों, सूखा और चक्रवातों के संबंध में देश में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के प्रयास किए गए हैं। इस अनुभव के आधार पर, आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए क्रमबद्ध डिजिटल डेटाबेस के सृजन की योजना है, जो कि देश में आपदा प्रबन्ध क्रियाकलापों की सहायता को संभव बनायेगा।

बकाया लाइसेंस-शुल्क

3690. **डा० वी० सरोजा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार, शहरों तथा दूरसंचार सर्किलों में रेडियो-पेजिंग सेवा के लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) शहरों और दूरसंचार सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवा के लाइसेंसधारकों द्वारा देय लाइसेंसशुल्क की बकाया राशि संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) लाइसेंस शुल्क के भुगतान के चूक 1997 से होनी शुरू हुई, जिसके लिए लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार लाइसेंस-धारकों को चूक संबंधी नोटिस दिए गए थे। नोटिस प्राप्त होने पर, चूककर्ता कम्पनियों ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी०आर० ए०आई०) में लाइसेंस करार समाप्त करने और बैंक गारंटियां भुनाने के नोटिसों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। टीआरएआई ने लाइसेंस करार समाप्त करने और बैंक गारंटियां भुनाने पर रोक लगा दी, जो कि 20.1.2000 तक प्रभावी रही। इन सभी मामलों को नव गठित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टी०डी०एस०ए०टी०) को अन्तरित कर दिया गया जिसने वर्ष 2001 के दौरान कार्य आरंभ किया था। तत्पश्चात इन मामलों को वापस लेने पर इनका निपटान हो गया था।

सेल्युलर और बुनियादी सेवा की भांति, सितम्बर, 1999 में शहरी तथा सर्किल पेजिंग प्रचालकों को में, एक माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की गई थी जिसे शहरों में कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि सभी प्रचालकों ने इसे स्वीकृत नहीं किया। सर्किलों में, यद्यपि लाइसेंसधारकों ने माइग्रेशन पैकेज स्वीकार कर लिया था, तथापि, इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने पैकेज की शर्तों के अनुसार 31.7.1999 को ब्याज सहित देय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।

रेडियो पेजिंग उद्योग ने दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी अभिसारिता दल (जी०ओ०टी०-आई०टी०) को भी आवेदन किया जिसने कुछ राहतें प्रदान करने की सिफारिश की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 1 अगस्त 1999 से उद्योग को राजस्व हिस्सेदारी में माइग्रेट करने की अनुमति, बकाया लाइसेंस शुल्क की ब्याज दर में रियायतें, पेजिंग और बुनियादी सेवा प्रदाताओं के बीच इनकमिंग कॉलों के लिए राजस्व में हिस्सेदारी इत्यादि बातें शामिल थीं।

जी०ओ०टी०-आई०टी० की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया, जिसने निर्णय लिया कि विद्वान महान्यायवादी की राय ली जाए। विद्वान महान्यायवादी की राय पर इस मामले को रेडियो पेजिंग उद्योग की व्यवहार्यता के संबंध में एक स्वतंत्र अध्ययन करने हेतु टैरिफ आयोग को यह पता लगाने के लिए भेजा गया है कि वे वास्तव में लाइसेंस शुल्क अदा करने की स्थिति में हैं या नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30.11.2001 की स्थिति के अनुसार शहरों और दूरसंचार सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवा के लाइसेंसधारकों द्वारा संदेय लाइसेंस शुल्क

रुपए करोड़ रु०

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	शहर* (तीसरे वर्ष तक)	सर्किल	जोड़
1.	ए०बी०सी० कम्यूनिकेशन्स	6.40	कोई लाइसेंस नहीं	6.40
2.	बेलट्रौन	0.94	कोई लाइसेंस नहीं	0.94
3.	इंडिया पेजिंग सर्विसेज लिमिटेड	कोई लाइसेंस नहीं	44.76	44.76
4.	डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन	10.38	कोई लाइसेंस नहीं	10.38
5.	आइडर पी०डब्ल्यू०आई० कम्यूनिकेशन	8.58	कोई लाइसेंस नहीं	8.58
6.	आइडर पी०डब्ल्यू०आई० पेजिंग	17.33	कोई लाइसेंस नहीं	17.33
7.	इजीकॉल कम्युनिकेशन	4.81	कोई लाइसेंस नहीं	4.81
8.	मैट्रिक्स	10.42	कोई लाइसेंस नहीं	10.42
9.	माइक्रोवेव	17.70	0.96	18.66
10.	मोदी कोरिया टेलीकॉम	7.90	0.07	7.97
11.	नीदरलैंड इंडिया	2.01	0.47	2.48
12.	पेज प्वाइन्ट	0.00	कोई लाइसेंस नहीं	0.00
13.	आर०पी०जी०	5.98	कोई लाइसेंस नहीं	5.98
14.	टेलीसिस्टम इंडिया	2.20	कोई लाइसेंस नहीं	2.20
15.	मैसर्स बी०पी०एल० वायरलैस	0.00	कोई लाइसेंस नहीं	0.00
16.	पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन	कोई लाइसेंस नहीं	144.86	144.86
17.	पुनवायर पेजिंग	0.39	29.86	30.25
	जोड़	95.04	220.98	316.02

नोट-I ऊपर दर्शाई गई कुल राशि में विलम्बित भुगतानों पर ब्याज शामिल नहीं है, जिन्हें भुगतान की वास्तविक तिथि तक अदा किया जाना होता है।

नोट-II* शहरों में, ऊपर दर्शाए गए लाइसेंस शुल्क की राशि तीसरे वर्ष तक के लिए निश्चित होती है। चौथे वर्ष से राजस्व हिस्से भी देय होती है।

राज्यों की वार्षिक योजना

3691. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक राज्य का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है; और

(घ) वर्ष 2001-2002 में प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित परिव्यय सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) ब्यौरे विवरण-I में हैं।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रतिशतता उपलब्धि के रूप में मापित राज्यों का निष्पादन अर्थात् प्रत्याशित योजना व्यय की तुलना में अनुमोदित योजना परिव्यय विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 के लिए प्रत्येक राज्य हेतु निर्धारित परिव्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य	सहमत परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8,378.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	661.00
3.	असम	1,710.00
4.	बिहार	2,644.00
5.	छत्तीसगढ़	1,312.00
6.	गोवा	460.00
7.	गुजरात	7,267.85
8.	हरियाणा	2,150.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1,720.00
10.	जम्मू व कश्मीर	2,050.00
11.	झारखंड	2,250.00
12.	कर्नाटक	8,941.56
13.	केरल	3,015.00
14.	मध्य प्रदेश	3,630.00
15.	महाराष्ट्र	10,834.00
16.	मणिपुर	520.00
17.	मेघालय	487.00
18.	मिजोरम	410.00
19.	नागालैंड	405.00
20.	उड़ीसा	3,000.00
21.	पंजाब	3,021.00
22.	राजस्थान	5,031.00
23.	सिक्किम	300.00
24.	तमिलनाडु	6,040.00
25.	त्रिपुरा	560.00
26.	उत्तर प्रदेश	8,400.00
27.	उत्तरांचल	1,050.00
28.	पश्चिम बंगाल	7,186.13

विवरण-II

2000-01 के दौरान राज्यों का योजना निष्पादन

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य	अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	प्रतिशतता उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7708.00	6660.14	86.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	640.00	599.41	93.66
3.	असम	1520.00	1520.00	100.00
4.	बिहार @	3100.00	1736.72	56.02
5.	गोवा	332.00	347.00	104.52
6.	गुजरात	7600.00	7010.00	92.24
7.	हरियाणा	1920.00	1825.20	95.06
8.	हिमाचल प्रदेश	1382.00	1720.00	124.46
9.	जम्मू व कश्मीर	1753.00	1753.00 *	100.00
10.	कर्नाटक	7250.00	6785.37	93.59
11.	केरल	3317.00	2493.25	75.17
12.	मध्य प्रदेश $	3295.58	3300.58	100.15
13.	महाराष्ट्र	11500.00	11500.00	100.00
14.	मणिपुर	451.00	429.57	95.25
15.	मेघालय	480.00	467.00	97.29
16.	मिजोरम	401.26	396.71	98.87
17.	नागालैंड	326.00	326.16	100.05
18.	उड़ीसा	2665.00	2550.25	95.69

1	2	3		
19.	पंजाब	2420.00	2147.14	88.72
20.	राजस्थान	4146.00	4247.94	102.46
21.	सिक्किम	250.00	250.00 *	100.00
22.	तमिलनाडु	5700.00	5700.30	100.01
23.	त्रिपुरा	485.00	422.60	87.13
24.	उत्तर प्रदेश #	9025.00	6756.79	74.87
25.	पश्चिम बंगाल	4026.59	4026.59 *	100.00
	कुल (राज्य)	81693.43	74971.72	91.77

टिप्पणी :

* : प्रत्याशित व्यय उपलब्ध नहीं, अनुमोदित परिव्यय की पुनरावृत्ति

@ : झारखण्ड अनुमोदित परिव्यय में शामिल है किन्तु प्रत्याशित व्यय में शामिल नहीं है।

$: छत्तीसगढ़ को छोड़कर।

\# : उत्तरांचल अनुमोदित परिव्यय में शामिल है किन्तु प्रत्याशित व्यय में शामिल नहीं है।

पत्तन न्यासों में कार्यसंचालनगत व्यय का नियंत्रण

3692. श्री विनय कुमार सोराके : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन न्यासों को मार्गनिदेश जारी करके स्थापनागत व्यय को कार्य संचालनगत व्यय को 30% तक ही सीमित कर देने के लिए कहा है;

(ख) क्या कोच्चिन पत्तन न्यास वर्ष 1994 से 1999 की अवधि के दौरान 43% से 54% तक का भारी स्थापनागत-व्यय कर रहा था, जोकि मार्ग निदेशों में निर्धारित की गई सीमा से बहुत अधिक था;

(ग) यदि हां, तो देश के अन्य हिस्सों की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यू मंगलौर और तूतीकोरिन स्थित पड़ोसी पत्तनों की अपेक्षा कोच्चिन पत्तन में कार्गो का प्रति कर्मचारी कारोबार कम रहा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कोच्चिन पत्तन न्यास ने 'ड्राइडॉक' और 'फॉर्कलिफ्ट' प्रकार के ट्रकों पर काम करने वाले कार्मिक दल को भी फालतू में ही मजदूरी का भुगतान किया जबकि ये वाहन प्रयोग में ही नहीं थे; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर कोचीन पत्तन न्यास द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम सीमा से अधिक स्थापनागत व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा निपटाए जाने वाले कार्गो का कार्य विभिन्न प्रकार के कार्गो और उपलब्ध आधारभूत संरचना से संबंधित है जो प्रत्येक पत्तन में भिन्न-भिन्न होता है। तथापि, कोचीन पत्तन ने अपनी कर्मचारी उत्पादकता को 1991 में 1217 टन प्रति कर्मचारी से बढ़ाकर 2001 में 2473 टन प्रति कर्मचारी से बढ़ाकर 2001 में 2473 टन कर लिया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। शुष्क गोदियों के अस्थायी रूप से बन्द होने की अवधि के दौरान संबंधित कामगारों को अन्य कार्यों जैसेकि 24 फ्लोटिंग क्राफ्टों, कंटेनर और तेल टर्मिनल आदि की मरम्मत करने के लिए लगाया गया।

[हिन्दी]

परमाणु संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3693. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान परमाणु संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग परमाणु बिजलीघरों के संघटकों/उपस्करों की हालत और स्थिति पर निगरानी रखने के लिए सर्वेक्षण करता है। पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों के आधार पर संयंत्र के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में निर्णय लिया जाता है। प्रचालन के लिए विनिर्दिष्ट प्रभावी संपूर्ण विद्युत वर्षों (ई०एफ०पी०वाई०) के समाप्त होने पर, सुरक्षा बढ़ाने के लिए संयंत्र का अपग्रेडेशन जिसमें संयंत्र के शीतलक चैनल और अन्य सुरक्षा प्रणालियां बदलना शामिल है, को अनुपूरक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और कतिपय अन्य प्रणालियों में संशोधन करने, जैसा भी उपयुक्त हो, के कार्य को क्रियान्वित करना प्रस्तावित है। संयंत्र का अपग्रेडेशन सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और उसके कार्यकाल की अवधि को बढ़ाने के उपाय की दृष्टि से आवश्यक होता है, और इस प्रकार संयंत्र की उत्पादन क्षमता बरकरार रखना सुनिश्चित करना है। इस अपग्रेडेशन कार्यक्रम को समय और आवश्यकतानुसार क्रमिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है।

जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण डाकघर

3694. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में कितने ग्रामीण डाकघर हैं; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने ग्रामीण डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आज तक कितने डाकघर खोले गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 1474 डाकघर हैं।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 13 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई०डी०बी०ओ०) तथा 1(एक) विभागीय उप डाकघर (डी०एस०ओ०) खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोल दिया गया है। डाकघरों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा सरकार द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी देने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

बड़े पोतों के लिए लदाई-उतराई संबंधी सुविधाएं

3695. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों पर समुचित सुविधाओं की कमी के कारण सरकार के बड़े पोतों को लदाई एवं उतराई के लिए पड़ोसी देशों में जाने पर बाध्य होना पड़ता है और इस प्रयोजन हेतु 40 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच-पड़ताल की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाओं, विशेषकर बड़े पोतों की लदाई-उतराई हेतु आधुनिक क्रेनों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाएए गए हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कार्गों की लदाई/उतराई के लिए क्रेनों सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और ये सुविधाएं प्रत्येक पत्तन द्वारा हैंडल किए जाने वाले कार्गों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

होमियोपैथी/आयुर्वेदिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/अस्पताल

3696. श्री बहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में होमियोपैथी/आयुर्वेदिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/अस्पताल खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं जयपुर में उपलब्ध हैं जहां एक आयुर्वेदिक, एक होम्योपैथिक और पांच एलोपैथिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय चल रहे हैं। इसके अलावा इस समय राजस्थान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन और अधिक होम्यापैथिक/आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनसंख्या नियंत्रण

3697. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान सरकार पर गंभीर अभियोग लगाए गए हैं तथा इसने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के राज्य की उत्तरोत्तर सरकारों के दावों के खोखलेपन को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट से यह उद्घाटित होता है कि राजस्थान के सभी 32 जिलों का स्थान देश में सबसे नीचे है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में देश के बड़े राज्यों के बीच खतरनाक रूप से बढ़ती हुई गहरी सामाजिक-जनसांख्यिकीय विषमताओं को उजागर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने देश में असाधारण जनसांख्यिकीय विविधता और मौलिक जनसांख्यिकीय संकेतकों की उपलब्धि में राज्यों के बीच विस्तृत व्यापक अन्तरालों पर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या

नीति 2000 के उपाबंध-III में भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उनके अपने-अपने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और जनसंख्या स्थिरीकरण के ब्यौरों को सारणीबद्ध किया गया था।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 1998 से परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रजनक और बाल स्वास्थ्य (आर०सी०एच०) सर्वेक्षणों और सुविधा सर्वेक्षणों को लिया है। इसके अतिरिक्त जनगणना 2001 ने अधिकतर इन निष्कर्षों की पुष्टि की है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने पहचान किए गए पैरामीटरों के आधार पर जिलों को दर्जा (रैंकिंग) प्रदान करने तथा जिलों में परस्पर तुलना करने के उद्देश्य से 12 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के अनुसार देश के 569 जिलों का दर्जा प्रदान करते हुए एक प्रकाशन निकाला है। इस जिला-वार सूचना/डेटा में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में उद्धृत प्रमुख राज्यों में जनांकिकीय विषमता की पुष्टि की है। राजस्थान उन राज्यों से है जिनके जिलों को प्रकाशन में निहित सूची में शामिल किया गया है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि राजस्थान के सभी 32 जिलों को इस प्रकाशन में सबसे नीचे स्थान दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां, इस प्रकाशन में देश के बड़े राज्यों में व्यापक विविधता एवं जनांकिकीय विषमता की पुष्टि की गई है। सरकार ने सभी राज्यों के लिए संतुलित विकास सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकारा है। इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दरों एवं सामाजिक विकास के लिए लक्ष्यों सहित समग्र विकास लक्ष्यों के राज्यवार विश्लेषण को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन राज्य विशिष्ट लक्ष्यों में प्रभावकारिता तथा प्रत्येक राज्य में सामना की जाने वाली विवशताओं पर ध्यान दिया जाएगा और इनमें वृद्धि के क्षेत्रीय पैटर्नों एवं उनके क्षेत्रीय फैलाव पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इसमें सुधार के स्वरूप को भी स्पष्ट किया जाएगा जिसे राज्यों के लिए अंगीकृत वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य स्तरों पर कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता होगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अस्पताल

3698. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यताप्राप्त/निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेषकर हैदराबाद में ऐसे अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के संबंध में सरकार द्वारा किए गए निरीक्षणों/उपकरणों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या निरीक्षण दल की सिफारिशों के बावजूद सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले कुछ अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को ऐसे अस्पतालों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने निवास स्थान से काफी दूर स्थित अस्पतालों में उपचार कराने में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सूची में हैदराबाद के कुछ और अस्पतालों को सम्मिलित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कवर किए गए विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देने के लिए निविदा दस्तावेज के अनुसार मानदंड में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

अस्पतालों के लिए :

(i) अस्पताल, शहर के आकार के आधार पर कम से कम 100/50/30 बिस्तरों वाला होना चाहिए जिसमें आई०सी० सी०यू० सहित, पुनरूज्जीवन तथा विसंक्रमण सुविधाओं सहित सुसज्जित आपरेशन थिएटर, विकृति विज्ञान तथा विकिरण विज्ञान दोनों में पर्याप्त नैदानिक सेवाएं, पर्याप्त संख्या में रेजिडेंट डाक्टर और परा चिकित्सा स्टाफ हो, जिसमें पर्याप्त स्थान, अपनी परिवहन प्रणाली (एम्बुलैंस आदि), 24 घंटों की जल तथा विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त तथा उपयुक्त अपशिष्ट निपटान सुविधाएं आदि हों।

(ii) अति विशिष्टता वाले अस्पतालों के लिए, बिस्तरों की न्यूनतम संख्या की शर्त लागू नहीं होती। तथापि, ऐसे अस्पताल को तकनीकी रूप से अत्यधिक समृद्ध होना चाहिए।

नैदानिक केन्द्रों के लिए

प्रयोगशालाएं : विकृति विज्ञान/जैव-रासायनिक/सूक्ष्म जीव विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला में पूर्णकालिक विशेषज्ञ, पूर्ण स्वचालित रसायन विश्लेषक और रूधिर विज्ञान केन्द्र सहित आधुनिक गेजेट, सुप्रशिक्षित अर्हताप्राप्त तकनीशियन, पर्याप्त मौजूदा कार्यभार, पर्याप्त स्थान, अपशिष्ट निपटान के लिए पर्याप्त प्रबंध आदि होना चाहिए।

विकिरण विज्ञान : आधुनिक एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउन्ड एम०आर०आई० सुविधाएं, पूर्णकालिक विशेषज्ञ, पर्याप्त सुप्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ, पर्याप्त मौजूदा कार्यभार।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अधीन निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देने के लिए कोई निरीक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (ज) 1996 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हैदराबाद के अधीन 23 निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता दी गई थी जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उपचार/नैदानिक सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हैदराबाद के अधीन निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को नए सिरे से मान्यता देने हेतु पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

कम्प्यूटरीकृत ब्रेल लिप्यंतरण

3699. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में नेत्रहीन छात्रों की सहायता के लिए कम्प्यूटरीकृत ब्रेल लिप्यंतरण एवं मुद्रण प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त तमिल सहित सभी 18 प्रादेशिक भाषाओं की सहायता हेतु ऐसी प्रणाली का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय ब्रेल साक्षरता कार्यक्रम" नाम की परियोजना मार्च, 2000 में शुरू की है।

इस परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का योगदान 5 वर्षों में 10.35 करोड़ रुपए होगा। देश के विभिन्न भागों में 30 अन्ध विद्यालयों का चयन शैक्षिक आधारभूत सुविधाओं के प्रतिष्ठापन के लिए किया गया है जिसमें ब्रेल में पाठ, पाठ से ब्रेल सॉफ्टवेयर, व्यैयक्तिक कम्प्यूटर, स्वदेश में विकसित ब्रेल एम्बोसर आदि शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), खड़गपुर और वेबेल इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) तमिल सहित सभी भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटरीकृत पाठ का ब्रेल में लिप्यन्तरण और मुद्रण प्रणाली का विकास पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली के आयुर्वेदिक अस्पतालों का कार्यकरण

3700. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक अस्पताल, नई दिल्ली गत पांच वर्षों से बिना चिकित्सा अधीक्षक के कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण से अस्पताल का कार्यकरण प्रभावित नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद को भरने हेतु कोई प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पद को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) चिकित्सा अधीक्षक, आयुर्वेदिक अस्पताल का पद 31.12.97 से खाली पड़ा हुआ है। चिकित्सा अधीक्षक के पद को विभाग द्वारा 4-10 दिसम्बर, 1999 को विज्ञापित किया गया था और चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार आयोजित किया था। तथापि, कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाया गया। अंतरिम व्यवस्था के रूप में सलाहकार (आयुर्वेद) जो संवर्ग में वरिष्ठतम अधिकारी हैं, को आयुर्वेद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस पद को भरने हेतु नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। इस पद को विज्ञापित किया जाएगा और चयन हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

[अनुवाद]

एन्थ्रैक्स रोधी टीका

3701. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 2001 के इंडियन एक्सप्रेस में "जे०एन०यू० लैब कुड गिव वाशिंगटन इट्स लेटेस्ट वीपन अगेन्स्ट टैरर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस टीके की प्रभावोत्पादकता, विषाक्तता और दुष्प्रभावों को अंतिम रूप से परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक संरक्षी एंटिजन तैयार किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार प्रयोगशाला स्तरीय इस प्रौद्योगिकी को इसकी प्रभावकारिता/अनुषंगी प्रभावों का जायजा लेने के लिए जीव-जन्तु/

नैदानिक परीक्षण करने और इस वैक्सीन को तैयार करने हेतु सरकार की सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु पेनेसिया बायोटेक लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रिपरेशन का अभी जीव-जन्तु/नैदानिक परीक्षण किया जाना है।

निजी कुरियर सेवा

3702. **श्री पी० राजेन्द्रन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय डाकघर अधिनियम से अनन्य विशेषाधिकार खंड को हटाकर निजी कुरियर सेवा को वैध बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निजी कुरियरों द्वारा पत्रों इत्यादि के गैर-कानूनी वहन पर रोक लगाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 58 के अधीन पत्रों को ले जाने के सरकार के अनन्य विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए प्रावधान पहले से ही है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड

3703. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ माह के दौरान विदेश संचार निगम लिमिटेड के शेयरों के मूल्यों में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड का शेयर जिसका मूल्य 3100 रुपये था, अब घटकर काफी निम्न स्तर पर आ गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 500% का लाभांश देने की घोषणा की है; और

(च) क्या इससे इसके शेयरों के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले कुछ महीनों (जुलाई 2001 से दिसम्बर, 2001) के दौरान वी०एस०एन०एल० के शेयर-मूल्यों में उतार चढ़ाव रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) फरवरी, 2000 के दौरान वी०एस०एन०एल० का शेयर मूल्य 3100/- रु० तक बढ़ गया था और जैसा कि बी० एस०ई०/एन०एस०ई० सेंसेक्स से देखा जा सकता है कि उस समय सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) के शेयर भी ऊँचे बाजार मूल्यों पर पहुंच गए थे। मार्च, 2000 से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगभग सभी कंपनियों के शेयर मूल्य में गिरावट आई है। यह एक सार्वभौमिक घटना है और भारतीय बाजार भी इससे प्रभावित हुआ है। इसलिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि फरवरी, 2000 में शेयर मूल्य में जो उछाल आया था उसकी तुलना वर्तमान मूल्य से की जाए। बाजार में मंदी के बावजूद नवम्बर, 2000 में वी०एस०एन०एल० ने प्रत्येक धारित शेयर के लिए दो बोनस शेयर जारी किए जो तत्कालीन मौजूदा शेयर मूल्य के एक तिहाई के समकक्ष "एक्स" बोनस मूल्य बना।

(ङ) जी, हां।

(च) स्टॉक एक्सचेंज प्रत्येक शेयर पर दिए गए लाभांश की राशि से शेयर मूल्य कम करके बाजार पूंजी-क्षरण को संतुलित करते हैं। इस तरह के क्षरण को अस्थायी माना जाता है और इससे कंपनी के कार्य-निष्पादन संबंधी निवल-मूल्य में कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

विवरण

वी०एस०एन०एल० का शेयर मूल्य-बी०एस०ई० और एन०एस०ई० में मासिक उतार चढ़ाव

	बी०एस०ई०		एन०एस०ई०	
	अधिक	न्यून	अधिक	न्यून
जुलाई-2001	330.70	264.50	329.50	262.70
अगस्त-2001	290.95	263.20	290.35	263.85
सितम्बर-2001	226.45	162.85	278.35	162.95
अक्तूबर-2001	236.60	210.60	237.20	210.25
नवम्बर-2001	254.85	214.45	254.75	214.30
दिसम्बर-2001*	232.10	227.05	232.75	227.25

*अभी तक

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

3704. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके मंत्रालय के अधिकारियों की श्रेणीवार/पदवार संख्या कितनी है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की;

(ख) ऐसे अधिकारियों को क्या लाभ दिए गए;

(ग) आज तक इस प्रकार की सेवानिवृत्ति के लिए कितने अधिकारियों के आवेदन लम्बित हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की सेवानिवृत्ति से उनके मंत्रालय के काम-काज पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक; और

(च) सरकार का ऐसी सभी रिक्तियों को किस प्रकार भरने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (च) इस मंत्रालय के तीनों विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अधीन कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोधों, जब कभी प्राप्त होते हैं, की उनके अधीन संबंधित विभागों/संगठनों/कार्यालयों द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार जांच की जाती है और तद्नुसार लाभ दिए जाते हैं। इससे संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। इनके परिणामस्वरूप हुई रिक्तियों और सामान्य सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को संबंधित पद के भर्ती नियमों के उपबन्धों और सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भरा जाता है।

[हिन्दी]

औषधियों के पेटेंट कराने में छूट

3705. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन का औषधियों के पेटेंट कराने में कोई छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों और इनके विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विकासशील देशों के मामले में पेटेंट मानदंडों को समाप्त कराने के लिए प्रयास करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक सरकार द्वारा इस दिशा में की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) विश्व व्यापार संगठन का मंत्री सम्मेलन (डब्ल्यू०टी०ओ० मिनिस्ट्रीयल कान्फ्रेंस) दोहा, कतर में 9 नवम्बर, 2001 से 14 नवम्बर, 2001 तक हुआ था। 14 नवम्बर, 2001 को इस सम्मेलन में ट्रिप्स (टी०आर०आई०पी०एस०) अनुबंध एवं जनस्वास्थ्य पर एक घोषणा-पत्र अंगीकार किया गया। इस घोषणा-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, उनके विकासशील देशों को आक्रान्त करने वाली जनस्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता की पहचान की गई है तथा इसमें इस बात पर सहमति है कि ट्रिप्स अनुबंध में सदस्यों को जनस्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उपाय करने से रोका नहीं जाता है और उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। इस घोषणा-पत्र में अभिपुष्टि की गई है कि इस अनुबंध का निर्वचन तथा कार्यान्वयन इस तरीके से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए जो जनस्वास्थ्य की रक्षा करने के विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार का समर्थन करता हो तथा विशेष रूप से, सभी की औषधों तक पहुंच को बढ़ावा दे। इसमें ट्रिप्स अनुबंध के प्रावधानों को पूरी तरह से प्रयोग करने के विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकारों की पुन: अभिपुष्टि की गई है जिसमें इस उद्देश्य के लिए लचीलेपन का प्रावधान है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते क्योंकि विशिष्ट औषधों और दवाइयों के संबंध में इस घोषणा-पत्र में सिफारिशें नहीं की गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात

3706. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और वर्ष 2001-2002 में अब तक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए निर्यात का मूल्य कितना था एवं उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें निर्यात किया गया;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पादन एवं निर्यात में विश्व में भारत का क्या स्थान है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिशत और रुपयों के संदर्भ में उत्पादन एवं निर्यात की अपेक्षित वृद्धि कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) वर्ष 1999-2000 से 2001-02 (सितम्बर, 2001 तक) की अवधि के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सम्बद्ध सेवाओं के निर्यात और उसके स्थान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के क्षेत्र में विश्व के उत्पादन में भारत के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के उत्पादन का योगदान 1.30 प्रतिशत होने का अनुमान है और उपर्युक्त क्षेत्र में विश्व के समग्र व्यापार में भारत का कुल व्यापार 2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सेवाएं (बिलियन अमरीकी डॉलर)

	उत्पादन	व्यापार
विश्व	612.00	293.00
भारत	8.04	5.97
भारत का प्रतिशत अंश	1.3	2.00

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सॉफ्टवेयर के उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्य विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

मूल्य करोड़ रुपए
(अमरीकी मिलियन डॉलर)

स्थान	1999-2000		2000-01		2001-02	
	मूल्य	क्षेत्रवार योग का %	मूल्य	क्षेत्रवार योग का %	मूल्य	क्षेत्रवार योग का %
सं०रा० अमेरिका तथा कनाडा	11418.14 (2655.38)	66.00	17067.04 (3710.23)	62.06	9961.20 (2119.40)	60.37
यूरोप (ईयू देश)	3621.78 (842.27)	20.94	6125.11 (1331.55)	22.27	4580.67 (974.61)	27.76
सिंगापुर, हांगकांग तथा अन्य दक्षिण एशियाई देश	675.68 (157.13)	3.91	1493.54 (324.68)	5.43	555.92 (118.28)	3.37
जापान, कोरिया तथा अन्य सुदूर	501.42 (116.61)	2.90	907.25 (197.23)	3.30	650.73 (138.45)	3.94
पूर्वी देश						
आस्ट्रेलिया तथा अन्य ओसीयनाई देश	203.72 (47.38)	1.18	822.20 (178.74)	2.99	176.50 (37.55)	1.07
मध्य पूर्वी देश	193.15 (44.92)	1.12	440.36 (95.73)	1.60	116.05 (24.69)	0.70
यूरोप (गैर ईसी देश)	393.67 (91.55)	2.28	378.70 (82.33)	1.38	284.89 (60.61)	1.73
अफ्रीकी देश	265.66 (61.78)	1.54	224.34 (48.77)	0.82	170.95 (36.77)	1.04
लैटिन अमेरिका	24.87 (5.78)	0.14	35.99 (7.82)	0.13	3.09 (0.66)	0.02
रूस एवं सी०आई०एस० देश	1.91 (0.44)	0.01	5.47 (1.19)	0.02	0.00 (0.00)	0.00
योग	17300.00 (4023.26)	100.00	27500.00 (5978.26)	100.00	16500.00 (3510.64)	100.00
औसत विनिमय दर						
1 अमरीकी डॉलर =	43.00		46.00		47.00	

विवरण-II

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर कार्यकारी दल दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

वर्ष	सॉफ्टवेयर निर्यात		घरेलू सॉफ्टवेयर	योग
	करोड़ रुपए	अमरीकी मिलियन डॉलर	करोड़ रुपए	
1	2	3	4	5
2002-03	54,000	11,250	17,000	71,000
2003-04	73,000	15,210	23,000	96,000
2004-05	98,000	20,420	30,000	128,000
2005-06	128,000	26,670	40,000	168,000
2006-07	160,000	33,340	53,000	213,000
2007-08	200,000	41,670	67,000	267,000
2008	240,000	50,000	84,000	324,000

सारणी 1 : दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित उत्पादन (वास्तविक परिदृश्य)

क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	सीएजीआर %
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी	13,000	15,400	18,200	21,500	25,400	30,000	18
औद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी	4,500	4,700	4,900	5,200	5,400	5,800	5
कम्प्यूटर हार्डवेयर	4,000	4,800	5,700	6,900	8,400	10,000	20
संचार एवं प्रसारण	5,000	5,600	6,100	6,900	7,600	8,400	11
सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी	1,900	2,100	2,200	2,400	2,600	2,800	8
संघटक पुर्जा	6,000	6,900	7,900	9,100	10,600	12,000	15
योग	34,400	39,500	45,000	52,000	60,000	69,000	15

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं

3707. श्री विक्रम केशरी देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं का विस्तार पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में समुचित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता और एड्स जैसे मुख्य रोगों के नियंत्रण के लिए उड़ीसा सहित देश में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजना भी उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे विश्रामस्थल

3708. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे विश्रामस्थल के निर्माण के संबंध में लगातार मांग होती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त किये गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ऐसे प्रस्तावों की संभाव्यता पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) सरकार की राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए मार्गस्थ सुविधाओं

जिन्हें विश्राम क्षेत्र भी कहा जाता है, की व्यवस्था करने की नीति है। इस नीति के अंतर्गत संलग्न विवरण के अनुसार 21 सुविधाएं चालू की गई हैं। कर्नाटक में विश्राम क्षेत्र सुविधा की स्थापना के लिए 272.63 लाख रु० की लागत से 15 स्थानों पर भूमि अधिग्रहण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में इलुरू के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर विश्राम क्षेत्र की भी मांग की गई है। इसके लिए कार्य पहले ही सौंप दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे विश्राम क्षेत्र की व्यवस्था का कार्य, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चार लेन बनाने के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय शामिल किया जा रहा है। इस तरह, इन विश्राम क्षेत्रों का निर्माण परियोजना के एक भाग के तौर पर किया जाएगा और इसके लिए कोई अलग बजट प्रावधान आवश्यक नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	सुविधाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	गोवा	1
4.	हरियाणा	1
5.	जम्मू और कश्मीर	1
6.	केरल	1
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	महाराष्ट्र	2
9.	उड़ीसा	1
10.	पंजाब	1
11.	राजस्थान	3
12.	तमिलनाडु	1
13.	उत्तर प्रदेश	3
14.	पश्चिम बंगाल	2
	जोड़	21

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास निधि

3709. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अनुसंधान और विकास निधियों के आवंटन के लिए शीर्षस्थ एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि/निधियां आवंटित की गई हैं और निधियों के आवंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए है; और

(ग) उक्त निधियों को किन-किन राज्यों में आवंटित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-थाइलैंड संबंध

3710. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास थाईलैंड के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना करने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या थाइलैंड के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) 26 से 29 नवम्बर 2001 तक की थाईलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और थाईलैंड के प्रधान मंत्री ने आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में उनके क्रिया – कलाप बढ़ाये जाने चाहिए और उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन जैसे दोनों पक्षों के हित के अनेक क्षेत्रों की पहचान की।

(ग) और (घ) जी, हां। थाईलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 28 नवम्बर 2001 को सूचना प्रौद्योगिकी और मेलाओं में सहयोग से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

चिकित्सा संस्थाओं में विवादों के न्याय-निर्णय हेतु स्थायी न्यायाधिकरण

3711. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा संस्थाओं में हड़ताल से उठे विवादों के न्याय-निर्णय हेतु स्थायी विचारण न्यायाधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे न्यायाधिकरण की स्थापना में कितना आवर्ती और अनावर्ती व्यय संक्षिप्त होने की संभावना है; और

(ग) इस न्यायाधिकरण की स्थापना कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुटनिरपेक्ष देशों की शिखर वार्ता

3712. **श्री प्रभात सामन्तराय :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटनिरपेक्ष देशों की तेरहवीं शिखर वार्ता के आयोजन हेतु स्थान का निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन-कौन सी तिथि निर्धारित की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) तेरहवां नाम शिखर सम्मेलन मूलत: 2001 में ढाका बंगलादेश में आयोजित किया जाना था। बंगलादेश की सरकार ने 16 अक्तूबर, 2001 को यह घोषणा की थी कि वह अप्रैल, 2002 में ढाका में तेरहवें नाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान न्यूयार्क में 14 नवम्बर, 2001 को सम्पन्न गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में जार्डन ने तेरहवां नाम शिखर सम्मेलन आयोजन करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। शिखर सम्मेलन की तारीखों और अन्य विवरण के बारे में जार्डन द्वारा अभी सूचित किया जाना बाकी है।

राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना समिति

3713. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एन०एफ०ए०पी०) समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना-2000 के कार्यान्वयन के पश्चात् आन्तरिक सुरक्षा एजेन्सियां प्रभावित न हों;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (एन०एफ०ए०पी०)-2000 की समीक्षा करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई थी। इन्टरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के रेडियो विनियमनों के अनुसार, एन०एफ०पी०-2000 की समीक्षा करने के लिए समिति के विचारार्थ सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की सभी इच्छुक हस्तियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इन प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना' समिति में हुए विचार-विमर्श के आधार पर एन०एफ०ए० पी०-2000 संशोधित किया गया है और राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना-2002 (एन०एफ०ए०पी०-2002) का मसौदा तैयार किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) स्पष्ट किया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित ध्यान दिया गया था कि एन०एफ०ए०पी०-2002 के मसौदे में सुरक्षा संबंधी कोई भी जानकारी शामिल नहीं की जाती है। आन्तरिक सुरक्षा एजेन्सियों को सभी फ्रीक्वेंसियों का आबंटन अलग से किया जाता है और इसे वर्गीकृत रूप में रखा जाता है।

विजन-2020 संबंधी समिति

3714. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरुआत और कुल निवेश में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ देश में नियोजन की भूमिका में बदलाव आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारणों के परिणामस्वरूप नियोजन की दीर्घकालीन परिकल्पना में भी परिवर्तन आया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विजन-2020 पर एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो मोटे तौर पर समिति की निबंधन और शर्तें क्या हैं और आरंभ से अभी तक इसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं और इसके द्वारा कितने प्रारूप प्रतिवेदन दिए जा चुके हैं; और

(ङ) दीर्घकालीन नियोजन के लिए समिति ने कौन-कौन से क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरुआत तथा कुल निवेश में निजी क्षेत्रक की बढ़ती भागीदारी के साथ देश में नियोजन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन यह उससे भिन्न है, जिसकी परिकल्पना विगत में की गई थी। ऐसे कई क्षेत्र हैं, उदाहरणार्थ, सामाजिक क्षेत्र, जहां इसकी भूमिका स्पष्ट रूप से बढ़ानी होगी। ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, उदाहरणार्थ अवसंरचनात्मक विकास, जहां अंतर बहुत बड़े हैं और निजी क्षेत्रक से महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की आशा नहीं की जा सकती। इन सभी क्षेत्रों में, उपभोक्ताओं के लिए उचित व्यवहार पारदर्शिता, एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु एक आधुनिक नियामक व्यवस्था को स्थापित करने तथा उसको बनाए रखने एवं संतुलित गतिविधि क्षेत्र के लिए नियोजन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय और भावी योजनाओं ने उभरती चुनौतियों एवं सुअवसरों पर निर्भर करते हुए अपने विजन प्रतिपादित किये हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार ने मई 2000 में विजन 2020 सम्बन्धी एक समिति का गठन किया है। समिति की अब तक 8 बैठकें हो चुकी हैं और इसने दीर्घकालीन नियोजन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :–

1. भौतिक संसाधनों की धारणीयता
2. भौतिक अवसंरचना
3. सुविज्ञ समाज की ओर अग्रसर
4. खाद्य एवं पोषण
5. एक भारतीय की अवस्था
6. सम्पन्नता के आर्थिक आयाम
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
8. बाह्य पर्यावरण और
9. शासन और उसमें लोगों की भागीदारी

वांछित अपराधियों का प्रत्यर्पण

3715. श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों में छिपे वांछित अपराधियों को वापस लाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारत ने अभी तक 16 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां सम्पन्न की हैं और अन्य कई देशों के साथ इस प्रकार की संधियां सम्पन्न करने के प्रस्ताव बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं। अन्य देशों में छुपने वाले भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के अनुरोध इस संधि के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाते हैं।

(ख) 1998 से आज तक चार भगोड़े अपराधियों को भारत को प्रत्यर्पित किया गया है।

विल फोन्स

3716. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायरलेस-इन लोकल-लूप (विल) प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल के लिए वर्तमान प्रभारित 450 रुपये के किराये, जिसे कि कुछ सेल्यूलर संचालकों द्वारा प्रस्तुत पैकेजों की तुलना में अधिक माना जाता है, को कम करने का है

(ख) यदि हां, तो विल फोन और सेल्यूलर फोन से की गई काल के बीच के अन्तर की वर्तमान दरें क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भी सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो नई योजना के अन्तर्गत विल फोनों का पंजीकरण कब शुरू हुआ और कितने पंजीकरण हुए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद

3717. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनेक मंत्रालय और मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों में निशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्ष-वार/पद-वार'/श्रेणी-वार कितने पद आरक्षित किए गए;

(ख) 31 अक्टूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार निशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्ष वार/पद वार श्रेणी वार कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) ऐसे पदों में वर्ष-वार/पद-वार/श्रेणी-वार कितने निशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों

के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह 'ग' में एक पद की पहचान वर्ष 2000 में की गई है। जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान समूह 'ग' तथा 'घ' में 5-5 पदों की पहचान की गई है।

(ख) 31 अक्टूबर 2001 की स्थिति के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह 'ग' में एक पद और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'घ' के दो पद रिक्त है।

(ग) संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में 8 पद (समूह 'ग'-5, समूह 'घ'-3) भर लिए गए हैं। मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस०टी०क्यू०सी०) निदेशालय में 5 अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति विभिन्न समूहों में नियुक्त किए गए हैं।

प्रमुख पत्तनों का कार्यनिष्पादन

3718. श्री विक्रम केशरी देव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ प्रमुख पत्तनों की आय में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) क्या इन वर्षों में इन पत्तनों द्वारा किया गया व्यय भी लगातार बढ़ता रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) तत्संबंधी पत्तनवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रमुख पत्तनों की कार्य दक्षता बढ़ाने और संचालनात्मक/प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए प्रत्येक पत्तन में विशेषकर पारादीप पत्तन के संदर्भ में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क), (ख) और (घ) इन्नौर महापत्तन 1 फरवरी, 2001 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। शेष 11 महापत्तनों में से केवल 3 पत्तनों अर्थात् कांडला पत्तन न्यास, मुम्बई पत्तन न्यास और जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान आय घट रही है जबकि इन पत्तनों का व्यय नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार सामान्यतया बढ़ रहा है :–

पत्तन का नाम	आय (करोड़ रु०)			व्यय (करोड़ रु०)		
	1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
कांडला	344.92	369.85	326.61	133.82	154.93	155.95
मुम्बई	735.82	675.91	620.86	665.93	641.15	1093.12
जवाहर लाल नेहरू	482.31	475.29	443.17	246.86	342.24	341.97

(ग) मुम्बई और कांडला पत्तनों की आय प्रमुखत: यातायात की मात्रा कम होने के कारण घटी है जबकि जवाहर लाल नेहरू पत्तन की आय कंटेनर – यातायात पत्तन प्रचालित कंटेनर टर्मिनल से न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को हस्तांतरित होने के कारण घटी है। पत्तनों के व्यय बढ़ने के प्रमुख कारण हैं – वेतन और मजदूरी तथा अन्य इनपुट/उपयोगी वस्तुओं की लागत में बढ़ोतरी होना तथा सेवा निवृत्ति की आयु 60 से वापस 58 वर्ष करने और पत्तन कर्मचारी/कामगारों द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के कारण सेवा निवृत्ति लाभों के रूप में संवर्धित भुगतान करना।

(ङ) कार्यकुशलता में सुधार करना और प्रचालनात्मक/प्रशासनिक लात कम करना पारादीप पत्तन सहित सभी महापत्तनों में निरन्तर चलने वाला कार्य है। इस समय चलाए जा रहे आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अत्याधुनिक उपस्कर का अधिग्रहण करने, समुद्री सेवाएं सुधारने, श्रमिकों को प्रशिक्षण देने, कम्प्युटरीकरण और इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज तथा जलयान यातायात प्रबंधक प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया जाता है। यद्यपि, पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों के प्रचालनात्मक मापदंडों में सामान्यत: सुधार आया है। फिर भी वेतन/मजदूरी, उपयोगी वस्तुओं पर होने वाले व्यय आदि में सामान्य बढ़ोतरी होने के कारण प्रचालनात्मक/प्रशासनिक लागत में कमी नहीं आ पाई है।

[हिन्दी]

बिहार को सहायता अनुदान

3719. श्री राजो सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार को नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा आज की तिथि तक कितनी अनुदान सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार ने उक्त धनराशि के उपयोग के प्रभावों की समीक्षा की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि बिहार सरकार के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो विशेष अनुदान सहायता देने के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) चूंकि, दसवीं योजना वर्ष 2002 में ही शुरू हो पायेगी, अत: उत्तर नौवीं योजना अवधि तक ही सीमित है। निम्नलिखित सहायता अनुदान उपलब्ध कराई गई :–

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	उन्नयन और विशेष समस्या	स्थानीय निकाय	सीआरएफ का केन्द्रीय हिस्सा	एनएफसीआर/ एनसीसीएफ
1997-98	12.8781	0.00	41.12	10.00
1998-99	0.00	0.00	43.22	11.45
1999-2000	59.9033	0.00	33.79	38.18
2000-01	26.1575	0.00	50.22	29.67
2001-02	84.5613	108.75	26.37	0.00

(ख) ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय मानीटरिंग राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए तथा राज्य सरकारों को व्यावसायिक एजेन्सियों के माध्यम से मूल्यांकन का कार्य करना चाहिए जिससे कि कार्यक्रम की सुदृढ़ता और कमजोरी को उजागर किया जा सके जो आवश्यक सुधार शुरू करने में मदद कर सकती है (ई०एफ०सी० रिपोर्ट का पैरा 7.53 और 7.54)।

(ग) दसवें व ग्यारहवें वित्त आयोगों द्वारा गैर योजना राजस्व घाटा, उन्नयनीकरण एवं विशेष समस्या, स्थानीय निकायों और राहत व्यय (आपदा राहत निधि) को कवर करने हेतु बिहार राज्य के लिए सहायता अनुदान संबंधी सिफारिशें उनके विचारार्थ विषयों के अनुरूप हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पत्तनों के विकास के लिए विदेशी निधियां

3720. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों के विकास के लिए किसी विदेशी निवेश की मांग की गई है;

(ख) विदेशी निवेश से किन-किन पत्तनों का विकास किया गया है;

(ग) अब तक पत्तनवार और देशवार कितनी राशि का नवेश किया गया है; और

(घ) इसके लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) मंत्रालय में पत्तन क्षेत्र में संयुक्त उद्यम सहित निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केन्द्र सरकार की नीति में पत्तनों के विकास में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति भी दी गई है। निवेश के स्रोत का चयन परियोजना के प्रोन्नायक को करना होगा जो लागू विनियमों के अध्यधीन विदेशी अथवा घरेलू स्रोतों अथवा दोनों से धन उधार ले सकते हैं। विदेशी निवेशों के जरिए कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए कोई विशिष्ट शर्तें लागू नहीं है। लाइसेंस/रियायत की शर्तें परियोजना के लिए विशिष्ट होती हैं। जिनके लिए पक्षकारों के बीच सहमति होती है। मंत्रालय ने अभी तक निजी क्षेत्र में मुख्यत: निर्माण, प्रचालन और हस्तातंरण के आधार पर 4126.50 करोड़ रु० के मूल्य की परियोजना अनुमोदित की है। सरकार पत्तन क्षेत्र में तकनीकी अध्ययन आदि करने के लिए परस्पर सहमत शर्तों के अधीन चयन आधार पर द्विपक्षीय करार भी करती है।

[अनुवाद]

चिकित्सा स्वास्थ्य योजनाएं

3721. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए नया तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में पिछड़ रही हैं;

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए दी गई निधियों को पूर्णत: उपयोग न कर पाने वाले राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठ, एड्स और दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों से संबंधित हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तर पर नियमित दौरों, बैठकों और रिपोर्टों द्वारा किया जाता है।

(ग) रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों को कुल मिलाकर सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले पांच दशकों

के दौरान सरकार द्वारा की गई पहलों से जनसांख्यिकीय, महामारिक और अवसंरचनात्मक सुधार हुए हैं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारें विभिन्न रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का पूरा उपयोग कर रही हैं। निधियों के उपयोग की बारीकी से मॉनिटरिंग की जाती है और विभिन्न राज्य सरकारों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाते हैं।

रिवैक-बी और हैपेटाइटिस-बी

3722. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कसौली स्थिति केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान ने रिवैक-बी और हैपेटाइटिस-बी के रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रतिदर्श प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) विनिर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही टीके का उत्पादन हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में रिवैक-बी और हैपेटाइटिस-बी टीके का उत्पादन करने के लिए प्राधिकृत कम्पनियां कौन-कौन सी है और देश में इसकी अनुमानित आवश्यकता और उपलब्धता कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौटी हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन के रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूने प्राप्त करता है। (रिवैक-बी हेपेटाइटिस-बी का ब्रांड नाम है) जनवरी, 2001 से नवम्बर, 2001 की अवधि के दौरान इस संस्थान में 124 नमूने प्राप्त किए गए जिनमें से केवल एक नमूना रिवैक-बी, आर०बी०बी० 009 मानक गुणवत्ता वाला नहीं पाया गया।

(ग) वैक्सीन के प्रत्येक बैच औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण जांच के अध्यधीन होता है।

(घ) हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन का विनिर्माण करने हेतु प्राधिकृत कम्पनियां निम्नलिखित हैं :–

1. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद।
2. शान्ता बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद।
3. वोकाई लिमिटेड, औरंगाबाद।
4. पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. कैडिला हैल्थकेयर लिमिटेड, गुजरात।

वर्ष 2001-2002 के दौरान इन फर्मों की उत्पादन क्षमता लगभग 1630 लाख खुराकें हैं।

उड़ीसा में कृषि आधारित उद्योग

3723. **श्री विक्रम केशरी देव : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में विशेषकर कोलांपुट, बोलांगीर और कालाहांडी जिलों में कुछ कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों सहित उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित करता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं को ऋण

3724. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का विचार उपभोक्ताओं को सीधे ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक विभाग अपने स्वचालित गणक मशीन केन्द्रों को खोलने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि, विभाग राष्ट्रीय बचत पत्र के धारकों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित करने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

(ग) और (घ) विभाग अपने ग्राहकों को ए०टी०एम० सुविधा प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है। यद्यपि, यह प्रस्ताव अभी विचारात्मक स्थिति में है।

[अनुवाद]

तौलियों की खरीद में घोटाला

3725. **श्री अरुण कुमार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या 6 के पृष्ठ 70-71 में टिप्पणी

की है कि सी०जी०एम०टी०एस० निविदाओं एल०-I दरों को नहीं स्वीकार कर रही है और एल-I दरों से कम प्रतिदरों का प्रस्ताव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या फील्ड इकाइयां/दूरसंचार जिलों ने, जिन वर्षों में निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका उन वर्षों में अपनी स्वयं की निविदाएं आमंत्रित की जिसके फलस्वरूप 4.18 करोड़ रुपये का घाटा हुआ; और

(घ) दूरसंचार विभाग द्वारा निविदाओं को समय पर अन्तिम रूप न दे पाने के क्या कारण हैं तथा फील्ड इकाइयों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एम०टी०एन०एल० कर्मचारियों को तौलियों की आपूर्ति

3726. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री अरुण कुमार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०टी०एन०एल० ने प्रतिष्ठित विनिर्माताओं/अपने प्राधिकृत वितरकों से तौलियों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमन्त्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निविदाओं को आमंत्रित करने के क्या कारण हैं और पिछली बार ऐसे निविदाओं को किस तिथि को आमंत्रित किया गया था;

(घ) इस बार और पिछली बार खरीदे गए तौलियों की मात्रा और गुणवत्ता क्या है और इसका मूल्य क्या है;

(ङ) क्या बोली दाताओं द्वारा दिए गए नमूने आई०टी०आई० परीक्षण के अधीन थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) 48,696 तौलिए खरीदने संबंधी निविदा 17.04.2001 को खोली गई थी। निविदा में 5 बोलीदाताओं ने भाग लिया। निविदा का अनुमानित मूल्य 60 लाख रुपये था। चार बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को, उनका तकनीकी-वाणिज्यिक अनुपालन सुनिश्चित करने और निविदा विनिर्देशन के अनुसार उनके नमूनों की पुष्टि करने के बाद खोला गया।

(ग) जब स्टाफ यूनियन ने यह मांग की कि कर्मचारियों को नकद प्रतिपूर्ति करने की बजाए तोलिए दिए जाएं तो प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर अच्छी किस्म के तौलिए खरीदने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। पिछली खरीद, वर्ष 1997 में संबंधित क्षेत्रीय महा प्रबंधकों द्वारा कोटेशन के आधार पर की गई थी।

(घ) मौजूदा निविदा की मात्रा और मूल्य वही था जो भाग (ख) में उल्लिखित है। 1998 से पूर्व, सभी क्षेत्रीय महा प्रबंधक अलग से तौलिए खरीद रहे थे और उनकी गुणवत्ता उनके अपने निर्णय पर आधारित थी।

(ङ) जी, नहीं। नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एन०आई०टी०आर०ए०), कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार, ने इसकी जांच की थी।

(च) तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से अनुपालन करने वाले चार बोलीदाताओं के नमूनों की जांच एन०आई०टी०आर०ए० (कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा की गई थी और सभी नमूने, जांच संबंधी मानदण्डों की कसौटी पर खरे उतरे।

[हिन्दी]

हैपेटाइटिस ए और हैपटाइटिस बी के लिए राजसहायता

3727. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैपेटाइटिस ए और हैपेटाइटिस बी के टीकाकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं की राजसहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन सी संस्थाएं हैं और प्रत्येक संस्थान को कितनी राजसहायता राशि उपलब्ध कराई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। परिवार कल्याण विभाग ने मुम्बई के स्लमों में बच्चों को हेपेटाइटिस "बी" वैक्सीन देने के लिए युवक प्रतिष्ठान को एक अभिनव परियोजना के लिए 35.00 लाख रुपये मंजूर किए हैं। 20 लाख रुपये की पहली किश्त 30.03.2001 को विमुक्त की गई थी।

सशस्त्र बलों को टेलीफोन सुविधा

3728. डॉ० अशोक पटेल :
श्री जय प्रकाश :
श्री राम पाल सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कारगिल युद्ध के पश्चात् यह घोषणा की गई थी कि सियाचिन में तैनात सशस्त्र बल कार्मिकों को एक चौथाई दर पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शुरू की गई उक्त योजना विफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सरकार ने कारगिल, नोब्रा और लेह कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों द्वारा संचालित पी०सी०ओ०, चाहे वे इन्मारसैट टर्मिनलों पर हों अथवा लैण्ड लाइनों पर हों, से की गई एस०टी०डी० कॉलों के लिए सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध सैनिक बलों को कॉल प्रभार की एक चौथाई दर से टेलीफोन करने संबंधी सुविधा की घोषणा की। इन पी०सी०ओ० से नेपाल को की गई आई०एस०डी० कॉलें भी रियायती टैरिफ सुविधा के अन्तर्गत शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तौलियों की खरीद

3729. **श्री राम जी मांझी :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०टी०एन०एल० ने 27 नवम्बर, 1988 को लिए गए इस निर्णय का उल्लंघन कर कि प्रसिद्ध विनिर्माताओं के तौलियों के संवाधिक प्रतियोगी मूल्य दर के आधार पर कामगारों को नकद राशि दी जाये, प्रतिष्ठित विनिर्माताओं, या उनके अधिकृत वितरकों से तौलिए खरीदने हेतु हाल ही में निविदा आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भंडार को टैंडर दे दिया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार के बिलों पर तौलियों की कोई विशिष्टियां नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मई 1998 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०) ने तौलियों के लिए अपने कर्मचारियों को पैसा नकद देने का निर्णय लिया था। अगस्त, 2000 में स्टाफ यूनियन की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्णय की पुनरीक्षा की गई थी और तौलिए हासिल करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भंडार ने, एम०टी०एन०एल० के विनिर्देशन के अनुसार, सरकार द्वारा अनुमोदित टेस्ट हाउस नॉर्दन इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एन०आई०टी०आर०ए०) से प्राप्त तौलियों की जांच रिपोर्ट बिलों के साथ संलग्न की है।

प्रतिबंधित औषधियों का विनिर्माण

3730. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अगस्त, 2001 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "बैण्ड इन०यू०एस०, अवेलेबल हियर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, क्या ऐसी कई औषधियां है जिनपर अमरीका और अन्य विकसित देशों में प्रतिबंध है और उनका हमारे देश में स्वच्छंदता पूर्वक विनिर्माण किया जाता है और वे यहां बेरोक-टोक उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कभी-कभी कुछ देशों में वापिस उठाई गई कुछ औषधों और फार्मूलेशनों को अन्य देशों में बेचना जारी रखा जाता है क्योंकि ऐसा करने का निर्णय जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होता है जो किसी देश में रोग पैटर्न, किसी निश्चित जनसंख्या में औषध के प्रति विशिष्ट जातीय समूहों की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाओं, अधिक सुरक्षित प्रतिस्थानियों की उपलब्धता तथा किसी रोग के उपचार में शामिल लागत पहलू आदि जैसे अनेक पहलुओं द्वारा प्रभावित होती हैं। देश में बेची जा रही औषधों की हानिकारक/असंगत औषधों को बन्द करने के लिए लगातार एक विशेषज्ञ समिति के जरिए जांच की जाती है।

दो औषधें नामत: सिसाप्राइड और फिनाईल प्रापीलेमाइन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रमश: जुलाई, 2000 और नवम्बर, 2000 में वापिस उठाई गई थी। तथापि, ये औषधें सीमित लक्षणों के साथ स्वीडन, आस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों में भी उपलब्ध हैं। भारत में भी इन औषधों की स्थिति की जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई है। और सिफारिशों के अनुसार इन औषधों को विशिष्ट लक्षणों के लिए बेचने की अनुमति दी गई है।

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौलेस्ट्रोल को कम करने वाली औषध 'सेरिवास्टेटिन" को इस औषधों से संबद्ध घातक राबडिमालोसिस की प्रतिकूल रिपोर्टों के कारण वापिस उठा लिया गया है। भारत में मैसर्स बेयर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स टोरेन्ट अहमदाबाद, जिन्हें सेरिवास्टेटिन को बेचने की अनुमति दी गई थी। ने भी इसे बाजार से वापिस उठा लिया है। सभी राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश में कहीं भी सेरिवास्टेटिन गोलियों को न बेचा जाए।

यू०एन०सी०सी० से मुआवजा

3731. **श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी :**
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यू०एन०सी०सी० से मुआवजा हेतु आवेदन की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकारों/व्यक्तियों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से मुआवजे के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाने के बारे में सरकार को केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। वे व्यक्ति जो मुआवजे के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे भी अपने दावों को स्वीकार करने के बारे में हमें लिखते हैं।

(ग) भारत सरकार ने समय-समय पर इस प्रश्न को उठाया है और उसके लगातार प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र मुआवजा अयोग ने फार्मों को स्वीकार करने की अंतिम तारीख को 1.3.93 से बढ़ा कर 1.1.94; अंत 1.1.94 से बढ़ाकर 1.1.95 तथा अंत में 1.1.1996 किया। भारत सरकार ने दुबारा 1996 में संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के साथ इस प्रश्न को उठाया कि वे व्यक्ति जिन्होंने भारत सरकार के फार्मों पर आवेदन किया था परंतु संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के फार्मों पर पुन: आवेदन न कर सके, उन्हें अपने-अपने मुआवजा आवेदनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग इन दावों को विलम्ब दावों के रूप में स्वीकार करे। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने बताया है कि फार्मों को स्वीकार करने की कार्यवाही एक सतत चलने वाली कार्यवाही नहीं हो सकती वरना संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग अपनी अंतिम तारीख की सीमा के भीतर उसे प्रस्तुत किए गए मुआवजा आवेदनों की जांच नहीं कर सकेगा और न ही मुआवजा दे सकेगा तथापि, हम उन वास्तविक और सही दावों के प्रश्न को उठाने पर अभी विचार कर रहे हैं जिन्हें विधिवत रूप से पंजीकृत समस्त दावों की संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा प्रक्रिया पूरी करने के बाद समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके जून/जुलाई, 2003 के बाद होने की आशा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी

3732. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67-स्था० (ग) दिनांक 10.4.1968, (डी०ओ०पी०टी०) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 27.5.1976 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय सरकारी क्षेत्र के और स्वायत्तशासी संगठन/निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकार के अनुदेशों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कौन-कौन से कार्यालय/संगठन हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे कुल कितने संगठन/कार्यालय हैं जो उनके मंत्रालय के अंतर्गत स्थापना और कर्मचारियों से संबंधित मामलों का निपटारा करने वाली "प्रशासनिक इकाई" के रूप में काम करते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उपरिलिखित उद्देश्य के लिए कुल कितने संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) जी, नहीं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एकमात्र स्वायत्तशासी संगठन है। विद्यमान आदेश की अपेक्षानुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामित एक संपर्क अधिकारी है।

[हिन्दी]

राजस्थान को उपलब्ध कराई गई धनराशि

3733. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि कितनी है;

(ख) क्या अकाल राहत के लिए जारी की गई धनराशि के बारे में राशि के इस्तेमाल संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो यह किस तिथि को प्राप्त हुआ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारन को धनराशि आवंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार

को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार से है :–

(करोड़ रुपये)

केन्द्रीय सहायता	1998-99	1999-2000	2000-01
(i) सामान्य केन्द्रीय सहायता	504.58	584.25	584.25
(ii) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता	379.23	554.88	419.93
(iii) बुनियादी न्यूनतम सेवाएं	140.01	153.05	288.39 +
(iv) गंदी बस्ती विकास	13.45	14.79	14.79
(v) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	85.52	37.17	29.17
(vi) जनजातीय उप योजना	27.76	29.22	–
(vii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	145.00	170.00	104.00
(viii) विशेष केन्द्रीय सहायता	104.10 *	104.76 **	20.00

* जल आपूर्ति विस्तारित करने और जल की गुणवत्ता को मुख्यत: पश्चिमी राजस्थान में सुधारना

** प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 करोड़ रु० और इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में बस्ती भूमि के बंदोबस्त हेतु इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 54.76 करोड़ रु०

+ पी०एम०जी०वाई० (ग्रामीण सड़कों को छोड़कर) के लिए 96.40 करोड़ रु० पी०एम०जी०वाई० के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 130 करोड़ रु० और सड़कों तथा पुलों के लिए 61.99 करोड़ रु०।

(ख) और (ग) 2000-01 के दौरान जारी केन्द्रीय राहत निधि के केन्द्रीय भाग के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त मंत्रालय से 26.5.2001 को प्राप्त हो चुका है।

(घ) और (ङ) 2000-01 के दौरान धौलपुर, जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर के जनसांख्यिकीय रूप से संवेदनशील जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं में अवसंरचना अंतरालों को सुदृढ़ करने के लिए 2 करोड़ रु० और गौसेवा आयोग के लिए एक करोड़ रु० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई थी।

[अनुवाद]

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

3734. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां-10.38% और अनुसूचित जनजातियां-3.21%) और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां-11.73% और अनुसूचित जनजातियां-2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो योजना मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (i) सामान्य (ii) अनुसूचित जातियों (iii) अनुसूचित जनजातियों और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 01.01.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के अंतर्गत श्रेणी-I (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 14.24% (अनुसूचित जातियां-10.80% एवं अनुसूचित जनजातियां-3.44%) था तथा श्रेणी-II (समूह ख) सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व 15.37% (अनुसूचित जाति-12.35% और अनुसूचित जनजाति-3.02%) था।

(ख) और (ग) योजना आयोग में (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित) समूह 'क' और समूह 'ख' स्तर पर कार्यरत अधिकारी विभिन्न सेवाओं जैसे आई०ए०एस०, आई०ई०एस०, आई०एस०एस०, सी०एस०एस० इत्यादि से संबंधित है। इन पदों पर प्रारंभिक नियुक्तियां/पदोन्नति, आदि उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रण विभागों द्वारा की जाती हैं तथा उनके द्वारा तैनाती किए जाने पर ही अधिकारी योजना आयोग/कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में कार्यग्रहण करते हैं।

योजना आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले पदों के संबंध में अर्थात् प्रारंभिक नियुक्ति/पदोन्नति जो योजना आयोग द्वारा की जाती है, उनके लिए दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी०ओ०पी०टी०) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया जा रहा है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनके लिए निर्धारित कोटे के अनुसार है।

[हिन्दी]

लोक सभा में अप्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व

3735. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में अप्रवासी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिए जाने संबंधी मामला विदेशी भारतीयों के समुदाय से संबंधित उच्चस्तरीय समिति के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन दे दिए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी भारतीयों के समुदाय से संबंधित उच्च स्तरीय समिति से एक मांग की गई है कि संसद में अप्रवासी भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति ने प्राप्त सभी मांगों और सुझावों का विस्तार से अध्ययन किया है।

(ग) डा० एल०एम० सिंघवी, संसद सदस्य (कबीना मंत्री की श्रेणी वाले) इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं : श्री आर०एल० भाटिया, संसद सदस्य और पूर्व विदेश राज्य मंत्री, श्री जे०आर० हीरेमेठ, भारतीय विदेश सेवा (सेवा निवृत्त) और श्री बालेश्वर अग्रवाल, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद। श्री जे०सी० शर्मा, सचिव विदेश मंत्रालय इस समिति के सदस्य सचिव हैं।

(घ) यह समिति इस माह के अंत तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर

3736. श्री रामशकल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-2002 में 45 आंतरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई०डी०बी०ओ०) और 2 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डाकघरों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा सरकार द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी देने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बजटीय सहायता

3737. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रालयों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय करें;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मंत्रालयों ने अपनी सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय किया है और यह धनराशि कितनी है; और

(ग) संसाधनों के व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आबंटनों का कम-से-कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की योजनाओं पर खर्च करें। कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को बजट में योजना प्रावधान की अवस्थिति/स्कीम विशिष्ट प्रकृति के कारण इस अपेक्षा से विशेष रूप से छूट दी गयी है।

(ख) बजट में, पूर्वोत्तर (और सिक्किम) के लिए 10% के प्रावधान को उन विभागों को छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से, छूट दी गयी है, सभी विभागों के अनुदान में अलग 'शीर्ष' के रूप में दिखाया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय बजट 2001-2002 दस्तावेज के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए अपने अनुदानों में आवश्यक प्रावधान किये हैं। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आगामी बजट में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित अनुमान 2001-2002 के साथ दर्शाया जाएगा।

(ग) पूर्वोत्तर और सिक्किम में विभिन्न परियोजनाओं को संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से वित्तीय वर्ष 1998-99 से इसकी प्रचालन की अवधि से सहायता दी जाती रही है। केन्द्रीय पूल से निधियां जारी किए जाने की वर्तमान स्थिति (दिनांक 16.10.2001 की स्थिति के अनुसार) संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से 1998-99, 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान राज्य-वार/परियोजनावार जारी की गई निधियां (दिनांक 16.10.2001 की स्थिति के अनुसार

अरुणाचल प्रदेश

क्र० सं०	परियोजना	जारी की गई निधियों (रुपये करोड़ में)			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2001
1	2	3	4	5	6
1.	रंगानदी पोरेषण लाईन	10.00	–	–	–
2.	कठालगुड़ी देवमाली पारेषण लाईन	–	–	3.00	–
3.	इटानगर नहरलागुन जल आपूर्ति परियोजना	5.00	1.00	4.59	–
4.	रोइंग एलान्ग पासीघाट पर जल आपूर्ति स्कीम	–	–	1.50	2.00
5.	तेजू पर जल आपूर्ति सुविधाओं की विशेष बहाली	–	–	1.00	–
6.	बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी कार्य (6)	–	7.65	–	3.65
7.	बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (8)	–	–	10.00	6.35
8.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	–	10.00	–	10.00
9.	बहुद्देशीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण इटानगर	–	–	–	–
10.	स्कूल टीचर्स के क्वार्टरों और होस्टलों के 532 अधूरे भवनों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता।	–	–	–	–
11.	1557 प्राथमिक और मिडिल तथा 110 होस्टलों के लिए फर्नीचर	–	–	–	1.63
12.	गांवों में प्राथमिक पूर्व कक्षाएं चला रहे 275 सामुदायिक स्कूलों का आधारिक संरचना विकास।	–	–	2.91	–
13.	110 प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए हॉस्टल भवन	–	–	11.00	–
14.	एलान्ग ए०पी० में रामकृष्ण मिशन स्कूल	–	–	1.28	–
15.	पैदल पथ और निलंबन पुलों का रख-रखाव	–	1.00	–	–
16.	अतिरिक्त उपकरणों सहित हैवीडयूटी ट्रांसपोर्ट हैलीकाप्टर	–	–	–	–
17.	इको टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म	–	–	–	–
18.	रामकृष्ण मिशन अस्पताल, इटानगर	–	–	0.50	–
19.	उप पारेषण एवं वितरण (उस्कीमें)	–	–	3.70	–
20.	60 जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण	–	–	4.48	–
21.	रामकृष्ण मिशन आवासीय स्कूल, तिरपा जिला	–	–	–	12.20
22.	रामकृष्ण सारदा मिशन बालिका विद्यालय, रंगसा	–	–	–	3.00
	कुल	15.00	19.65	43.96	38.83

1	2	3	4	5	6
		असम			
1.	श्रीमन्त शंकर देव कलाक्षेत्र परियोजना	4.85	—	—	—
2.	दिगुनचेरा से एयरपोर्ट रोड	0.25	—	—	—
3.	220 के०वी०/डी०सी० कथालगुन तिनसुकिया लाइन	2.00	—	1.40	—
4.	नामरूप सबस्टेशन 2x50 एम०वी०ए० 220/132 के०वी०	2.50	—	—	—
5.	तीनसुकिया सबस्टेशन 2x50	3.00	—	7.00	—
6.	लघु सिंचाई स्कीम	11.21	5.00	—	
7.	ब्रह्मपुत्र और बशक घाटी के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण स्कीम (25)	5.00	5.00		10.00
8.	गुवाहाटी मेडीकल कालेज का उन्नयन	—	8.00	—	—
9.	वानिकी क्षेत्रक में आधारिक संरचना अंतराल भरना	—	10.00	—	—
10.	एनसीहिल पहाड़ी स्वायत्तशासी परिषद् हाफलोंग के लिए सड़क स्कीमें	—	5.00	—	—
11.	एक लाख उथले नलकूप स्थापित करना	—	10.00	45.00	—
12.	काटेन कालेज के लिए नई आधारिक संरचना	—	3.00	—	—
13.	शंकर देव नेत्रालय	—	—	1.00	—
14.	आई०आई०टी० गुवाहाटी	—	34.00	—	—
15.	तेजपुर विश्वविद्यालय	—	10.00	—	—
16.	असम विश्वविद्यालय	—	10.00	—	—
17.	असम विश्वविद्यालय का दीफू कैम्पस	—	3.00	—	—
18.	जारीघाट से लखुछेरा तक सड़क	—	0.92	—	—
19.	हटटीछेरा दुडपाटिल मुदरेनामुख से सड़क	—	0.43	—	—
20.	प्लास्मा फिजिक्स केन्द्र, गुवाहाटी	—	1.51	—	0.93
21.	गुवाहाटी में 1250 की क्षमता वाला आडिटोरियम	—	—	—	5.00
22.	असम के 20 जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण	—	—	0.68	—
23.	विद्युत उप-पारेषण एवं वितरण स्कीमें	—	—	10.00	—
24.	पेयजल आपूर्ति स्कीम गोसीगांव	—	—	1.00	—
25.	स्पोर्टस काम्पलेक्स/स्टेडियम कोकराझार बी०ए०सी०	—	—	1.50	—
26.	उदलगुरी में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	—	—	0.85	—
27.	बी०आर०ओ० की सड़कों का अतीत सर्वेक्षण	—	—	0.03	—
28.	बोगाईगांव में लघु स्टेडियम	—	—	0 10	—
29.	बी०ए०सी० में 15 उच्चतर माध्यमिक स्कूल	—	—	0.75	—
	कुल	28.81	105.86	69.31	15.93

1	2	3	4	5	6
	मणिपुर				
1.	राष्ट्रीय खेलों के लिए आधारिक संरचना सुविधा	10.00	–	–	–
2.	लेमाखेंग भारी-ईंधन परियोजना	10.34	86.00	16.00	–
3.	इम्फाल शहर के संबंध में जल आपूर्ति संवर्धन चरण-I (29.5 एम०एल०डी०)	–	5.00	–	5.00
4.	मोरेह नगर में 2x5 एम०वी०ए० 33 के०वी० सबस्टेशन स्थापित करना।	–	1.00	–	–
5.	सेनापति फालीबंग रोड (59 कि०मी०)	–	5.00	–	–
6.	205 बिना भवनों वाले स्कूलों के लिए 2 कक्षा कमरे वाले स्कूल का निर्माण।	–	0.80	–	–
7.	172 राज्य सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 कक्षा कमरों का विस्तार	–	4.30	–	–
8.	राज्य सरकारी माध्यमिक उन्नयित उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 कक्षा कमरों का विस्तार।	–	1.07	–	–
9.	विश्वविद्यालय और 60 सम्बद्ध कालेज	–	2.50	–	–
10.	न्यूनतम बुनियादी सुवाएं	–	16.00	–	–
11.	उपपारेषण और वितरण स्कीमें	–	–	2.21	–
12.	जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण	–	–	5.64	–
	कुल	20.34	121.67	23.85	5.00
	मेघालय				
1.	वृहद शिलांग जल आपूर्ति स्कीम, शिलांग	3.79	3.00	6.50	–
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग-51 को चौड़ा करना और मजबूत बनाना	5.00*	–	–	–
3.	क्यू शिलांग टाउनशिप परियोजना, मेवडिंग डियांग	–	–	–	–
4.	बाली जेक, तूरा में एयरपोर्ट का निर्माण	–	–	3.18	–
5.	प्राथमिक स्कूल भवन	–	–	7.20	–
6.	उच्च प्राथमिक स्कूल भवन	–	–	4.00	–
7.	चेरापूंजी में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल भवन, टीचरों के क्वार्टर और विद्यार्थी गृहों के निर्माण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०)	–	–	1.00	–
8.	सड़क और पुल परियोजना	–	–	–	–
9.	उपपारेषण और वितरण स्कीमें।	–	–	10.00	–
10.	जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण	–	–	0.75	–
11.	स्मित-मैकिनरो-मावलत-लैतीलंगोट रोड का सुदृढ़ीकरण	–	–	–	2.46

1	2	3	4	5	6
12.	बाघमारा-महेशखोला रोड का सुदृढ़ीकरण	—	—	—	0.93
13.	मौनगैप-मौरंग रोड का विस्तारीकरण	—	—	—	2.26
14.	मौशीनरूत-नोंगदाजू-नौगचराम रोड का सुदृढ़ीकरण	—	—	—	3.66
	कुल	8.79	3.00	32.63	9.31
	मिजोरम				
1.	एइजाल जल आपूर्ति स्कीम (चरण-II)	4.00	20.00	—	10.00
2.	राज्य रैफरल अस्पताल, एइजाल	5.00	10.00	—	10.00
3.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	—	7.74	—	—
4.	फीड एण्ड फीडर का परियोजना और विकास मोडाफेर	—	1.00	—	1.36
5.	एकीकृत सूअरबाड़ा विकास परियोजना	—	1.00	—	2.00
6.	जावीनुअम जाबाक लेंगपुई, फुरा में मत्स्य बीज (फिश सीड) फार्म स्थापित करना।	—	2.00	—	2.00
7.	विपणन सुविधाएं और मिजोरम के टंग बीजों और तेलों का देश और विदेश में विपणन।	—	0.50	—	—
8.	बांस संसाधन उद्योग	—	—	1.00	—
9.	वृहत चम्फाई जल आपूर्ति स्कीम	—	5.00	—	2.00
10.	जेनाबाक, रामहिम, चांदमरी, बंगकान, तखनिंग, वेलवकावा, चम्फाई, एइजाल और लुंगलेई में बाजार भवनों का निर्माण।	—	—	5.00	—
11.	स्कूल भवन का निर्माण व नवीनीकरण	—	—	10.72	10.00
12.	लाई स्वायत्तशासी जिला परिषद् के लिए बी०ए०डी०पी० निधियों का आवंटन	—	—	—	—
13.	बी०एम०एस० के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	—	14.91	—	—
14.	उपपारेषण और वितरण (एक स्कीम)	—	—	10.00	—
15.	3 जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण	—	—	0.34	—
16.	माध्यमिक स्कूल	—	—	—	6.24
17.	लाल स्वायत्तशासी जिला परिषद में बी०ए०डी०पी० कार्य	—	—	—	0.50
	कुल	9.00	62.15	27.06	44.10
	नागालैण्ड				
1.	लिकमिरो-एन०ई०पी०	11.01	9.00	—	5.00
2.	कोहिमा में नागा अस्पताल का उन्नयन।	8.00	4.00	—	6.00
3.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	—	4.03	—	—
4.	स्कूल भवनों का निर्माण	—	16.12	—	8.07

1	2	3	4	5	6
5.	विज्ञान शिक्षा का सुधार	—	1.12	—	1.12
6.	स्कूलों में कम्प्यूटरीकरण कम्प्यूटर की शिक्षा	—	0.81	—	0.81
7.	दीमापुर में रेल ऊपरी पुल	—	3.50	—	—
8.	चटोगया लोंगलेंग रोड़	—	3.00	—	1.00
9.	दीमापुर नियालैंड रोड़ का सुधार	—	1.50	—	1.00
10.	चुमुकेडिया में दीमापुर जिला मुख्यालय तक सड़क का निर्माण	—	1.00	—	1.00
11.	मोन जिले में सड़कों का निर्माण	—	—	—	—
12.	दीमापुर में जल आपूर्ति की वृद्धि	—	—	8.43	2.00
13.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1.00	—	—	—
14.	टयून सैंड जिले में मोकोग चुंग-चार रोड़	—	—	0.50	—
15.	उपपारेषण और वितरण (एक स्कीम)	—	—	6.63	—
16.	जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण	—	—	0.35	—
17.	मोन और टयूनसैंग जिलों में सड़कों का निर्माण	—	—	—	0.25
18.	मॉन जिला में टैंग जंकशन चेनमोहो रोड	—	—	—	1.50
19.	त्वेनसांग जिला में किफिरा-पुंगरो रोड	—	—	—	1.00
20.	सोती लघु सिंचाई	—	—	—	1.06
	कुल	20.01	44.08	15.91	29.81
	सिक्किम				
1.	ग्रामीण जल आपूर्ति	10.00	3.50	—	—
2.	लोअर लग्यप हाइडिल परियोजना के 2x6 एम०डब्ल्यू० हाइडिल जैनरेटिंग स्टेशन की मुख्य ओवरहालिंग	—	3.00		5.01
3.	बाढ़ नियंत्रण भूतल जलनिकास कटावरोधी कार्य	—	2.50	2.50	—
4.	भूस्खलन रोधी और कटावरोधी	—	10.00	—	7.50
5.	स्टैण्डर्ड डब्ल्यु०बी०एम० रोड़ की कारपेंटिंग (9)	—	5.21	—	—
6.	नई सड़कों का निर्माण (28)	—	4.80	—	—
7.	देवराली से ताशिलिंग तक रोपवे	—	0.50	5.57	—
8.	स्कूल भवन का निर्माण	—	—	11.71	—
9.	सम्बद्ध कालेजों के लिए	—	—	2.50	—
10.	कम्प्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी पौलिटैक्निक केन्द्र	—	2.50	—	—
11.	पलजोर स्टेडियम का उन्नयन	—	—	—	1.50

1	2	3	4	5	6
12.	उपपारेषण और वितरण (2 स्कीमें)	—	—	1.50	—
13.	जोरा/नदी प्रशिक्षण कार्य, लैचुंग	—	—	—	3.00
	कुल	10.00	32.01	23.78	17.01
	त्रिपुरा				
1.	पारेषण स्कीमें (12 संख्या)	10.00	5.00	6.85	8.15
2.	न्यू कैपिटल कम्पलैक्स परियोजना	—	10.00	—	—
3.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय का विकास	—	2.50	—	3.30
4.	रोखिया चरण-II में 1x21 मेगावाट गैस थर्मल परियोजना (विस्तारित)	—	5.00	35.00	—
5.	100 उच्च प्राथमिक स्कूलों की आधारिक संरचना का उन्नयन	—	—	—	1.85
6.	फर्नीचर के प्रावधान सहित 175 प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण	—	—	—	7.25
7.	रामकृष्ण मिशन विद्यालय अगरतला (चरण-I) की आधारिक संचरना का उन्नयन	—	—	1.77	—
8.	लघु सिंचाई कार्य	—	—	4.78	—
9.	जनजातीय क्षेत्रों में 49 टिम्बर पुलों को बैली टाइप लोहे के पुलों को बैली टाइप लोहे के पुलों में बदलना	—	—	5.00	—
10.	जनजातीय विकास परियोजना	—	—	5.00	—
11.	उपपारेषण और वितरण स्कीम	—	—	7.96	—
12.	जनजातीय गावों का विद्युतीकरण	—	—	0.72	—
13.	हल्लाहली—अम्बासा—दंगबारी—अमरपुर—बेफा—बेलोनिया रोड (173 कि०मी०) का सुधार और उन्नयन	—	—	—	8.00
	कुल	10.00	22.50	67.08	28.55
	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए सामान्य				
1.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	—	8.00	—	—
2.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल	—	1.00	—	—
3.	पूर्वोत्तर के लिए ई०डी०एम० का सृजन	—	—	5.00	—
4.	आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए साफ्टवेयर विकास	—	—	4.46	—
	कुल	—	9.00	9.46	—

सेवाओं में अ०ज०/अ०ज०जा० के व्यक्ति

3738. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक सेवा में अ०जा०/अ०ज०जा० और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित क्रमशः 15 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय डाक सेवा में कुल स्वीकृत पद कितने हैं (भारतीय डाक सेवा के उन पदों सहित जिन्हें इस विभाग ने कतिपय पेडों में अधिकारियों को उनकी पदोन्नति पर दी है;

(घ) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 मे अंतर्विष्ट अनुदेशों के पता लगाई स्थिति के अनुसार इन पदों की तुलना में (i) अ०जा० (ii) अ०ज०जा० (iii) अन्य पिछड़े वर्गों (iv) सामान्य वर्ग के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार ऐसे कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना-कितना है; और

(ङ) वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001 के दौरान कितनी नई रिक्तियां सृजित हुई और अ०जा०, अ०ज०जा०, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा वर्षवार ऐसी कितनी रिक्तियां/पद भरे गए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारतीय डाक सेवा के केवल कनिष्ठ समयमान ग्रेड के रिक्तपद ही पदोन्नति तथा बाह्य भर्ती द्वारा भरे जाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू होता है। जहां तक, पदोन्नति वाले पदों का संबंध है, आरक्षण का निर्धारित स्तर प्राप्त कर लिया गया है। जहां तक, बाह्य भर्ती के पदों का संबंध है केवल अनुसूचित जाति के एक तथा अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी की कमी है।

(ख) यह कमी अनपेक्षित कारणों की वजह से है तथा परवर्ती वार्षिक भर्ती द्वारा यथोचित व्यवस्था की गई है।

(ग) भारतीय डाक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या (इसमें भारतीय डाक सेवा के वे पद शामिल हैं जो इस विभाग द्वारा निश्चित ग्रेडों में पदोन्नित पर अधिकारियों को प्रदान किए जाते हैं) 468 है (रिजर्व को छोड़कर)। कनिष्ठ समयमान ग्रेड में, जिसमें आरक्षण लागू होता है, स्वीकृत पदों की संख्या केवल 67 है।

(घ) 2 जुलाई 1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय डाक सेवा के कनिष्ठ समयमान ग्रेड के ऐसे पदों पर कार्य कर रहे (i) अनुसूचित जाति, (ii) अनुसूचित जनजाति, (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग तथा (iv) सामान्य श्रेणियों वः अधिकारियों की संख्या तथा ऐसे पदों पर उनका प्रतिशत निम्नानुसार है :

अधिकारियों की श्रेणी	2.7.97 के अनुसार अधिकारियों की संख्या	कुल का प्रतिशत
अनुसूचित जाति	2	33.33 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	4	6.35 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—
सामान्य	38	60.31 प्रतिशत

(ङ) वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान हुए सीधी भर्ती के रिक्तपदों की संख्या तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा भरी गई ऐसी रिक्तियों/पदों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	सूचित कुल रिक्त पद	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अन्य श्रेणियां	
		सूचित	भरी गई	सूचित	भरी गई	सूचित	भरी गई	सूचित	भरी गई
1997	16	03	03	01	01	04	04	08	08
1998	12	02	02	02	02	02	02	06	06
1999	16	02	02	01	01	05	05	08	08
2000	17	02	02	02	02	04	04	09	09
2001	17	02	02	02	02	04	04	09	09

बर्न ऑपरेशन थियेटर

3739. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न/प्लास्टिक सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थियेटर ऑपरेशन करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऑपरेशन थियेटर की ऐसी स्थिति कब से है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऑपरेशन थियेटर का निरीक्षण अन्य अस्पतालों के सक्षम चिकित्सकों से कराने का है ताकि ऑपरेशन थियेटर इसके उपकरण और ऑपरेशन के लिए आवश्यक उप साधनों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल

और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का संबंध है, बर्न प्लास्टिक सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटर सुसज्जित हैं और ये जले हुए (बर्न) रोगियों के अपेक्षित ऑपरेशन करने हेतु उपयुक्त दशा में हैं। जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है, यह सुसज्जित है और इसके आपात विभाग में और अंतरंग वार्ड में किसी भी जले (बर्न) रोगी का उपचार करने में सारी सुविज्ञता उपलब्ध है। तथापि, इस अस्पताल के पास प्लास्टिक सर्जरी का अलग से कोई बर्न यूनिट/विभाग नहीं है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अंतरिक्ष कार्पोरेशन की वाणिज्यिक परियोजनाएं

3740. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष कार्पोरेशन ने 'इसरो' की ओर से कई वाणिज्यिक परियोजनाओं को बातचीत द्वारा तय किया है;

(ख) यदि हां, हासिल की गई परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना है और इनके कार्यान्वयन की समय सारणी क्या है;

(ग) अंतरिक्ष कार्पोरेशन द्वारा रेथियन स्पेस इनकार्पोरेटेड के साथ किए गए विपणन समझौते का ब्यौरा क्या है और राजस्व बंटवारे की शर्तें क्या हैं; और

(घ) कार्यान्वित/लम्बित परियोजनाओं के संबंध में राजस्व बंटवारे का उचित समाधान यदि कोई हो, किस प्रकार निकाला गया है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं का अभी तक का कुल मूल्य 8170 लाख रुपये (अनुमानित) है। इनके क्रियान्वयन की समय-अनुसूची 6-24 माह के बीच भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) अंतरिक्ष कार्पोरेशन रेथियन स्पेस इन्कार्पोरेटेड के साथ कोई समझौता नहीं किया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अपरिष्कृत तेल के टैंकर

3741. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपरिष्कृत तेल के बड़े टैंकर खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में भारतीय नौवहन निगम के पास अपरिष्कृत तेल के कितने टैंकर हैं और उनकी क्षमता कितनी है; और

(घ) भारतीय नौवहन निगम ने अंतिम बार अपरिष्कृत तेल के टैंकरों की खरीदारी कब की थी ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) सरकार का बड़े क्रूड ऑयल टैंकर खरीदने का विचार नहीं है, तथापि, दो बड़े आकार के क्रूड ऑयल टैंकर जिनमें प्रत्येक की क्षमता 140000 डी०डब्ल्यू०टी० है, खरीदने के लिए सरकार ने 27.11.2001 को भारतीय नौवहन निगम का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

(ग) इस समय भारतीय नौवहन निगम के पास 22.93 लाख सकल टन भार के 27 क्रूड ऑयल टैंकरों का बेड़ा है जिसमें 11 लार्ज रेंज-I साइज, 10 लार्ज रेंज-II साइज, 2 मिडियम रेंज साइज और 4 स्यूज मैक्स टैंकर शामिल हैं।

(घ) भारतीय नौवहन निगम ने 4 अफरामैक्स क्रूड ऑयल टैंकरों जिनमें प्रत्येक की क्षमता 10,000 डी०डब्ल्यू०टी० है, के निर्माण के लिए जून, 2000 में आर्डर दिए हैं और भा०नौ०नि० के बेड़े में पिछली बार 12 मई, 1999 को एक क्रूड आयल टैंकर शामिल किया गया था।

एड्स समस्या

3742. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने ''एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में'' एड्स'' विषय पर आयोजित 16वीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस (मेलबोर्न) में एड्स की बढ़ती समस्या के प्रति चिन्ता व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा की कार्यसूची सहित विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सुझाये गये एहतियाती उपाय क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन का विषय ''बाधाओं को दूर करना'' (ब्रेकिंग थ्रु बेरियर्स) था, उन ''बाधाओं को जो प्रभावी समुदायिक कार्रवाई का निषेध करती हैं, जो प्रभावी परिचर्या, सहायता और रोकथाम को रोकती हैं तथा जो पर्याप्त संसाधनों की सुलभता को रोकती है।''

इस सम्मेलन के उपचार, परिचर्या और रोकथाम पर अनेक विषय सत्र थे जिनमें सामाजिक – आर्थिक निर्धारकों, लिंग और यौन क्रिया

(सैक्स) तथा असुरक्षित समूहों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया था। विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों और प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों के लिए कौशल पैदा करने वाली कार्यशालाएँ आयोजित की गई थी। विभिन्न सत्रों के साथ एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसमें अनेक संगठनों ने भाग लिया।

छठे आई०सी०ए०ए०पी० में यू०एन० एड्स, डी०एफ०आई० डी० और यू०एस०एड० द्वारा प्रायोजित सहभागी थे, जिसमें राज्य सरकारों स्वास्थ्य मंत्री, संसद सदस्य, स्वास्थ्य सचिव और नाको, और एस०ए०सी०एस० के प्रबन्धक, गैर-सरकारी संगठन और चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल थे। नाकों ने इस प्रदर्शनी में एक स्टाल भी लगाया था।

(ग) सम्मेलन द्वारा किसी विशिष्ट सावधानी उपाय का सुझाव नहीं दिया गया था। तथापि, एक युवामंच घोषणा की गई थी जो प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर पर्याप्त और सुलभ सूचना, सेवाओं और सहायता के लिए युवा लोगों के अधिकारों का समर्थ करती हैं।

युद्ध बंदी

3743. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक जागरण के 2 अक्तूबर, 2001 के अंक के अनुसार युद्ध बंदी पाकिस्तान में सिन्ध के किलों में रखे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की कैद में 54 भारतीय युद्धबंदी है। हलांकि सरकार उनकी रिहाई और प्रत्यावर्तन के मामलों को निरंतर उठाती रही है, पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी अपनी कैद में किसी भी युद्धबंदी के होने की बात स्वीकार नहीं की है।

पंचायत संचार सेवा योजना

3744. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत संचार सेवा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना में उड़ीसा के कितने गांवों को शामिल किया गया है; और

(घ) इस योजना में कितने गांवों को अभी भी शामिल किया जाना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत संचार सेवा योजना अपेक्षित परिणाम दिखा रही है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में 179 गांवों को इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 35 के निर्धारित लक्ष्य में से 15 पंचायत संचार सेवा केन्द्र पहले ही खोले जा चुके हैं।

नेपाल में माओवादियों द्वारा हिंसा

3745. **श्री जी० पुट्टा स्वामी गौड़ा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में माओवादी हिंसा फूट पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अनेक भारतीयों पर हमला किया गया है और हिंसा में उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) माओवादियों द्वारा स्वयं को बातचीत से हटा लेने के फलस्वरूप और 23 नवम्बर से नेपाल में उनके द्वारा शुरू की गई बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद नेपाल की सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें 26 नवम्बर को पूरे राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा और आतंकवाद तथा विघटनकारी कार्रवाईयों के नियंत्रण और सजा से सम्बद्ध अध्यादेश जारी किया जाना शामिल है ताकि देश में शांति और व्यवस्था बहाल की जा सके। नेपाल की शाही सेना सहित सुरक्षा कर्मियों ने माओवादियों के विरुद्ध कार्रवाईयां आरंभ कर दी हैं।

नेपाल में व्यावसायिक समुदाय, जिनमें भारतीय मूल के लोग शामिल हैं, के सदस्यों के अपहरण, उन्हें लूटने और डराने धमकाने की कार्रवाई, जो कि नेपाल में माओवादियों द्वारा हाल विगत में की जा रही थी, पुनः शुरू कर दी गई हैं। तथापि किसी विशेष ग्रुप अथवा समुदाय, जिनमें भारतीय शामिल हैं, को लक्ष्य बनाए जाने की कोई घटना हमारे ध्यान में नहीं आई है।

दोनों देशों की सरकारें इस संबंध में एक दूसरे के संपर्क में है और भारत सरकार ने देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नेपाल की सरकार को उसके द्वारा उठाए गए कदमों के लिए अपना समर्थन भी दिया है।

नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद

3746. **श्री अमर राव प्रधान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और मंत्रालय के अंतर्गत विभागों में नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने पद आरक्षित किए गए;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने रिक्त पद पड़े हुए हैं;

(ग) ऐसे पदों पर वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) इन पदों के कब तब भरे जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति

3747. डॉ० मन्दा जगन्नाथ : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत 1, जनवरी 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह-क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% (अनुसूचित जातियां-08.41% और अनुसूचित जनजातियां-2.2% था और द्वितीय श्रेणी (समूह-ख) सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% (अनुसूचित जातियां-09.68% और अनुसूचित जनजातियां-3.52%) था जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है;

(ख) यदि हां, तो इस सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत (1) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों (2) सांविधिक संगठनों/निगमों (3) स्वायत्त संगठनों सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत (एक) प्रथम श्रेणी (समूह-क) और (दो) द्वितीय श्रेणी (समूह-ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद है; और

(ग) डी०ओ०पी०टी०के० दिनांक 2 जुलाई 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2196-स्था० (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर (एक) सामान्य (दो) अनुसूचित जातियों (तीन) अनुसूचित जनजातियों और (चार) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम०आई०टी०) से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

एन०आई०सी०डी० का अन्य संगठन के साथ विलय

3748. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान एन०आई० सी०डी० की कुछ गतिविधियों को अन्य संगठन को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन०आई०सी०डी० अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम प्रतीत नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एन०आई०सी०डी० का विलय अन्य संगठ के साथ कर देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन-निदेशिकाएं

3749. श्री विनय कुमार सोराके : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्राधिकरण प्रतिवर्ष टेलफोन-निदेशिकाओं का प्रकाशन कर उन्हें उपभोक्ताओं को नि:शुल्क उपलब्ध कराते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दो तिहाई से अधिक महानगरीय दूरभाष जिलों और सर्किलों द्वारा वार्षिक रूप से अपने क्षेत्र की निदेशिका का प्रकाशन नहीं किया जाता;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन निदेशिकाओं का प्रकाशन न किए जाने की वजह से न केवल उपभोक्ताओं को असुविधा होती है, अपितु रायल्टी की हानि के रूप में राज्यव-अर्जन की संभावना भी नहीं रहती;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(छ) क्या (1998-99 के दौरान) 16 दूरभाष-जिलों में निदेशक मुद्रकों के द्वारा लगभग 2.23 करोड़ रु० से अधिक की रायल्टी-राशि

का भुगतान नहीं किया गया है और क्या संबंधित सर्किलों ने इस राशि की वसूली कर ली है; और

(ज) यदि हां, तो क्या इस राशि की वसूली कर ली गई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

3750. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय में श्रेणीवार/पदवार कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया;

(ख) ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ प्रदान किये गये;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं;

(घ) क्या ऐसी सेवानिवृत्ति से उनके मंत्रालय के सुचारू कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो कहां तक; और

(च) ऐसी सभी रिक्तियों को भरने के लिए सरकार किस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) इन कर्मियों को दिए गए लाभों में शामिल है (i) पेंशन; (ii) उपदान; (iii) अधिकतम 300 दिवसों तक के लिए नकद भुगतान; और (iv) 10 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन के अधिकतम 40 प्रतिशत तक पेंशन का परिवर्तन।

(ग) 09 (नौ)

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस प्रकार की सभी रिक्तियों को संबद्ध भर्ती नियमों और प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।

विवरण

संबंधित कार्मिक अनुभाग	वर्गवार/पदवार	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
पी०ए०-I	(i) सचिव	शून्य	1	शून्य	1
	(ii) संयुक्त सचिव	शून्य	शून्य	शून्य	
पी०ए०-II	(i) उप सचिव	शून्य	1	1	2
	(ii) अवर सचिव	1	शून्य	शून्य	1
पी०बी० अनुभाग	(i) अनुभाग अधिकारी	शून्य	शून्य	3	3
	(ii) निजी सचिव	1	1	2	4
	(iii) निजी सहायक	शून्य	2	शून्य	2
पी०सी० अनुभाग	सहायक	3	1	शून्य	4
पी०डी० अनुभाग	उच्च श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक	शून्य	शून्य	शून्य	
पी०ई० अनुभाग	चपरासी	शून्य	शून्य	1	1
पी०एफ० अनुभाग	(i) तकनीकी सहायक	1	शून्य	शून्य	1
	(ii) लश्कर (श्रेणी घ कर्मी)	शून्य	1	शून्य	1
पीजी अनुभाग	लिपिक	शून्य	शून्य	1	1
सकल कुल		6	7	8	21

दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण

3751. **श्री बहादुर सिंह :**
डॉ प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) नागरिकों को वहनीय और प्रभावी संचार सुविधा उपलब्ध कराना नई दूरसंचार नीति-1999 (एन०टी०पी०-99) का प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य है। एन०टी०पी०-99 में सभी प्रचालकों को समान अवसर प्रदान करते हुए, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दूरसंचार सेक्टर को समयबद्ध रूप से एक बेहतर प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल में बदलने की परिकल्पना भी की गई है। देश के भीतर सभी दूरसंचार सेवाएं अर्थात् बुनियादी, सेल्यूलर मोबाइल, रेडियो पेजिंग, इंटरनेट, वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल (वी०एस०ए०टी०), वॉयस मेल, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन०एल०डी०), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सेवा, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पी०एम०आर०टी०एस०) आदि निजी भागीदारी के लिए खोल दी गई है।

भारत-अमरीका संबंध

3752. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-अमरीका सहयोग के विस्तार का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में अभिरूचि के संभावित क्षेत्रों के बारे में सूचना का प्रारंभिक आदान-प्रदान हुआ है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उपग्रह संग्रहालय

3753. **श्री राजो सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय उपग्रह संग्रहालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य का इस उद्देश्य के लिए चयन कर लिया गया है और इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

3754. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के श्रेणीवार/पदवार कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है;

(ख) ऐसे अधिकारियों को क्या-क्या लाभ प्रदान किये गये;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार अधिकारियों से इस प्रकार की सेवानिवृत्ति के कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) क्या ऐसी सेवा-निवृत्तियों से मंत्रालय के सुचारू कार्यकरण को किसी-न-किसी तरह से प्रभावित किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी सीमा क्या है; और

(च) सरकार का विचार किस प्रकार से ऐसी रिक्तियों को भरने हेतु प्रबंध करने का है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[हिन्दी]

एड्स हेतु स्वैच्छिक संगठन

3755. **श्री चन्द्रकान्त खैरे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किए गए महाराष्ट्र के स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या है;

(ख) उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में एड्स के रोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने एड्स के रोगियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) एड्स से हुई मौतों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं

महाराष्ट्र

क्र०सं०	गैर सरकारी संगठनों के नाम	जिला	लक्षित समूह
1.	जॉन पॉल स्लम डिवलपमेंट प्रोजेक्ट	पुणे	ट्रक चालकों, क्लिनरों के लिए एड्स निदान
2.	रचना सोसायटी फार रिकनस्ट्रक्शन	पुणे	ट्रक चालकों, क्लिनरों के लिए एड्स निदान
3.	मानस व्यसन मुक्ति केन्द्र, अनुसाया शिक्षण प्रसारक मंडल, नासिक	नासिक	ट्रक चालकों, क्लिनरों के लिए एड्स निदान
4.	पिम्परी चिंचवाड़ महानगर पालिका, पुणे	पुणे	ट्रक चालकों, क्लिनरों के लिए एड्स निदान
5.	पिम्परी चिंचवाड़ महानगर पालिका, पुणे	पुणे	ट्रक चालकों, क्लिनरों के लिए एड्स निदान
6.	श्रीराम अहिरराव मेमोरियल ट्रस्ट	धुले-नासिक	ट्रक चालकों, क्लिनरों के लिए एड्स निदान
7.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, नागपुर	नागपुर	ट्रक चालकों के लिए नैदानिक परियोजना
8.	वी नीड यू, न्यू बाम्बे	न्यू बाम्बे	ट्रक चालकों के लिए निदान
9.	नगरी सेवा प्रबोधिनी	एपीएमसी मार्किट, वशी, न्यू मुम्बई	ट्रक चालकों के लिए निदान
10.	श्री चामुण्डादेवी टेक्नीकल एंड मेडिकल चेरिटीबल ट्रस्ट, जलगांव	जलगांव	ट्रक चालकों के लिए निदान
11.	कायाकल्प, पुणे	पुणे	सीएसडब्ल्यू के लिए एड्स नैदानिक कार्यक्रम
12.	अखिल बुद्धवार पेठ देवदसी संस्था	पुणे	सीएसडब्ल्यू के लिए एड्स नैदानिक कार्यक्रम
13.	मानाष्य, पुणे	पुणे	सीएसडब्ल्यू के लिए एड्स नैदानिक कार्यक्रम
14.	वंचित विकास	पुणे	सीएसडब्ल्यू के लिए एड्स नैदानिक कार्यक्रम
15.	सिविल अस्पताल, थाणे	थाणे	सीएसडब्ल्यू के लिए एड्स नैदानिक कार्यक्रम
16.	मुस्लिम समाज प्रबोधन विकास व सामाजिक कार्य संस्था, कोल्हापुर	कोल्हापुर	सीएसडब्ल्यू के लिए एड्स नैदानिक कार्यक्रम
17.	इंडियन रेडक्रास सोसायटी, नागपुर	नागपुर	सीएसडब्ल्यू के लिए एड्स नैदानिक कार्यक्रम
18.	हमसफर ट्रस्ट मुम्बई	पांच स्थानों अर्थात पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, सांगली और थाने	एमएसएस सहित निदान
19.	स्पोर्ट	थाने	बालिकाओं के लिए आपाती केंद्र
20.	जॉन-पॉल स्लम डिवलपमेंट प्रोजेक्ट	पुणे	ट्रक चालक
21.	रचना सोसायटी फार जॉनल रिकन्सट्रक्शन	पुणे	ट्रक चालक
22.	मानस व्यसन मुक्ति केन्द्र, अनुसाया प्रशिक्षण प्रसारक, मंडल	नासिक	ट्रक चालक
23.	श्रीराम अहोरराव मेमोरियल ट्रस्ट	धुले नासिक	ट्रक चालक

मुम्बई

क्र०सं०	गैर सरकारी संगठनों के नाम	जिला	लक्षित समूह
1	2	3	4
1.	दि हमसफर ट्रस्ट ओल्ड बीएमसी बिल्डिंग, द्वितीय तल, नेहरू रोड़ वाकोला, सांताक्रूज (ई), मुम्बई-55	अंधेरी, बांद्रा, कुरिया, कोलाबा और गेटवे आफ इंडिया मतुंगा गार्डन	एमएसएम गे
2.	पोजिटिव लोगों के लिए महाराष्ट्र नेटवर्क, (एमएनपी+): तृतीय तल, बीएमसी आई अस्पताल, डोनटंकी, मौलाना सौकत अलीक रोड़, मुम्बई-8	मुम्बई	पीएलडब्ल्यूएचए
3.	स्वयं सिद्ध संगठन (एसएसएम):1-ए, निर्मला निवास, विट्ठल चवन मार्ग, पारेल, मुम्बई-12	पारेल, मुम्बई	पीएलडब्ल्यूएचए
4.	अपनालय: जयफल वाडी, न्यू आर्म्ड पोलिस कालोनी, बिल्डिंग नं० 7, तारदेओ, मुम्बई-36	शिवा	पीएलडब्ल्यूएचए
5.	कम्मीटिड कम्यूनिटी डिवलपमेंट ट्रस्ट (सीसीडीटी): 8, पाली, चिमयाई म्यूनिसिपल स्कूल, भूतल, सेंट जोम्फ रोड़, चिमबाई, बांद्रा, मुम्बई-50	मुम्बई	पीएलडब्ल्यूएचए
6.	प्रफुल्ला-सेंट डोमोनिक सेवीओ स्केल कैम्पस, महाकाली केवस रोड़, शेर-ए-पंजाब, अंधेरी(ई), मुम्बई-93	अंधेरी(ई) बोरीवाली (डब्ल्यू)	सीएसडब्ल्यूज (यायावर जन-समुदाय)
7.	एड्स एमटीडी एंड हैल्थ एक्शन (एएसएचए): लोक स्वास्थ्य विभाग, मुम्बई नगरपालिका परिषद्, द्वितीय तल बीएमसी आई अस्पताल, दोनटकी मौलाना सौकत अलीक रोड़, मुम्बई-400001	कामाथीपुर एवं केटवाडी	सीएसडब्ल्यूज
8.	तारा मेमोरियल संस्थान:बादीपुर गांव, शांति लाल जनरल अस्पताल ताज अम्भेमठ, जिला थाने	घाटकोपार (पश्चिम) रैड लाइट एरिया	सीएसडब्ल्यूज
9.	शेप अप इंडिया:5 हर्ष अपार्टमेंट सेंटर कम्प्लेक्स खोपाल, थाने (पश्चिम)	सोनापुर भांडअप	सीएसडब्ल्यूज
10.	दि फैमिली प्लानिंग एंड मेडिकल एड्स ट्रस्ट: इंडियन मेरकंलाइट मनसेन, तीसरी मंजिल, ऑपाजिट सी०जे० हाल एंड रीगल सिनेमा, मेडम कामा रोड़, फोर्ट, मुम्बई-400001	पश्चिम मुम्बई	सीएसडब्ल्यूज
11.	पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (पीएसआई):149/151, कसोनदास नाथ ट्रस्ट बिल्डिंग, राजा राम मोहन राय रोड़, मुम्बई-4	गिरिगांव खेतवाड़ी	नपुंसक (यूनक)
12.	डीएआई वेल्फेयर सोसायटी, कमरा सं० 1, शांतबा चावल, अपर कस्टम रोड़, ट्राम्बे, मुम्बई-88	ट्राम्बे, ग्रेटर मुम्बई	ट्रक्र्ज
13.	राप्ट स्वास्थ्य प्रबोधिनी: 255/15, संकल्प, सैक्टर-2, परोभधंकर, ठाकरे नगर, चारकोप, कानडीवाली (पश्चिम), मुम्बई	दहीस्कर चैक नाका	ट्रक्र्ज
14.	विजय करिदया मंडल (सिग्नल प्रोजेक्ट): साई हिल, टी०पी० रोड़, भांडुप (पश्चिम), मुम्बई-400078	एलबीएस मार्ग चैक नाका, मुलुण्ड	ट्रक्र्ज

1	2	3	4
15.	पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (पीएसआई): 149/151, करसनदास नाथा ट्रस्ट बिल्डिंग, राजा राम मोहन राय रोड़, मुम्बई	वाडला तथा डाकयार्ड तक संपूर्ण कॉटन ग्रीन	ट्रक्स
16.	नेरी सेवा प्रबोधिनी: मार्फत महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी कन्फेडरेशन, एम-6, मंत्रालय, मुम्बई-600032	ईस्टर्न हाईवे, मुलुण्ड चैक नाका	ट्रक्स
17.	जागृति केन्द्र (विस्तार) सेंटर, मार्फत सैंट जुडेज चर्च, जेरीमेरी, मोहिल्ल गांव, एम०वी० रोड़, मुम्बई-400072	जेरीमेरी, कुरिया	प्रवासी श्रमिक
18.	नगरी सेवा प्रबोधिनी: मार्फत महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी कन्फेडरेशन, एम-6, मंत्रालय, मुम्बई-600032	मुम्बई	प्रवासी श्रमिक
19.	सोसायटी अंडरटेकिंग पुअर पीपलस आनअस फार रिहेबलीटेशन (एसयूपीपीओआरटी)	सीएसटी, ग्रांट रोड़, लोवर परेल तक दादर, महिम, मतुंग	आवारा बच्चे
20.	शेल्टर डान बास्को: सेंट जोसफ हाई स्कूल, वडाला (पश्चिम), मुम्बई-400031	प० मुम्बई, दादर, बांद्रा महीम, अंधेरी	आवारा बच्चे
21.	तारा मेमोरियल संस्थान, बादलपुर गांव, शांति लाल जनरल अस्पताल ताल: अम्बेरनाथ, जिला थाने	घटकोपर (प) का रेड लाइट क्षेत्र	एसटीआई मोबाइल वेन
22.	पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (पी०एस०आई०): 149/151, करसनदास नाथ ट्रस्ट बिल्डिंग, राजाराम मोहन राय रोड़, मुम्बई	वाडला तथा डाकयार्ड तक संपूर्ण कॉटन ग्रीन	एसटीआई मोबाइल वेन
23.	रोटरी क्लब ऑफ मुम्बई नार्थ वैस्ट: एम एंड एल रोटरी सर्विस सेंटर, नैक्सट टू आईबीपी पैट्रोल पम्प, नियर न्यू इरा सिनेमा, एसवी रोड़, मालद (प), मुम्बई।	दहिसार चेकनाका में एसटीआई मोबाईल वैन	एसटीआई मोबाइल वेन

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत
भारत में एड्स रोग (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को सूचित)
(30 नवम्बर, 2001 की तिथि के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1225
2.	असम	125
3.	अरूणाचल प्रदेश	0
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	17
5.	बिहार	89
6.	चण्डीगढ़ (यूटी)	415
7.	दिल्ली	641
8.	दमण व द्वीव	1
9.	दादरा व नागर हवेली	0
10.	गोवा	59
11.	गुजरात	1168
12.	हरियाणा	189
13.	हिमाचल प्रदेश	91
14.	जम्मू व कश्मीर	2
15.	कर्नाटक	1174
16.	केरल	267
17.	लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	749
19.	महाराष्ट्र	6321
20.	उड़ीसा	82
21.	नागालैण्ड	207
22.	मणिपुर	1033

1	2	3
23.	मिजोरम	20
24.	मेघालय	8
25.	पांडीचेरी	141
26.	पंजाब	135
27.	राजस्थान	348
28.	सिक्किम	4
29.	तमिलनाडु	14265
30.	त्रिपुरा	0
31.	उत्तर प्रदेश	427
32.	पश्चिम बंगाल	725
33.	आ बाद म्युन्सिपल कार्पोरेशन	189
	योग	30117

पिछले पांच वर्षों के दौरान एड्स से हुई मौतों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण :

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4		6	—	—
2.	असम	—	—	1	—	1
3.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	7
5.	बिहार	40	—	12	5	7
6.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	13
7.	पंजाब	8	5	4	—	—
8.	दिल्ली	—	—	—	—	24
9.	दमण व द्वीव	—	—	—	—	—
10.	दादरा व नागर हवेली	—	3	1	2	—
11.	गोवा	—	—	—	—	3
12.	गुजरात	—	—	—	12	—
13.	हरियाणा	—	1	—	—	5
14.	हिमाचल प्रदेश	—	29	34	6	—
15.	जम्मू व कश्मीर	—	13	4	—	—
16.	कर्नाटक	7	17	12	20	19
17.	केरल	31	110	82	13	—
18.	लक्षद्वीप	39	71	—	4	—
19.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	50
20.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	57
21.	मणिपुर	4	7	—	2	17

1	2	3	4	5	6	7
22.	मिजोरम	–	2	–	–	7
23.	मेघालय	–	18	4	1	–
24.	नागालैण्ड	1	–	1	12	25
25.	उड़ीसा	–	–	–	–	–
26.	पांडीचेरी	40	–	18	71	–
27.	राजस्थान	–	–	–	–	–
28.	सिक्किम	–	24	–	1	–
29.	तमिलनाडु	–	–	2	–	119
30.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	4
32.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–
	कुल :	174	300	185	149	35

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तपश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। डा० सी०पी० ठाकुर।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 4696/2001]

(2) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 4697/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2001, जो 19 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 853(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4698/2001]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1138(अ), जो 19 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर शक्ति नाले पर स्थायी पुल के इस्तेमाल के लिए यांत्रिक वाहनों पर उद्ग्रहीत और संदत्त शुल्क अधिसूचित किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 4699/2001]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) (एक) इलैक्ट्रोनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेन्टर, नैनीताल के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेन्टर, नैनीताल के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4700/2001]

(2) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4701/2001]

(3) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4702/2001]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रिन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रिन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4703/2001]

(5) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4704/2001]

(6) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलेपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलेपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4705/2001]

(7) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4706/2001]

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

(8) (एक) एटोमिक एनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटोमिक एनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4707/2001]

(9) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजीक्स, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजीक्स, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4708/2001]

(10) (एक) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4709/2001]

(11) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाजमा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाजमा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4710/2001]

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थरस लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेयर अर्थरस लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4711/2001]

(ख) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4712/2001]

(ग) (एक) यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4713/2001]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (भविष्य निधि) विनियम, 2001, जो 8 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०-27038/1/98-टी०ए०एम०पी० में प्रकाशित हुए थे।

(दो) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (स्वास्थ्य परीक्षा) विनियम, 2001, जो 31 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए०-17011/1/98-टी०ए०एम०पी० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4714/2001]

(2) प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रकाशस्तंभ लेखा तथा वित्तीय शक्तियां (संशोधन) नियम, 2001, जो 28 नवम्बर, 2001 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 870(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4715/2001]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4716/2001]

(ख) (एक) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4717/2001]

(ग) (एक) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4718/2001]

(4) (एक) सीमैन्स प्रोविडेन्ट फंड ऑर्गेनाइजेशन (नाविक भविष्य निधि), मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) सीमैन्स प्रोविडेन्ट फंड ऑर्गेनाइजेशन (नाविक भविष्य निधि), मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4719/2001]

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4720/2001]

(6) (एक) पाराद्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) पाराद्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4721/2001]

(7) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 4722/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

[हिन्दी]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01¼ बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग – बैंकिंग प्रभाग) – प्रधान मंत्री रोजगार योजना सहित स्वरोजगार योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका के बारे में प्राक्कलन समिति के चौथे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01½ बजे

[अनुवाद]

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

इक्यासीवां और बयासीवां प्रतिवेदन

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, मैं लाटरी (प्रतिषेध) विधेयक, 1999 और पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 1998 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: इक्यासीवें और बयासीवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01¾ बजे

[अनुवाद]

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, मैं लाटरी (प्रतिषेध) विधेयक, 1999 और पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 1998 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज पूर्वाह्न में, कार्यसूची की मद संख्या 10 नहीं ली जा सकी थी। श्री अनिल बसु।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.30½ बजे

[अनुवाद]

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी सम

चौवनवां प्रतिवेदन

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं सीमा सड़क संगठन के कार्यकरण के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति के चौवनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.31 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 13 दिसम्बर, 2001/22 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार,12 दिसम्बर, 2001/ 21 अग्रहायण,1923 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
166	18	डा.जयवंतसिंह यादव	डा.जसवंतसिंह यादव

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।